ISSN-0971-8397

योजना

जुलाई 2011 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 10

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में साक्षरता दर (2001-11)

क्रम सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल साक्षरता दर (2001)	कुल साक्षरता दर (2011)	साक्षरता दर (पुरुष 2011)	साक्षरता दर (स्त्री 2011)
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	81.18	86.27	90.11	81.84
2	आंध्र प्रदेश	61.11	67.66	75.69	59.74
3	अरुणाचल प्रदेश	54.74	66.95	73.69	59.57
4	असम	64.28	73.18	78.81	67.27
5	बिहार	47.53	63.82	73.39	53.33
6	चंडीगढ़	81.76	86.43	90.54	81.38
7	छत्तीसगढ़	65.18	71.04	81.45	60.59
8	दादर - नागर हवेली	60.03	77.65	86.46	65.93
9	दमन दीव	81.09	87.07	91.48	79.59
10	दिल्ली	81.82	86.34	91.03	80.93
11	गोवा	82.32	87.40	92.81	81.84
12	गुजरात	69.97	79.31	87.23	70.73
13	हरियाणा	68.59	76.64	85.38	66.77
14	हिमाचल प्रदेश	77.13	83.78	90.83	76.60
15	जम्मू-कश्मीर	54.46	68.74	78.26	58.01
16	झारखंड	54.13	67.63	78.45	56.21
17	कर्नाटक	67.04	75.60	82.85	68.13
18	केरल	90.92	93.91	96.02	91.98
19	लक्षद्वीप	87.52	92.28	96.11	88.25
20	मध्य प्रदेश	64.11	70.63	80.53	60.02
21	महाराष्ट्र	77.27	82.91	89.82	75.48
22	मेघालय	63.31	75.48	77.17	73.78
23	मणिपुर	68.87	79.85	86.49	73.17
24	मिजोरम	88.49	91.58	93.72	89.40

योजना

वर्ष : 55 • अंक : 7 • जुलाई 2011 • आषाढ़-श्रावण, शक संवत 1933 • कुल पृष्ठ : 56

प्रधान संपादक
रीना सोनोवाल कौली

वरिष्ठ संपादक
राकेशरेणु

संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय

538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23717910, 23096738
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : exeed.yojana@gmail.com
yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट : www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
जे.के. चंद्रा

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516
ई-मेल : pdjucir_icm@yahoo.co.in

आवरण : **साधना सक्सेना**

इस अंक में

संपादकीय	–	5
भारत की 15वीं जनगणना कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष	लीला विसारिया	6
साक्षात्कार : महाकुंभ की तरह है भारत में जनगणना का आयोजन	सी. चन्द्रमौली	11
बाल लिंग अनुपात : उभरते प्रतिमान	सरस्वती राजू	13
मातृ एवं बाल स्वास्थ्य	पूनम मुत्तरेजा	21
साक्षरता वृद्धि का समाजशास्त्रीय विश्लेषण	सुभाष शर्मा	24
नौ दिन चले अढ़ाई कोस	रामप्रताप गुप्ता	28
जनगणना का दशकीय सफ़र	वेद प्रकाश अरोड़ा	29
बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्न उपलब्धता	गौरव कुमार	33
बढ़ती जनसंख्या की दुश्वारियां और निदान	ऋतु सारस्वत	35
जनसंख्या, विकास तथा मानव अधिकार	अंजू वर्मा	37
दुनिया का सबसे बड़ा अभियान	संगीता यादव	39
उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आबादी में गिरावट	देवेन्द्र उपाध्याय	43
शोध यात्रा : सुधरा हुआ जैकर्ड करघा	–	45
झरोखा जम्मू-कश्मीर का : कश्मीर में नयी लोकतांत्रिक बयार	जार्ज मैथ्यू	47
दूसरा भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन	सुरेश अवस्थी	49
स्वास्थ्य चर्चा : कमर का दर्द	सतीश चन्द्र सक्सेना	51

योजना हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक लेवल आर.के.पुरम, नयी दिल्ली-1 दूरभाष : तार : सूचनाप्रकाशन।

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं : सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष : 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष : 23890205) * 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष : 27570686) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष : 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष : 24917673) * प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष : 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष : 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष : 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष : 2683407) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-H, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष : 2225455) * अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष : 26588669) * के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष : 2665090)

चंदे की दरें : वार्षिक : ₹ 100 **द्विवार्षिक :** ₹ 180; **त्रैवार्षिक :** ₹ 250; **विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश:** ₹ 500; **यूरोपीय एवं अन्य देश :** ₹ 700।

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए *योजना* उत्तरदायी नहीं है।

आपकी राय

राष्ट्रीय पशु को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की

योजना का मई 2011 अंक प्राप्त हुआ। हथकरघा एवं हस्तशिल्प पर केंद्रित अंक अच्छा लगा। लैला तैयबजी का आलेख 'भारतीय शिल्प: प्रौद्योगिकी के युग' में पढ़कर बहुत अच्छा लगा। वास्तव में भारतवर्ष में शिल्पकारों व दस्तकारों की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ उन्हें तराशने की। कोई युग था कि हिंदुस्तान की मलमल विश्वभर में प्रसिद्ध थी। आज भी बनारसी और चंदेरी साड़ियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। अंग्रेज़ों के आने के बाद हिंदुस्तान में लघु और कुटीर उद्योगों को सबसे ज्यादा नुक़सान हुआ था किंतु अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के पश्चात भी स्थिति में कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ है। यह चिंता का विषय है। जहां तक राजस्थान का सवाल है तो राजस्थान कभी भी हथकरघा एवं हस्तशिल्प में पीछे नहीं रहा है। यहां के लोगों की कलात्मक अभिरुचि देखते बनती है। जयपुर के मूल्यवान रत्न, ब्लू पॉटरी लाख की चूड़ियां, बाड़मेरी अजरख व मलीर प्रिंट, जोधपुरी साफे, बंधेज ओढ़नी व कोटा की डोरिया साड़ियां पूरे विश्व में विख्यात हैं। अखिलेश जी ने भदोही के कालीन उद्योग पर अच्छा आलेख पेश किया है। वैसे तो कश्मीरी कालीन मशहूर है किंतु भदोही के कालीन उद्योग ने बेरोज़गारों को जो रोज़गार प्रदान किया है उतना कश्मीरी कालीन ने नहीं। भदोही का कालीन उद्योग यूरोपीय देशों में अपनी बादशाहत जमा चुका है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। आखिर में सुरेश अवस्थी का पर्यावरण विषयक आलेख 'भारत में बाघों की संख्या बढ़ी' अच्छा लगा। अजीब विडंबना है कि बीसवीं सदी के प्रारंभ में देश में लगभग 40,000 बाघ थे वहीं आज इनकी संख्या घटकर मात्र 1,706 रह गई है। राष्ट्र की अस्मिता से जुड़े इस राष्ट्रीय पशु को बचाने की जिम्मेदारी प्रत्येक भारतीय की है। अपने निज़ी स्वार्थ के लिए हमें राष्ट्र की समृद्धि व अस्मिता से सौदा नहीं करना चाहिए। ❑

दिलावर हुसैन कादरी
मु-पो: मेहरों की ढाणी (मेहराबाद),
जैसलमेर, राजस्थान

शिक्षा और सहूलियतें दें

योजना का हथकरघा व हस्तशिल्प पर केंद्रित मई 2011 अंक पढ़ा। इस अंक में हथकरघा व हस्तशिल्प से संबंधित बहुत-सी जानकारियां दी गई हैं जिन्हें पढ़कर काफी कुछ जानने को मिला। 'राजस्थान में हस्तशिल्प' शीर्षक लेख में राजस्थान की विभिन्न प्रकार की कलाओं और हस्तशिल्प की काफी अच्छी-अच्छी जानकारियां दी गई हैं। 'ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाता भदोही का कालीन उद्योग' शीर्षक लेख भदोही तथा उसके आस-पास के जिलों में चल रहे कालीन व्यवसाय की अच्छी जानकारी देता है। इससे यह भी पता चलता है कि इस कारोबार से कितने लोगों को व्यवसाय मिला हुआ है। 'प्रेरणा के आलोक पुंज' शीर्षक लेख पढ़कर कई जगहों के हस्तशिल्प व हथकरघा क्षेत्र में की गई उन्नति के बारे में जानकारी मिली, विशेषकर उत्तराखंड के हथकरघा व हस्तशिल्प तथा मधुबनी चित्रकला के बारे में भी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई।

'21वीं सदी में हथकरघा', 'खादी में सुधार', 'शिल्पी संकुल : बेहतर भविष्य की ओर', 'बुनकरों और हस्तशिल्पियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा', 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए रेशम कीट पालन', 'बिहार की अर्थव्यवस्था में कुटीर व लघु उद्योगों का योगदान' लेख भी काफी अच्छे व जानकारी भरे थे।

वैसे तो सरकार ने हथकरघा व हस्तशिल्प के विकास के लिए काफी कुछ किया है। साथ ही हस्तशिल्पियों व हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर पुरस्कार भी देती रहती है सरकार। इन सब के बावजूद बुनकरों की स्थिति अनेक जगहों पर दयनीय बनी हुई है। ग़रीबी के चलते कई बुनकरों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह देखा गया है कि नयी पीढ़ी इस प्राचीन व्यवसाय को अपनाने से कतराने लगी है जिसके चलते इस व्यवसाय पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अगर हथकरघा व हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना है, तो इस कला को पुरानी पीढ़ी से नयी पीढ़ी में पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित करते रहना होगा। सरकार को हस्तशिल्प व हथकरघा क्षेत्र में छात्रों को जानकारी देने के लिए हथकरघा व हस्तशिल्प से संबंधित पाठ्यक्रम भी माध्यमिक स्तर पर शामिल करना चाहिए ताकि छात्रों में इस क्षेत्र में रुचि उत्पन्न हो। साथ ही इस क्षेत्र में लगे लोगों को सहूलियतें भी देनी चाहिए। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के बच्चों के लिए मुफ़्त शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। समय-समय पर सरकार द्वारा शिल्पियों व बुनकरों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। खादी ग्राम उद्योग में बुनकरों व उनके बच्चों को नौकरी देने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे अपनी कला का योगदान खादी के क्षेत्र में और ज्यादा कर सकें।

इस अंक में 'पहाड़ों में सिंचाई' शीर्षक लेख भी बेहद पसंद आया। पहाड़ी क्षेत्र में सिंचाई के विषय में जो भी बातें बताई गईं, सभी अच्छी थीं। ज्यादा ऊंचाई पर स्थित सीढ़ीनुमा खेतों को सिंचाई करने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया जोकि

काफी कारगर है पहाड़ी खेतों की सिंचाई के लिए। पहाड़ी क्षेत्र दुर्गम व पथरीले होने के कारण वहां सिंचाई की समस्या बहुत रहती है। ऊपर से भूस्खलन द्वारा भी सिंचाई साधनों को काफी नुक़सान हो जाता है। काफी कोशिशों के बावजूद पहाड़ों पर सिंचाई के साधनों का पूरा-पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पाता और बरसात पर ही ज्यादातर निर्भरता रहती है ऊंचाई वाले खेतों में सिंचाई करने के लिए।

'रवींद्रनाथ टैगोर : आसमां के पते पांख पर देखना', 'भारत में बाघों की संख्या बढ़ी', 'एक अलग तरह की यात्रा' व 'गढ़वाल-हिमालय का व्यापक अध्ययन, शीर्षक लेख भी काफी अच्छे लगे। ❑

महेंद्र प्रताप सिंह
मेहरागांव, अल्मोड़ा, उत्तराखंड

प्रतियोगियों के लिए सफल मार्गदर्शक

मैं *योजना* का पिछले तीन वर्षों से नियमित पाठक हूं। एक विद्यार्थी होने के नाते हमेशा स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं की तलाश एवं आवश्यकता होती है जिसकी खोज *योजना* पर आकर पूरी हो पाती है। देश में चल रहे विभिन्न कार्य-योजनाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां तो इसके माध्यम मिलती ही रहती हैं, साथ ही इसका सबसे ज्यादा फायदा सिविल सेवा और अन्य उच्चस्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को मिलता है जिन्हें *योजना* में प्रकाशित लेखों के माध्यम से सामान्य, सामाजिक, समसामयिक विषयों की सुस्पष्ट जानकारी मिलने के साथ-साथ इसके आधार पर उन्हें अपनी लेखन-शैली को ठोस एवं प्रभावपूर्ण बनाने में काफी मदद मिलती है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी सफलता में *योजना* के महत्वपूर्ण योगदान को अवश्य रेखांकित करते हैं। इसकी सबसे ख़ास बात जो मुझे हमेशा से प्रभावित करती रही है वह है प्रत्येक अंक का किसी विषय-विशेष पर केंद्रित रहना। इससे उस विषय के सभी महत्वपूर्ण पक्षों की पूरी जानकारी मिल जाती है। इन लेखों के अतिरिक्त भी अन्य समसामयिक मुद्दों, हस्तियों एवं महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाशित लेख पत्रिका को महत्वपूर्ण बनाते हैं।

सुझाव के तौर पर, यदि प्रत्येक अंक में अलग-अलग सामयिक विषयों पर और अधिक लेख प्रकाशित किए जाएं, तो छात्रों के लिए इसकी उपयोगिता और लाभान्वित होने के अवसरों में कहीं अधिक वृद्धि हो जाएगी। ❑

उत्पल कांत, बीएचयू, वाराणसी
ई-मेल : utpalkant88@gmail.com

सब्सिडी की वैशाखी नहीं

***यो**जना* का मार्च 2011, बजट 2011-12 विशेषांक पढ़ा। बजट संबंधी ज्ञान बढ़ाने की दिशा में यह अंक अतुलनीय है। लेकिन कमलनयन काबरा के लेख ने पेशानियों पर बल डाल दिया।

लेख पर टिप्पणी करने से पहले मैं एक उदाहरण के माध्यम से अपने विचार को अभिव्यक्त करना चाहता हूं। सरकार द्वारा बार-बार कृषि ऋण माफ़ी, किसानों और राजनीतिक पार्टियों को फौरी तौर पर राहत तो देती है लेकिन, इससे देश को एक अपूरणीय क्षति होती है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां कृषि ही औसत जनसंख्या की आय प्राप्ति और क्षुधा मिटाने का साधन है। ऐसे देश में किसानों को ऋण माफी देकर उन्हें सरकार पर परावलंबी बनाना कृषि और देश दोनों को खोखला करना है।

ऋण माफ़ी के बजाय यदि धन का उपयोग खेती तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषकों को जागरूक बनाने में तथा आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए दिया जाए, तो किसान आत्मनिर्भर होंगे। उनके पास आधुनिक तकनीक के साथ-साथ, उत्पादन बढ़ाने के लिए मज़बूत इच्छाशक्ति तथा बुलंद हौसला होगा। इस तरह सरकार द्वारा बार-बार कृषि ऋण माफ़ी की नौबत नहीं आएगी और काफी हद तक किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति रुक जाएगी।

उपरोक्त उदाहरण को यदि काबरा साहब के लेख की इस पंक्ति-''सब्सिडी पर जिंदा रहना .... लागू करने की है।'' से जोड़कर देखा जाए तो स्थितियां काफी स्पष्ट हो जाती हैं।'' बार-बार सब्सिडी देने तथा उसके रूपों में परिवर्तन करने से संविधान की प्रस्तावना (समता का अधिकार) का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि सब्सिडी उनके आत्मसम्मान को गिरा देती है और सब्सिडी का लाभ लेने वाले अपने आप को भिखारी समझने लगते हैं।

अत: ज़रूरी है कि सब्सिडी रूपी वैसाखी के स्थान पर, एक ऐसी नीति बनाई और लागू की जाए, जिससे लोग आत्मनिर्भर होकर, देश की समृद्धि और खुशहाली में योगदान दे सकें ताकि सतत विकास का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सके। ❑

विक्रमजीत सिंह, नयी दिल्ली
ई-मेल : singh.vikramsingh.vikram757@gmail.com

योजना
आगामी अंक

अगस्त 2011

योजना के अगस्त 2011 विशेषांक का विषय है **मनोरंजन उद्योग**।

सितंबर 2011

योजना का सितंबर 2011 अंक **सेवा क्षेत्र** पर केंद्रित होगा।

दीक्षांत

समाजशास्त्र

By

DR. S. S. PANDEY

WORKSHOP	5 July 4 PM

सामान्य & अध्ययन

By

CSAT

DR. S. S. PANDEY & TEAM

बैच प्रारम्भ

WORKSHOP	5 July 5 PM

MAINS SPECIAL PROGRAMME

• नवीन घटनाओं एवं नवीन सैद्धांतिक विकास के साथ सम्बद्ध करते हुए अध्यापन • प्रश्नोत्तर परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें संभावित प्रश्नों के उत्तरों की रूपरेखा पर चर्चा एवं UPSC में पूछे गए 10 वर्षों के प्रश्नों की समीक्षा • राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राजनैतिक, आर्थिक, समसामयिक व सामाजिक विषयों की तैयारी हेतु विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण व्यवस्था • PCS परीक्षा हेतु विशेष कक्षा कार्यक्रम • Current Affairs और सामान्य ज्ञान अभिवर्धन पर विशेष बल

सीट आरक्षित कराने हेतु भेजे *Registration Fee- Rs. 5,000/- (Adjustable in fee)*

• NCERT, India Year Book, Economic Survey, Hindu आदि पर आधारित परीक्षण व्यवस्था •त्रिस्तरीय जांच परीक्षा- 1. Daily Class Test, 2. Unit Wise Test, 3. Test Series

DISTANCE Education Programme

SOCIO MAINS	GS MAINS	GS PT
Rs. 8,000/-	Rs. 7,000/-	Rs.5,000/-
• Study Material	• Study Material	• Study Material
• Class Notes	• Class Notes	• Class Notes
• 10 Tests	• 10 Tests	• 10 + 10 Tests

Please Send DD in favour of Dikshant Education Centre, payable at Delhi with 2 Passport Size Photographs.

TATA Mc Graw Hill से प्रकाशित पुस्तकें

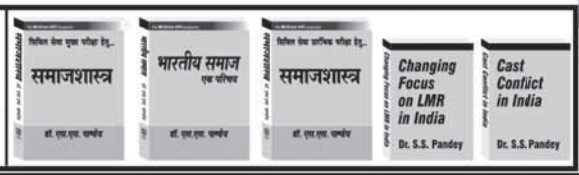

हमारे संस्थान के सफल छात्र

Dikshant Education Centre 307-309-310, Jaina Building Extension, Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009, Ph.: 011-27652723, 9868902785, E-mail: dikshantias2011@gmail.com

YH-92/2011

संपादकीय

देश में जनसंख्या नियंत्रण के दशकों से चले आ रहे प्रयासों ने अब, मिश्रित ही सही, परिणाम देना आरंभ कर दिया है। जनगणना 2011 के परिणामों में प्रसन्न और गौरवान्वित होने की अनेक वजहें निहित हैं, हालांकि इस प्रसन्नता के साथ-साथ बेचैन कर देने वाली गंभीर चिंताओं का बोझ भी जुड़ा हुआ है।

जनसंख्या की वार्षिक वृद्धिदर पिछली जनगणना की 2.15 प्रतिशत की वृद्धिदर से कम होकर अब 1.76 प्रतिशत रह गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब हम अपनी जनसंख्या अपेक्षित समय से पहले की स्थिर कर लेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और समाज के अग्रणी लोगों द्वारा लोगों को शिक्षित करने के सतत प्रयासों के परिणाम भी अब मिलने लगे हैं। इसके फलस्वरूप 2001 में जो साक्षरता दर 64.83 प्रतिशत थी, वह बढ़कर अब 74.04 प्रतिशत हो गई है। खुशी की बात यह है कि नवसाक्षरों की इस जमात में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। आखिरकार भारतवासियों ने अपनी बेटियों की शिक्षा पर समुचित ध्यान देना आरंभ कर दिया है जिसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री-पुरुष असामनता में 4.91 प्रतिशत बिंदुओं की कमी आई है।

लेकिन देश में जहां बालिका शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है वहीं परिवार में बालिकाओं के आगमन-उनके जन्म के प्रति रुचि कमी है। यह तथ्य देश के अधिकांश हिस्सों पर लागू होता है। विगत वर्षों में देश में शिशु लिंग अनुपात में लगातार और चिंताजनक रूप से कमी आई है। किसी भी सम्य समाज के लिए यह शर्मनाक है। अध्ययनों से पता चलता है कि बेटे की बढ़ी चाह के कारण बालिका भ्रूणहत्या की प्रवृत्ति देश के उत्तरी और पश्चिमी भाग में चिंताजनक रूप से गंभीर है। जाहिरा तौर पर भ्रूण-लिंग परीक्षण और उससे जुड़े गर्भपात संबंधी कानून पूर्णतया निष्प्रभावी साबित हुए हैं और इस दिशा में अधिक कारगर रणनीति अपनाने की जरूरत है।

इस प्रमुख समस्या के अतिरिक्त राज्यों के शक्तिसंपन्न कार्यदल के लगातार असंतोषजनक निष्पादन पर भी नये सिरे से विचार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि इन राज्यों ने कोई प्रगति की ही नहीं है, लेकिन इनमें परिवर्तन की मौजूदा दर ऐसी भी नहीं है जिससे वहां विकास की संतोषजनक गति सुनिश्चित की जा सके- सहस्राब्दि विकास लक्ष्य को हासिल करना तो दूर की कौड़ी है।

भारत की आबादी में एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। इसलिए हमारे यहां वृद्धावस्था से जुड़ी समस्याएं आसन्न मुद्दा नहीं हैं। बावजूद इसके अग्रिम नियोजन के द्वारा इन समस्याओं से निबटने की तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। भारत को भविष्योन्मुखी होकर आने वाले वर्षों में अपने वरिष्ठ नागरिकों की समुचित देखभाल की व्यवस्था करनी होगी।

योजना के मौजूदा अंक में भारत के जनगणना 2011 से उत्पन्न प्रमुख मुद्दों पर जनांकिकीय विशेषज्ञों के विचारों, विश्लेषणों और सुझावों को शामिल किया गया है तथा जिन नीतियों और रणनीतियों को अपना कर इन समस्याओं का निराकरण संभव है, उनपर भी विचार किया गया है। ❑

जनगणना 2011

भारत की 15वीं जनगणना कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष

● लीला विसारिया

भारत में पहली जनगणना 1867 से 1872 के पांच वर्षों के बीच हुई थी, जिसे 1872 की जनगणना भी कहा जाता है और इसीलिए इसे समकालिक नहीं माना जाता। यह मशक्कत ब्रिटिश शासकों ने यह जानने के लिए कराई थी कि उनके उपनिवेशों का आकार, रचना अथवा जनसंख्या की विशेषताएं क्या हैं, परंतु यह गणना समूचे ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र में नहीं की गई थी। तदंतर होने वाली जनगणनाएं समकालिक थीं और शनैः शनैः उनका प्रचार-प्रसार पूरे देश में क्रमिक रूप से किया जाता था। राजनीतिक और अन्यान्य समस्याओं के बावजूद भारत में प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है।

स्वतंत्रता के उपरांत, संसद में पारित 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत एक जनगणना आयुक्त के पद का सृजन किया गया। इससे पूर्व, समूचा अभियान 2-3 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से आयोजित किया जाता था और जनगणना पूरी होने तथा निष्कर्षों के प्रकाशित होने के बाद समूची व्यवस्था भंग कर दी जाती थी। कानून ने जनगणना अधिकारियों को कुछ प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था, जिसका उत्तर देना नागरिकों के लिए अनिवार्य था। इस तरह एकत्रित सूचना को गोपनीय माना जाता है और उनका उपयोग केवल सांख्यिकीय कार्यों के लिए ही हो सकता है। इसे किसी न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

जनगणना केवल लोगों की गिनतीभर नहीं होती, भारत की जनगणना में आयु और महिलाओं का प्रतिशत/अनुपात जैसी जनसंख्या की विशेषताओं, धर्म, साक्षरता, भाषा एवं स्थान परिवर्तन जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक कारक तथा आर्थिक गतिविधियों का विवरण भी एकत्रित और प्रकाशित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जनसंख्या की गणना के एक वर्ष पूर्व की जाने वाली आवासीय गणना में आवास का प्रकार, सुविधाएं और परिवारों की परिसंपत्तियों की सूचना भी एकत्रित की जाती है। विभिन्न जनगणनाओं के आंकड़ों के विश्लेषण से देश की जनसंख्या के विविध पहलुओं, व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार के तौर-तरीक़ों तथा प्रवृत्तियों को समझने में मदद मिलती है।

विकासशील देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्येक दस वर्ष के अंतर पर निर्बाध रूप से जनगणना होती रही है। किसी अन्य विकासशील देश में ऐसा नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, भारत में जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के तीन-चार सप्ताह के भीतर ही प्रत्येक राज्य की जनसंख्या का लिंगवार विवरण जारी कर दिया जाता है। वर्ष 1981 तक जनगणना के आंकड़ों का संकलन हाथों से होता था। 1981 से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के साक्षर और निरक्षर पुरुषों और स्त्रियों का विवरण एक माह के भीतर ही जारी कर दिया जा रहा है। समूची प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण हो जाने से 2011 की जनगणना के सभी आंकड़े 2 वर्ष के भीतर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यह देखते हुए कि अनेक उन्नत और विकसित देशों को जनगणना पूरी होने के बाद समस्त आंकड़ों को जारी करने में बरसों लग जाते हैं, भारत की इस उपलब्धि की सराहना की जानी चाहिए।

जनगणना 2011 की महत्वपूर्ण बातें

जनसंख्या का आकार

जनगणना पूरी होने के चार सप्ताह के भीतर जारी जनसंख्या के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी 1 अरब 21 करोड़ है, जो जनगणना 2001 की जनसंख्या 1 अरब 3 करोड़ से अधिक है। इस प्रकार, पिछले एक दशक में 18 करोड़ 10 लाख लोग और जुड़े हैं। परंतु 2001-2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धिदर कुल 17.6 प्रतिशत रही जबकि 1991-2001 के दशक में 21.5 प्रतिशत की

दर से वृद्धि हुई थी। इससे स्पष्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धिदर में गिरावट आई है। मज़े की बात यह है कि जितनी बड़ी जनसंख्या की गणना की गई है वह अनुमानित आकार से कहीं अधिक है। महापंजीयक कार्यालय ने अनुमान लगाया था कि 2011 की जनसंख्या 1 अरब 19 करोड़ की होगी। आशा है कि अनुमानित समय से पूर्व ही भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 2030 तक, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। आशा है 2041 तक भारत की जनसंख्या 1 अरब 41 करोड़ पर जाकर स्थिर हो जाएगी।

भौगोलिक वितरण

उत्तर प्रदेश 19 करोड़ 96 लाख की जनसंख्या के साथ देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। देश की कुल जनसंख्या का 16.5 प्रतिशत लोग इसी राज्य में निवास करते हैं। बिहार (10 करोड़ 80 लाख) और महाराष्ट्र (11 करोड़ 24 लाख), दस करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले देश के दो अन्य राज्य हैं। पश्चिम बंगाल 9 करोड़ 10 लाख, आंध्र प्रदेश 8 करोड़ 50 लाख, मध्यप्रदेश 7 करोड़ 30 लाख और तमिलनाडु 7 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या के साथ देश के अन्य बड़े राज्य हैं। लगभग 42.4 प्रतिशत भारतीय पूर्व में अविभाजित बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान में रहते हैं। जनगणना 1991 की तुलना में इस क्षेत्र की जनसंख्या में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चार दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या का प्रतिशत 1991 के 22.5 प्रतिशत की तुलना में 2011 में 20.8 प्रतिशत ही रह गया है। इससे संसदीय लोकतंत्र में उनके प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है।

जनसंख्या वृद्धि की दर

प्रमुख राज्यों में 2001-2011 की अवधि में 25.1 प्रतिशत की वृद्धिदर के साथ बिहार सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। दशकीय वृद्धिदर सभी प्रमुख उत्तरी राज्यों– बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश (झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत) में 20 प्रतिशत की दर से आगे निकल गई है। केरल में 2001-2011 के दौरान 4.9 प्रतिशत की वृद्धिदर इस बात की ओर संकेत करती है कि अगले 10-20 वर्षों में राज्य की जनसंख्या दर में स्थायित्व आ जाएगा। पंजाब, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल की वृद्धिदर 11-13 प्रतिशत के आस-पास रही है, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में वृद्धिदर पर 15-16 प्रतिशत के लगभग रही है। दक्षिणी राज्य जनसंख्या में स्थिरता के अग्रदूत बनकर उभरे हैं।

साक्षरता

भारत ने साक्षरता के विस्तार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वतंत्रता के बाद हुई पहली जनगणना में कुल 18 प्रतिशत की साक्षरता की तुलना में 2011 में भारत की साक्षरता का प्रतिशत 74 तक जा पहुंचा है। पुरुषों की उपलब्धि 27 से 82 प्रतिशत तक रही है जबकि महिलाओं की साक्षरता के मामले में उन्हीं 60 वर्षों में साक्षरता का प्रतिशत 65.5 प्रतिशत पहुंच गया है। जनगणना 1951 के अनुसार तब केवल 10 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर थीं। आज प्रत्येक तीन में से दो महिलाएं साक्षर हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर, साक्षरता के मामले में लिंगानुपात (स्त्री एवं पुरुष की साक्षरता का अनुपात) की खाई सर्वप्रथम 1991 में कम होनी शुरू हुई और उसके बाद तो इसमें काफी तेज़ी आ गई है। परंतु स्त्री-पुरुष की साक्षरता का अंतर, कई राज्यों में राष्ट्रीय अनुपात से भी अधिक है। राजस्थान में जहां दोनों के बीच लगभग 28 प्रतिशत का अंतर है, वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे उत्तरी राज्यों में स्त्री-पुरुष साक्षरता के अंतर का प्रतिशत 20 से भी अधिक है।

2001 की तुलना में 2011 में पुरुष साक्षरता दर में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई, जबकि महिला साक्षरता दर में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है। कुछ लोग इस सफलता का श्रेय सर्वशिक्षा अभियान को देते हैं जिसकी शुरुआत 2001-02 में प्राथमिक शिक्षा को लोकव्यापी बनाने के लिए की गई थी। पुरुष साक्षरता का प्रतिशत पूरे देश में 75 प्रतिशत से भी अधिक है, जबकि केरल और कुछ अन्य छोटे राज्यों में यह 90 प्रतिशत से भी अधिक है। बिहार में महिला साक्षरता के क्षेत्र में उपलब्धि उल्लेखनीय है; यह 2001 के 33 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 53 प्रतिशत हो गई है। जहां तक महिला साक्षरता का प्रश्न है, जिन राज्यों की स्थिति चिंताजनक है- वे हैं राजस्थान और आंध्रप्रदेश, दोनों राज्यों में 2001-2011 की अवधि में कुल 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई है और दोनों ही राज्यों में महिला साक्षरता का प्रतिशत 60 से भी कम है।

जनसंख्या का लिंगानुपात

सुखद समाचार यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। 1991 में 1000 पुरुषों के मुकाबले कुल 927 महिलाएं थीं और 2001 में 933, जबकि अब 2011 में, प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की संख्या 940 तक पहुंच गई है। तथापि, विश्व के अधिकतर देशों की तुलना में भारत में लिंगानुपात असामान्य है। ब्रिटेन के जनगणना आयुक्तों का ध्यान भी इस ओर गया है और वे इसे लेकर उलझन में थे। बड़े वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने उन कारणों पर गौर किया, जिनके कारण भारत की कुल जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। उन्होंने और कुछ अन्य जनसंख्या विशेषज्ञों ने जिन कुछ संभावित कारणों पर विचार किया, वे हैं– महिलाओं की सही संख्या की गिनती का न होना,

तालिका-1

भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर, 1951-2011

जनगणना वर्ष	7+ जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत			पुरुष-महिला
	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	अंतर
1951	27.2	8.9	18.3	18.3
1961	40.4	15.4	28.3	25.0
1971	46.0	22.0	34.4	24.0
1981	56.4	29.8	43.6	26.6
1991	64.1	39.3	52.2	24.8
2001	75.3	53.7	64.8	21.6
2011	82.1	65.5	74.0	16.7

अन्य जनसंख्याओं की तुलना में, जन्म के समय पुरुषों का अधिक अनुपात होना, लापरवाही, घातक बीमारियों और महामारियों (जैसे प्लेग, मलेरिया और इन्फ्लुएंजा) के कारण पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मृत्युदर का अधिक पाया जाना तथा कच्ची उम्र में सहवास और अकुशल दाइयों द्वारा प्रसव कराया जाना। महिलाओं को शैशवकाल से ही अस्तित्व की रक्षा संबंधी जिन अलाभकर स्थितियों से गुजरना पड़ता है, उनको छोड़कर, अन्य किसी कारण के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिलता है।

हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली के परस्पर सटे हुए क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अनुपात में जो अंतर पाया जाता रहा है, उसमें 2001 से 2011 की अवधि में सुधार हुआ है। परंतु यह अभी भी 1000 पुरुषों के मुकाबले 900 की संख्या से कम ही है। दूसरी ओर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी राज्यों में लिंगानुपात लगभग समान ही है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से चली आ रही यह विशेषता अभी भी जारी है।

बाल लिंगानुपात

1981 से भारतीय जनगणनाओं में 0-6 की आयु समूह की जनसंख्या के आंकड़े लिंग के आधार पर भी उपलब्ध कराती रही हैं। यह साक्षरता दर की सूचना के सह-उत्पाद के रूप में एकत्रित की जाती रही है। साक्षरता दर की गणना 7+ की आयु से की जाती है। 0-6 आयु समूह के बच्चों की गणना में लिंगानुपात की गणना की जाती है (आमतौर पर आयु संबंधी आंकड़े पाच वर्ष की आयु समूह के एकत्रित किए जाते हैं इसीलिए अधिकांश जनसंख्याओं में बच्चों संबंधी आंकड़े 0-4 के आयु समूह के मिलते हैं, 0-6 आयु वर्ग के नहीं)। जनगणना आयुक्त कार्यालय ने 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंगानुपात की गणना के साथ-साथ 1961 तथा 1971 से लेकर 50 वर्षों की प्रवृत्ति को भी विवेचना की है (देखें तालिका-2)।

जैसाकि तालिका-2 से स्पष्ट है बाल लिंगानुपात में 1961 से ही क्रमिक रूप से गिरावट दर्ज़ की जा रही है। 1961 में जहां 1000 बालकों के पीछे 976 बालिकाएं थीं, वहीं उनके अनुपात में और कमी आते हुए 2001 तक 927 तथा 2011 में तो 914 लड़कियां ही प्रति 1000 बालकों के पीछे रह गईं। इस स्थिति ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है और इसके पीछे जो कारण मुख्य रूप से बताया जा रहा है, वह है भ्रूण लिंग परीक्षण की बढ़ती प्रवृत्ति और बालिका भ्रूणों का चुनिंदा तौर पर गर्भपात। 2001 से 2011 के बीच लगभग पूरे देश में ही बाल लिंगानुपात में गिरावट की प्रवृत्ति रही, जिससे इस विश्वास की पुष्टि होती है कि बालिका-भ्रूण का चुनिंदा तौर पर गर्भपात करवाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह प्रवृत्ति उन क्षेत्रों में भी फैल गई है जहां पहले नहीं पाई जाती थी। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 2001 की तुलना में 2011 में बाल लिंगानुपात में कुछ सुधार हुआ है। गुजरात में भी मामूली सुधार दर्ज़ किया गया है। इन राज्यों में बाल लिंगानुपात 850 से भी कम था। इन राज्यों में अभी भी 2011 में, प्रति 1000 बालकों की तुलना में 900 से कम महिलाएं हैं।

पुरुष प्रधान भारतीय समाज में सदियों से बेटे को वरीयता दी जाती रही है और यह प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के 2005-06 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग एक चौथाई महिलाएं बेटियों की अपेक्षा बेटों को पसंद करेंगी, परंतु ऐसी शायद ही कोई महिला होगी जो बेटों की अपेक्षा अधिक बेटियां पसंद करेंगी। इसके अतिरिक्त, एनएफएचएस के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि जब कोई दंपत्ति केवल दो या तीन बच्चों तक अपना परिवार सीमित करना चाहता है और यदि उसका पहला बच्चा बेटी है तो दूसरे बच्चे का भ्रूण परीक्षण कराने और यदि भ्रूण में लड़की पाई गई तो गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार, छोटे परिवार की स्वीकार्यता में वृद्धि के बावजूद बेटे की वरीयता बनी हुई है।

लिंग परीक्षण के लिए प्रसवपूर्व जांच तकनीक की सर्वत्र उपलब्धता को देखते हुए उस पर नियंत्रण लगाने के आशय से 1994 में पीएनडीटी (प्रसवपूर्व निदान तकनीक- नियमन एवं दुरुपयोग से बचाव)- अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के तहत भ्रूण के लिंग परीक्षण और उसे माता-पिता के बताने पर रोक लगा दी गई। अधिनियम में 2003 में संशोधन कर उसे और सख़्त बनाया गया। संशोधित प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थान पर कराए गए चुनिंदा लिंग परीक्षण के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर उपयुक्त अधिकारियों को अधिकार सौंपे गए हैं। इस अधिनियम और 'बालिका बचाओ' के व्यापक अभियान के बावजूद बाल लिंगानुपात में गिरावट जारी है जिससे यह चिंता बलवती होती जा रही है कि न तो कानून का क्रियान्वयन और न ही अभियान के संदेश का कोई विशेष प्रभाव पड़ा है।

परंतु यह बात भी माननी होगी कि बालिका भ्रूण के चुनिंदा गर्भपात के साथ-साथ भारत में दशकों से बालकों के मुकाबले बालिकाओं की मृत्युदर अधिक रही है। हाल के वर्षों में भी 2008 के नमूना पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार, 1-4 वर्ष की आयु की बालिकाओं की मृत्युदर बालकों की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक थी। यदि मृत्युदर में भी लड़कों के प्रति उदारता और लड़कियों के साथ

तालिका-2

जनसंख्या और 0-6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या का लिंगानुपात	0-6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात
1961	941	976
1971	930	964
1981	934	962
1991	937	945
2001	933	927
2011	940	914

पक्षपात होता रहेगा तो आने वाले समय में लड़कियों की कमी बनी रहेगी। उच्च बालिका मृत्युदर और बालिका भ्रूण का चुनिंदा गर्भपात का जोड़ बना रहता है तो लड़कियों की कमी की समस्या निश्चय ही और तेज़ी से बढ़ती रहेगी।

बाल जनसंख्या में गिरावट

वर्ष 2011 की जनगणना, कई दशकों में ऐसी पहली जनगणना है, जिसमें 0-6 आयु समूह के बच्चों की संख्या में कुछ कमी पाई गई। जनगणना 2001 में जहां 16 करोड़ 40 लाख बच्चों की गणना की गई थी, वहीं 2011 में 15 करोड़ 90 लाख बच्चों की गणना हुई; अर्थात भारत में 50 लाख कम बच्चे थे। यह समूची जनसंख्या में बच्चों की अंशधारिता से स्पष्ट है, जो 2001 में 16 प्रतिशत से गिरकर 2011 में 13.1 प्रतिशत पर आ गई है। प्रमुख राज्यों में केवल बिहार और जम्मू-कश्मीर ही ऐसे अपवाद हैं जहां बच्चों की जनसंख्या में कुछ वृद्धि हुई है। केरल और तमिलनाडु में कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत अंश 0-6 आयु वर्ग के बच्चों का है। परंतु राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में कुल जनसंख्या में बच्चों का अंश लगभग 18 प्रतिशत है। बच्चों की संख्या में कमी से उर्वरता में आई कमी का पता चलता है। भारत में समग्र उर्वरता दर में भी कमी आई है। 2001 में जहां प्रति महिला बच्चों का औसत 3.1 था, वहीं 2009 में प्रति महिला बच्चों का औसत 2.7 रह गया।

जनसंख्या विशेषज्ञों के लिए 2011 की जनगणना के अस्थायी निष्कर्ष कुछ चौंकाने वाले तथ्य लेकर आए हैं। जनसंख्या के आकार के बारे में जो ज्यादातर पूर्वानुमान लगाए गए थे, वास्तविक गणना उससे अधिक रही। जनसंख्या में स्थिरता आने वाली समयावधि का अनुमान भी गलत निकला। इससे यह भी संभावना जताई जाने लगी है कि भारत एक दशक या उससे अधिक के पूर्वानुमान के पहले ही 2030 तक चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। यद्यपि नीति-निर्माता, नियोजक और कार्यक्रम प्रबंधक सभी समय-समय पर इस बारे में घबराहट भरी चिंता व्यक्त करते रहे हैं। गर्भधारण आयु में प्रवेश करने वाले युवाओं की परिवार के आकार के बारे में प्राथमिकता, उत्तर भारत में भी उल्लेखनीय रूप से, छोटे परिवार की ही ओर बढ़ रही है। इन युवाओं के माता-पिता जब उस अवस्था में थे, तब ऐसी बात नहीं थी। परिवार के आकार के बारे में उनकी पसंद कुछ बड़े आकार की ही थी। इसीलिए, यदि अच्छी गुणवत्ता की निर्बाध परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती रहीं तो कोई कारण नहीं कि उनकी वरीयताएं और अपेक्षाएं यथार्थ में न बदलें।

लिंग परीक्षण पर 15 वर्षों के प्रतिबंध के बावजूद बाल लिंगानुपात में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रहने से हमें गंभीरता से यह अहसास होता है कि सामाजिक कानून केवल एक सीमा तक उद्देश्य पूरा करते हैं या यों कहा जाए कि दंड का भय भी ज्यादा काम नहीं आता। यही समय है जब हम उन सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों पर गौर करें जो लड़कियों को कमतर बताते हैं। व्यावहारिक परिवर्तन लाना एक कठिन कार्य है परंतु है अति आवश्यक। ❑

(लेखिका गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च, अहमदाबाद में मानद प्रोफेसर हैं।

ई-मेल : lvisaria@gmail.com)

DISCOVERY

...Discover your mettle

www.discoveryiasacademy.com

भूगोल

द्वारा

अनिल केशरी

भूगोल को अति सरल भाषा में समझें।
जानें कैसे आते हैं बेहतर अंक?
सीखें भूगोल द्वारा सफलता का मार्ग?

प्रस्तुतीकरण पर विशेष बल।
पूर्ण पाठ्यक्रम पर प्रिंटेड सामग्री।
मानचित्र अध्ययन सप्ताह में तीन दिन।
सप्ताह में दो-दिन आकस्मिक जांच परीक्षा।
लगभग 500 प्रश्नों के उत्तर की संक्षिप्त संरचना।

''मैंने भूगोल में प्रस्तुतीकरण पर विशेष ध्यान दिया और पूरे पत्र में 44 चित्र या मानचित्र बनाए जिसका परिणाम यह है कि मुझे भूगोल प्रथम पत्र में 184 तथा भूगोल द्वितीय पत्र में 173 अंक प्राप्त हुए।''- सुदर्शन मीणा.
I.R.S
C.S.E 2010

कक्षा प्रारम्भ

2.30 - 5.00 P.M.

B-14 (Basement) Comm.
Complex Mukherjee Nagar Delhi-9.
Ph:. 011-32906050, 9313058532
Email:discoveryiasacademy@gmail.com

YH-96/2011

ALS सामान्य अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

सर्वश्रेष्ठ टीम | सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट | सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन

मुख्य-सह-प्रारंभिक परीक्षा 2012-13 + CSAT

हिन्दी माध्यम GS की सर्वश्रेष्ठ टीम

- Magic Moments By Shashank Atom • भारतीय राजव्यवस्था By Manoj K Singh & Manish Gautam • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी By Sharad Tripathi • इतिहास व संस्कृति By YD Misra & Manoj K Singh • भारतीय अर्थव्यवस्था By Arunesh Singh • सांख्यिकी By Arvind Singh • राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे By Jojo Mathew, Manish Gautam, Sharad Tripathi • भूगोल By Dr Shashi Shekhar & B M Panda

हिन्दी माध्यम CSAT की सर्वश्रेष्ठ टीम

- सामान्य मानसिक योग्यता By Arvind Singh • आधारभूत आंकिक क्षमता By Arvind Singh & Sharad Tripathi • सम्प्रेषण एवं अन्तर्वैयक्तिक क्षमता By KM Pathi • तर्क एवं विश्लेषण क्षमता By Arvind Singh & Sharad Tripathi • English Basic & Comprehension By David Williams & Sachin Arora

GS Prelim + CSAT बैच प्रारंभ

12 July Batch:1 (Time: 11:30am-01:00pm) | 08 Aug Batch:2 | 16 Sept Batch:3 (Time: 08:00am-10:30am)

Programme Director : **Manoj Kumar Singh**
Managing Director: ALS, Interactions IAS Study Circle, Competition Wizard, ISGS

हिन्दी माध्यम में सर्वोच्च परिणाम

सामान्य अध्ययन (नियमित कक्षा के छात्र)

सामान्य अध्ययन **मुख्य परीक्षा** 2011 की तैयारी करें देश के सबसे अनुभवी प्रशिक्षको द्वारा

बैच प्रारंभ: 15 जुलाई (15 जुलाई-30 सितम्बर)

Time: 6pm-8.30pm

•70 days •210 Hours •Fees: Rs 16,000

राजव्यवस्था-10 कक्षाएं	Manish Gautam
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-10 कक्षाएं	Sharad Tripathi
भारतीय अर्थव्यवस्था-10 कक्षाएं	Arunesh Singh
इतिहास- 10 कक्षाएं	YD Misra & Manoj K Singh
संस्कृति-2 कक्षाएं	YD Misra
सांख्यिकी-4 कक्षाएं	Arbind Singh
समसामयिकी क्रैश कोर्स-26 कक्षाएं	ALS Team

12 जुलाई से सामान्य अध्ययन प्रारंभिक सह मुख्य परीक्षा एवं CSAT की तैयारी हेतु

5 दिवसीय नि:शुल्क कार्यशाला 12 July-16 July Time: 11:30am

द्वारा जोजो मैथ्यू, मनोज कुमार सिंह, मनीष गौतम, शरद त्रिपाठी एवं ए. सिंह

इतिहास	YD Misra
हिन्दी साहित्य	सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ द्वारा
भूगोल	ALS Team
लोक प्रशासन	ALS Team

सभी बैच प्रारंभ 28 जून एवं 12 जुलाई

IAS 2011 Results | Total selections 201+ | 23 in top 100, 42 in top 200

सिविल सेवा परीक्षा 2011 में सफल अभ्यर्थियों को संस्थान की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं

ALS ADMISSION ENQUIRY: 9999343999, 9810312454, 9810269612, 9910602288, 9910600202

ALS Alternative Learning Systems | IAS Study Circle interactions Shaping dreams into success

Be in touch... Manoj K Singh, Managing Director, ALS

Alternative Learning Systems (P) Ltd. Visit us at: www.alsias.net

Corporate Office: B-19, ALS House, Commercial Complex, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-09.
Ph: 27651110, 27651700. *South Delhi Centre:* 62/4, Ber Sarai, Delhi-16. Ph: 26861313.

YH-98/2011

महाकुंभ की तरह है
भारत में जनगणना का आयोजन

भारत की जनसंख्या इस समय इंडोनेशिया, ब्राज़ील, जापान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की संयुक्त जनसंख्या के लगभग बराबर हो चुकी है। इस बार की जनगणना में कई उत्साहजनक और कई निराश करने वाले परिणाम सामने आए। उत्साहित करने वाली बात यह है कि इस बार हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर पिछले नब्बे सालों में सबसे कम दर्ज की गई, वहीं निराश करने वाली बात यह रही कि यदि इसी प्रकार जनसंख्या की वृद्धि होती रही तो अगले जनगणना परिणाम में हम चीन को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हो जाएंगे। इस साल आए जनगणना परिणामों पर प्रस्तुत है, भारत सरकार के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर चंद्रमौली *से* आशीष कुमार 'अंशु' *की बातचीत के प्रमुख अंश :*

प्रश्नः साल 2011 की जनगणना परिणाम में पिछले जनगणना की तुलना में कौन सी बातें खास रहीं हैं?

उत्तर : पिछली जनगणना के दौरान जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में जनगणना में थोड़ी कठिनाई आई थी जिनका सामना इस बार हमें नहीं करना पड़ा। इस तरह 2011 की जनगणना से प्राप्त आंकड़े पिछली बार की तुलना में अधिक सटीक हैं। इस बार हमें राज्य सरकारों के साथ-साथ स्थानीय जिलाधिकारियों का भी भरपूर सहयोग मिला। प्रत्येक जिलाधिकारी से हमें प्रमाणपत्र मिला कि जनगणना के दौरान सभी क्षेत्रों तक हमारी पहुंच रही। कोई गांव, कस्बा या बस्ती हमारी पहुंच से इस बार बाहर नहीं रही। यह हमारे काम की एक बड़ी उपलब्धि है।

प्र.: क्या आपके कहने का अर्थ यह निकाला जा सकता है कि इस बार जो परिणाम सामने आएं हैं, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है और इस बार की जनगणना सौ फीसदी सफल है?

उ.: हमारे देश की आबादी एक अरब से भी अधिक है। इतनी बड़ी आबादी के बीच किया गया किसी प्रकार का सर्वेक्षण शत-प्रतिशत ठीक होगा, यह दावा करना किसी के लिए भी कठिन है। निश्चित तौर पर कुछ लोग छूटे होंगे, अलग-अलग कारणों से। मेरा अनुमान है कि एक से दो प्रतिशत तक लोग छूटे होंगे। पिछली बार यह आंकड़ा लगभग 2.2 प्रतिशत लोगों का था। अब एक और सर्वेक्षण करेंगे, जिसके बाद हमारे विशेषज्ञों की टीम बता पाएगी कि इस बार हमारे सर्वेक्षण में हमारी पहुंच से कितने लोग दूर रहे।

प्र.: पहली बार जनगणना के दौरान जीआईएस (ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम- भू-सूचना प्रणाली) तकनीक का उपयोग किया गया। इसका किस प्रकार का अनुभव रहा?

उ.: यह तकनीक बेहद उपयोगी है। इसके माध्यम से मैपिंग और जनगणना कार्यक्रम को लेकर रणनीति बनाने में बहुत मदद मिली। यह गूगल मैप से भी अधिक स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध कराता है। इस बार प्रयोग के तौर पर हमने इसका उपयोग देशभर के राज्यों की राजधानी में जनगणना के लिए किया। कुल 33 राजधानियों में यह उपयोग में लाया गया। महंगा होने के कारण इस तकनीक को पूरे देश में लागू तो नहीं किया जा सकता लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अगली बार राजधानियों के साथ-साथ कुछ और बड़े शहरों को भी जीआईएस के साथ जोड़ा जाए।

प्र.: प्रत्येक दस सालों में जनगणना परिणाम का आना किसी महाकुंभ की तरह ही है। इसकी तैयारी किस प्रकार से करते हैं?

उ.: जनगणना को लेकर जो वास्तविक काम है वह अंतिम तीन सालों में ही होता है। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम यह तय करती है कि इस बार जनसंख्या प्रश्नावली में कौन-सा सवाल जोड़ना है और कौन-सा छोड़ना है। सवालों पर अंतिम और मान्य निर्णय गृह मंत्रालय का होता है। सवालों को लेकर गांव और शहरों के अंदर देशभर में एक नमूना सर्वेक्षण भी कराते हैं जिससे यह समझ में आता है कि किस तरह के सवाल देशभर के लोगों से पूछे जा सकते हैं। सवाल तैयार करते वक्त प्राथमिकता इस बात की होती है कि तैयार सवाल का जवाब सही सही देने में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का संकोच न हो। मसलन, किसी व्यक्ति की आमदनी पूछी जाए तो हो सकता है कि वह सही जवाब न दे। इसलिए इस तरह के सवाल

जनगणना में शामिल ही नहीं किए जाते। इसी प्रकार देश को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटना और उन सबके मानचित्र को जुटाना भी हमारी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सारा काम इस बार हम लोगों ने 31 दिसंबर, 2009 तक पूरा कर लिया था।

प्र.: आप जनगणना की वास्तविक चुनौती किसे मानते हैं?

उ.: जनगणना की पूरी प्रक्रिया ही चुनौतीपूर्ण है चूंकि इसके साथ देश के विकास से संबंधित बहुत सारी नीतियों के निर्धारण का मामला जुड़ा होता है। जरा अंदाजा लगाइए, इन आंकड़ों को सही-सही जुटाया जाए इसके लिए देशभर में 27 लाख लोग अपना समय और श्रम लगाते हैं जिनमें 25 लाख लोगों की जिम्मेवारी तो सीधा-सीधा जनगणना करना होता है और शेष दो लाख लोगों की जिम्मेवारी पूरी प्रक्रिया पर अलग-अलग स्तर पर नज़र रखने से लेकर इस काम में जुटे लोगों को प्रशिक्षित करने की होती है। जनगणना को लेकर दिशा-निर्देश हम अठारह भाषाओं में छाप रहे हैं और सोलह भाषाओं में प्रश्नपत्र छपता है। इन कामों में कुल बारह हजार टन काग़ज लगता है। चौसठ करोड़ फॉर्म देशभर में भरे जाते हैं। यदि फॉर्म के वितरण में जरा सी भी चूक हो गई और केरल जाने वाले फॉर्म उत्तर प्रदेश चले गए तो सोचिए क्या होगा? इसी प्रकार तमिलनाडु का एक ताल्लुका है, जहां तमिल, मराठी, तेलुगू और उर्दू बोलने वाली जनसंख्या रहती है। अब जिन्हें वहां उर्दू आती है, वे तेलुगू नहीं बोल सकते और जिन्हें तमिल आती है वे मराठी नहीं समझते। इस तरह सभी केंद्रों पर सही प्रकार से फॉर्म का बंटना चुनौती जैसा ही है। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने अपनी क्रियाविधि विकसित की है जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम ही होती है। यह फॉर्म देशभर में तय सतरह हजार केंद्रों पर भेजी जाती है।

प्र.: यह अक्सर सुनने में आता है कि जनगणना के दौरान जो व्यक्ति अपना नाम लिख पाता है, उसका नाम साक्षर के तौर पर दर्ज़ किया जाता है। क्या आप इस तरह की व्यवस्था से सहमत हैं?

उ. जो व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है, उसे साक्षर मानने की बात से किसी की सहमति नहीं हो सकती है। जनगणना के दौरान भी ऐसे लोगों को साक्षर के तौर पर नहीं जोड़ा जाता। साक्षर को लेकर हमारा स्पष्ट मत है कि राईटिंग-रीडिंग-अंडरस्टैंडिंग (लिखना-पढ़ना-समझदारी) अच्छी हो, उसके बाद ही उसे साक्षर के तौर पर नामित किया जाता है। इसीलिए सात साल से कम के बच्चे को कभी फॉर्म में साक्षर नहीं दिखलाया जाता। भले ही वह लिखना-पढ़ना दोनों जानता हो।

प्र.: दुनिया के दूसरे देशों में होने वाली जनगणना के आलोक में यदि हम भारत की बात करें तो इसकी जनगणना की सबसे खास बात क्या है?

उ.: यहां की जनगणना की खासियत यह है कि यहां अलग-अलग वर्ग के लिए अलग सवाल नहीं हैं। सभी वर्गों के लिए एक-सा सवाल है। सारे सवाल सामान्य हैं। गांव से लेकर शहर-महानगर तक सभी लोगों से एक ही तरह के सवाल यहां पूछे जाते हैं। सवाल करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि सवाल साधारण हों और जवाब देने वाले को उसके सही जवाब देने में किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति न बने।

प्र.: जनगणना के लिए शिक्षकों को लिए जाने के पीछे कोई खास वजह? जनगणना के दौरान गांवों में स्कूल बंद होते हैं और बच्चों की पढ़ाई में बाधा आती है, वह अलग। क्या आपके पास इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है?

उ.: हम लोगों ने इस पर विचार किया है। कुछ सुझाव भी आए जैसे एक सुझाव तो यह है कि जिन युवकों के पास काम नहीं है, उन्हें इससे जोड़ा जाए। चूंकि जनगणना के लिए गए युवकों को घर के अंदर प्रवेश मिलता है, इससे विधि-व्यवस्था का सवाल हमेशा बना रहेगा। यदि इस काम में जनसंख्या नियंत्रण की टीम को लगाएं तो जनसंख्या संबंधी उनके पूर्वाग्रह जनगणना में शामिल हो सकते हैं। यदि जल विभाग के लोगों को जोड़ें तो जल से संबंधित जानकारी हमारे पास पक्की आएगी, इस बात पर विश्वास करना कठिन है। शिक्षकों को अपने साथ जोड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका समाज में बहुत सम्मान होता है। उनका सभी परिवारों के साथ उठना-बैठना है और उनके लिए यह विश्वास किया जा सकता है कि यदि कोई शिक्षक है तो वह पूर्वाग्रह से मुक्त होगा। जहां तक छुट्टी की बात है तो हमारी तरफ से दिया जाने वाला काम अधिक नहीं होता। हम तो यही चाहते हैं कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ ही शाम का थोड़ा वक्त निकाल कर इस फॉर्म को भरें। चूंकि छह सौ की आबादी पर एक महीने में एक सौ पच्चीस से डेढ़ सौ फॉर्म भरने होते हैं। जिन शिक्षकों को अपने घर से दूर सर्वेक्षण के लिए जाना होता है, उनकी संख्या कम है।

प्र.: जनगणना के नतीज़ों में यदि कुछ संतोषजनक और कुछ असंतोषप्रद नतीज़ों की बात करें तो वे कौन से परिणाम हैं?

उ.: पहली बात तो यह कि अभी जो परिणाम आए हैं, वे अंतिम नहीं हैं। यह अस्थायी जनसंख्या आंकड़ा है। पिछले साल अंतिम रिपोर्ट आने में पांच साल का वक़्त लगा था। इस बार हमारी कोशिश है कि इसे दो सालों में 2013 तक आप लोगों के बीच ले आएं। जनगणना के शुरुआती नतीज़ों पर बात करें तो लिंग अनुपात के बीच जो फासला था, उसका कम होना सबसे बड़ी खुशी की बात है। प्रजनन दर में भी कमी आई है, जनसंख्या के बढ़ोतरी की जो दर है, उसमें कमी दिखाई दे रही है। देश में स्त्री और पुरुष दोनों के बीच साक्षरता का बढ़ना वास्तव में बेहद उत्साह बढ़ाने वाला है। वैसे बच्चों के बीच लिंग अनुपात का बिगड़ना चिंताजनक भी है। वैसे इस विरोधाभास को कैसे समझा जाए कि एक तरफ तो लड़कियों में शिक्षा की दर बढ़ रही है। वे विभिन्न क्षेत्रों में लगातार आगे आ रहीं हैं, सफल हो रहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं। एक तरफ हम यह कहते हुए नहीं थकते कि स्त्री-पुरुष में भेदभाव बीते जमाने की बात हो गई है। हम आगे बढ़ते भारत में जी रहे हैं जहां दकियानूसी ख्यालों के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ हमें जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, वे इन दावों को झुठलाते हैं। आबादी की घनत्व का बढ़ना भी एक बड़ी समस्या है। वर्तमान में प्रतिवर्ग किलोमीटर पर लगभग 57 लोग रहते हैं। हमारे पास संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या घनत्व के बढ़ने से हमारे जीवनस्तर में गिरावट आना तय है। एक खास बात और, 2011 की जनगणना परिणाम में पहली बार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में जनसंख्या विकास दर में कमी दर्ज़ की गई है। ❑

बाल लिंग अनुपात : उभरते प्रतिमान

● सरस्वती राजू

जनगणना के परिणाम पर आई प्रथम प्रक्रिया पर नज़र डालना दिलचस्प होगा। जनसंख्या की वृद्धिदर में ह्रास और साक्षरता दर में वृद्धि खुशी मनाने के पर्याप्त कारण हैं। यह तथ्य निराशाजनक है कि भारत अभी भी कन्याओं के जन्म लेने के प्रति अनिच्छुक है। 0-6 उम्र समूह के औपबंधिक आंकड़े बताते हैं कि 2011 में लिंग-अनुपात सबसे कम रहा। लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या में ह्रास शिशु लिंग अनुपात (सीएसआर) की तरफ पिछले दो दशकों के दौरान, ख़ासकर 1991 के बाद से, देश का ख़ास ध्यान गया है जब 7 वर्ष से कम आयु समूह की जनसंख्या का आंकड़ा प्रकाशित किया गया। विडंबना यह है कि साक्षरता का आंकड़ा अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं लाया जा सका है, फिर भी आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर 1000 बालकों पर 945 बालिकाएं हैं जो पूर्व के 1000 बालकों पर 950 बालिकाओं की संख्या से 5 कम है। 2001 की जनगणना से राष्ट्रीय स्तर पर बाल लिंग अनुपात में 18 बिंदु के ह्रास का पता चला था। तब यह अनुपात 925 था। कुछ क्षेत्रों में, ख़ासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिशु लिंग अनुपात 850 था जबकि कुछ समृद्ध राज्यों, यथा– पंजाब (-77), हरियाणा (-60) तथा गुजरात (-45) पिछले दशक के दौरान बालिकाओं की संख्या में ह्रास की प्रवृत्ति की दृष्टि से शीर्ष पर थे। दिल्ली (-47) एवं चंडीगढ़ (-54) की स्थिति भी बेहतर नहीं थी (देखें तालिका-1)।

प्रारंभिक चरणों में बालिकाओं की चुनिंदा रूप से कम गणना, कुछ गर्भपातों एवं मृत्युदर को जनसंख्या में बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या कम होने के कारण गिनाए जाते थे। हालांकि शिशु लिंग अनुपात बालकों के पक्ष में इन्हीं कारणों से विषम था। अब प्रौद्योगिकी की उपलब्धता एवं पहुंच के फलस्वरूप व्यापक जागरुकता पैदा हुई है जिससे अजन्मे शिशु के लिंग का पता लगाना आसान हो गया है। इसे भी जन्म के समय लिंग-अनुपात (एसआरबी) पर कायम असंतुलित प्रभाव का कारण माना गया है, जिसका शिशु-लिंग अनुपात (सीएसआर) पर अंततः असर पड़ता है।

जैसाकि जॉन (2011) ने इंगित किया है, 1980 के दशक के प्रारंभ में महाराष्ट्र, दिल्ली एवं पंजाब में ऐसे लिंग निर्धारण के ख़िलाफ़ कुछ अभियान चले, हालांकि उन अभियानों को मामूली जनसमर्थन मिला था। इसके विपरीत, वर्तमान दशक में शिशु-लिंग अनुपात में ह्रास के ख़िलाफ़ व्यापक चिंता प्रकट की जा रही है। ऐसी चिंता प्रकट करने वालों में विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, नागरिक समुदाय के सदस्य तथा नीति-निर्धारक शामिल हैं। इसके बाद की नीति सहित विभिन्न आलोचनाओं एवं पीएनडीटी द पेरेंटल डायग्नोस्टिक्स (रेगुलेशन एंड प्रीवेंशन ऑफ मिसयूज), कानून पर सख्ती से अमल की कोशिशों के बाद 2011 के जनगणना संबंधी आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार था। हालांकि स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव न आने की आशंका पहले से ही थी।

हालांकि बालिकाओं की संख्या में ह्रास जारी है, 2011 की जनगणना से पता चला है कि उसकी संख्या में गिरावट की रफ़्तार में कमी आई है। अब यह ह्रास 13 बिंदुओं का है। फिर भी 2001 में बालिकाओं की संख्या में सबसे

तालिका-1

शिशु लिंग अनुपात (एसएसआर) 1991, 2001 एवं 2011

				अंतर	अंतर
राज्य	**1991***	**2001**	**2011**	**2001-1991**	**2011-2001**
भारत	**945**	**927**	**914**	**-18**	**-13**
आंध्र प्रदेश	975	961	943	-14	-18
अरुणाचल प्रदेश	982	964	960	-18	-4
असम	975	965	957	-10	-8
बिहार	953	942	933	-11	-9
छत्तीसगढ़	984	975	964	-9	-11
दिल्ली	915	868	866	-47	-2
गोवा	964	938	920	-26	-18
गुजरात	928	883	886	-45	+3
हरियाणा	879	819	830	-60	+11
हिमाचल प्रदेश	951	896	906	-55	+10
जम्मू-कश्मीर	उपलब्ध नहीं	941	859	–	-82
झारखंड	979	965	943	-14	-22
कर्नाटक	960	946	943	-14	-3
केरल	958	960	959	2	-1
मध्य प्रदेश	941	932	912	-9	-20
महाराष्ट्र	946	913	883	-33	-30
मणिपुर	974	957	934	-17	-23
मेघालय	986	973	970	-13	-3
मिजोरम	969	964	971	-5	+7
नगालैंड	993	964	944	-29	-20
ओडिशा	967	953	934	-14	-19
पंजाब	875	798	846	-77	+48
राजस्थान	916	909	883	-7	-26
सिक्किम	965	963	944	-2	-19
तमिलनाडु	948	942	946	-6	+4
त्रिपुरा	967	966	953	-1	-13
उत्तराखंड	949	908	886	-41	-22
उत्तर प्रदेश	927	916	899	-11	-17
पश्चिम बंगाल	967	960	950	-7	-10
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	973	957	966	-16	+9
चंडीगढ़	899	845	867	-54	+22
दमन एवं दीव	958	926	909	-32	-17
दादर एवं नागर हवेली	1013	979	924	-34	-55
लक्षद्वीप	941	959	908	+18	-51
पुडुचेरी	963	967	965	+4	-2

स्रोत : पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, 2006 तथा भारत की जनगणना, 2001 और 2011*
(अस्थायी जनसंख्या तालिका)

तालिका-2

शिशु लिंग अनुपात (सीएसआर) 2001 एवं 2011 पर राज्य एवं जिलावार एक नज़र

राज्य	2001 एवं 2011 में <850	2001 में <850 2011 में ≥850	2001 में >850 2011 में ≤850	2011 में नये जिले
अरुणाचल प्रदेश				कुरुंग कुमे (978), लोअर दिबांग घाटी (945), अंजाब (954)
असम				चिरांग (958), कामरूप महानगर (994), बक्सा (962), उदलगिरी (965)
बिहार				अरवल (941)
चंडीगढ़		चंडीगढ़		
छत्तीसगढ़				नारायणपुर (975), बीजापुर (978)
दिल्ली (एनसीटी)	दक्षिण-पश्चिम दिल्ली			
गुजरात	मेहसाना, गांधी नगर,		सूरत	तापी (944)
हरियाणा	अम्बाला, यमुना नगर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी रोहतक, झज्जर, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी	पंचकूला, सिरसा	गुड़गांव, फरीदाबाद	अब गुड़गांव (826) में विभाजन, मेवात (903), अब फरीदाबाद (842) में विभाजन, पलवल (862)
हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा, ऊना			
जम्मू-कश्मीर	जम्मू, कठुआ		बड़गांव, अनंतनाग राजौरी	बांदीपुर (893), गंदेरबल (863), शोपियां (883), कुलगाम (882), रामबन (931), किश्तवार (922), रियासी (921), सांबा (787)
झारखंड				लावेझर (964), रामगढ़ (926), जामतारा (948), खूंटी (951), सिमडेगा (975), सरायकेला खरसावां (937)
कर्नाटक				यादगीर (942), चिक्कबलापुर (945), रामनगरा (960)

राज्य	2001 एवं 2011 में <850	2001 में <850 2011 में ≥850	2001 में >850 2011 में ≤850	2011 में नये जिले
मध्य प्रदेश	मोरैना, भिंड		ग्वालियर	अशोक नगर (914), अनूपपुर (943), सिंगरौली (921) अलीराजपुर (971) बुरहानपुर (921)
महाराष्ट्र	कोल्हापुर		जलगांव, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, बिड	
पंजाब	गुरदासपुर, अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, मुक्तसर, मनसा, संगरूर, पटियाला	कपूरथला, जालंधर, नवांशहर, होशियारपुर, रूपनगर, लुधियाना, मोगा, फरीदकोट, भटिंडा		तरणतारण (819), बरनाला (847), साहिबजादा अजित सिंह नगर (842)
राजस्थान			झुंझुनू, करौली, सीकर	प्रतापगढ़ (926
तमिलनाडु				कृष्णगिरी (924), तिरुपुर (951)
उत्तर प्रदेश			गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा	कांशीराम नगर (888)
पश्चिम बंगाल				अब पश्चिमी मेदिनीपुर (952) में विभाजन, पुरबा मेदिनीपुर (938)
अंडमान निकोबार द्वीप समूह				अब नार्थ एवं मिडल अंडमान जिले (917) में विभाजन, साऊथ अंडमान जिला (961)

- ऐसे राज्य जिनके जिलों की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है और जहां अनुपात 850 से नीचे है : आंध्र प्रदेश, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा
- ऐसे राज्य जहां 2011 में जिलाविहीन आंकड़े उपलब्ध हुए : नगालैंड, लक्षद्वीप एवं उत्तराखंड
- **नोट :** करीब 47 जिले 2011 में सृजित हुए। करीब 24 जिले- जम्मू-कश्मीर के 8, बिहार का 1, अरुणाचल प्रदेश के 3, असम के 3, पश्चिम बंगाल के 1, छत्तीसगढ़ के 2, गुजरात के 1, कर्नाटक के 3, तमिलनाडु के 1 तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 जिले अपने संबंधित जिलों के साथ जोड़े गए ताकि 2001 के अनुसार 2011 के शिशु लिंग अनुपात (सीएसआर) का समंजन किया जा सके। जिन मामलों में विभिन्न जिलों से हिस्से काटकर नये जिले सृजित किए गए हैं वहां के आंकड़े तुलनीय नहीं माने गए। ऐसे जिलों के नाम तालिका में शामिल नहीं किए गए हैं। इनमें 4 जिले हैं। ऐसे एक-एक जिले पंजाब, राजस्थान, असम एवं तमिलनाडु के हैं। जिन मामलों में केवल एक जिले का विभाजन हुआ उसके आंकड़ों की तुलना ठोस आंकड़े के अभाव में नहीं की जा सकती। ऐसे जिलों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। ऐसे 16 जिले हैं। इनमें 6 झारखंड, 5 मध्य प्रदेश, 2 पंजाब एवं 2 हरियाणा तथा 1 उत्तर प्रदेश के हैं। नगालैंड के 3 जिलों की 2011 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए।

ज्यादा ह्रास वाले राज्यों– हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के साथ-साथ दिल्ली एवं चंडीगढ़ में शिशु-लिंग अनुपात (सीएसआर) में सुधार आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि न सिर्फ़ हरियाणा एवं पंजाब के अधिसंख्य जिले 850 एवं उससे नीचे के शिशु-लिंग अनुपात (सीएसआर) की श्रेणी में बने हुए हैं, बल्कि हरियाणा के शहरीकृत फरीदाबाद एवं गुड़गांव जिले भी इसी श्रेणी में आ गए हैं। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में शिशु-लिंग अनुपात (सीएसआर) की बदतर स्थिति है (देखें तालिका-2)। संक्षेप में निराशाजनक शिशु-लिंग अनुपात (सीएसआर) का पुराना प्रतिमान प्राय: स्थिर है अथवा पिछले दशकों के दौरान उसमें कुछ बदलाव आया है, परंतु कुछ नये क्षेत्र भी हैं जहां शिशु-लिंग अनुपात (सीएसआर) में चिंताजनक रूप से ह्रास हो रहा है। इनमें ऐसे विशिष्ट समुदाय अथवा क्षेत्र शामिल नहीं हैं जहां निम्न शिशु-लिंग अनुपात (सीएसआर) की प्रवृत्ति कायम नहीं है।

जन्म के समय का लिंगानुपात (एसआरसी) की प्रति 100 कन्याओं के जन्म के आधार

पर बालक के जन्म की संख्या परंपरागत रूप से निर्धारित की जाती है। 100 कन्याओं पर 105 बालकों के जन्म को आमतौर पर सामान्य माना जाता है। भारत में हाल के दिनों में इस अनुपात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। नमूना पंजीयन प्रणाली (एसआरएस) में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1980 के दशक में जन्म के समय का लिंग अनुपात (एसआरबी) क़रीब 110 था। 2005 से 2007 के तीन वर्षों के औसत आंकड़े के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय का लिंगानुपात (एसआरबी) 100 कन्याओं पर 111 बालकों का था। आंकड़ों एवं विभिन्न स्रोतों- यथा जनगणना, नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) एवं राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) के मुद्दे पर अलग-अलग हैं, परंतु यह आम सहमति है कि 1990 के दशक के प्रारंभ में जन्म से जुड़ा लिंगानुपात (एसआरबी) क्रमशः कन्याओं के अनुकूल होता गया। 2000 के बाद फिर उसमें ह्रास एवं वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। औसत अनुपात में व्यापक क्षेत्रीय आधार पर अंतर पाया गया है। जैसाकि कुलकर्णी ने बताया है, उपर्युक्त विभिन्न वर्षों के दौरान ही जन्म से जुड़े लिंगानुपात में अंतर पाया गया है। यह केरल में जहां 104.4 था वहीं पंजाब में 119.5 है। आमतौर पर भारत के दूसरे क्षेत्रों क तुलना में उत्तर-पश्चिमी इलाकों में जन्म से जुड़ा लिंगानुपात (एसआरबी) ज्यादा रहा है। जन्म से जुड़ा लिंगानुपात (एसआरबी) हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा जम्मू-कश्मीर में (कुलकर्णी-2010) अपेक्षा कृत आम रहा है। हालांकि दक्षिणी राज्यों में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति रही है। यह देखा जा सकता है कि उत्तर-दक्षिण के बीच के अंतर के कारक तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं।

शिशु लिंग अनुपात (सीआरआर) में ह्रास समृद्ध एवं ग़रीब राज्यों के विभाजन क्षेत्र में व्यापक रूप से रहा है जैसे एक तरफ पंजाब, हरियाणा है तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश एवं दूसरे राज्य हैं। हालांकि खालिस निष्कर्ष यह है कि शिशु लिंग अनुपात में ह्रास की प्रवृत्ति कायम हो गई है, परंतु इसकी प्रक्रिया अलग-अलग है। पांच उत्तरी राज्यों- हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के पूर्व के अध्ययन से पता चलता है कि हरियाणा, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश जैसे अधिक समृद्ध राज्यों ने मुख्यतः गर्भपात के माध्यम से अपने बच्चों का लिंग-संयोजन नियंत्रित कर लिया है, जबकि मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में जन्म के बाद बालिकाओं की उपेक्षा का असर मृत्युदर एवं लिंग चयन की बढ़ती प्रवृत्ति पर पड़ा है (जॉन, 2008)।

950 के नीचे के शिशु लिंग अनुपात वाले जिलों के अचानक विस्तार के बारे में तब तक कुछ कहना आसान नहीं होगा जब तक कि अधिक विवरण प्राप्त न हो जाएं जैसे- ग्रामीण एवं शहरी विवरण, परंतु 2011 की जनगणना के आंकड़े इस तथ्य पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि शिशु लिंग अनुपात (सीएसआर) में ह्रास का कारण सुसंपन्न एवं आधुनिक शहरीकृत पृष्ठभूमि के बीच संपर्क का परिणाम है। उदाहरण के लिए पूर्व का फरीदाबाद जिला (2001) अब फरीदाबाद एवं पलवल में बंट गया है। इसमें फरीदाबाद, जो निश्चित रूप से दोनों जिलों में अधिक उन्नत है, में शिशु लिंग अनुपात (सीएसआर) 842 है जबकि पलवल में 862 है। इसी तरह गुड़गांव अब दो भागों में बंट चुका है- गुड़गांव एवं मेवात। गुड़गांव में जहां शिशु लिंग अनुपात 826 है वहीं मेवात में 903 है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अन्य विभाजित जिलों में भी यही स्थिति है।

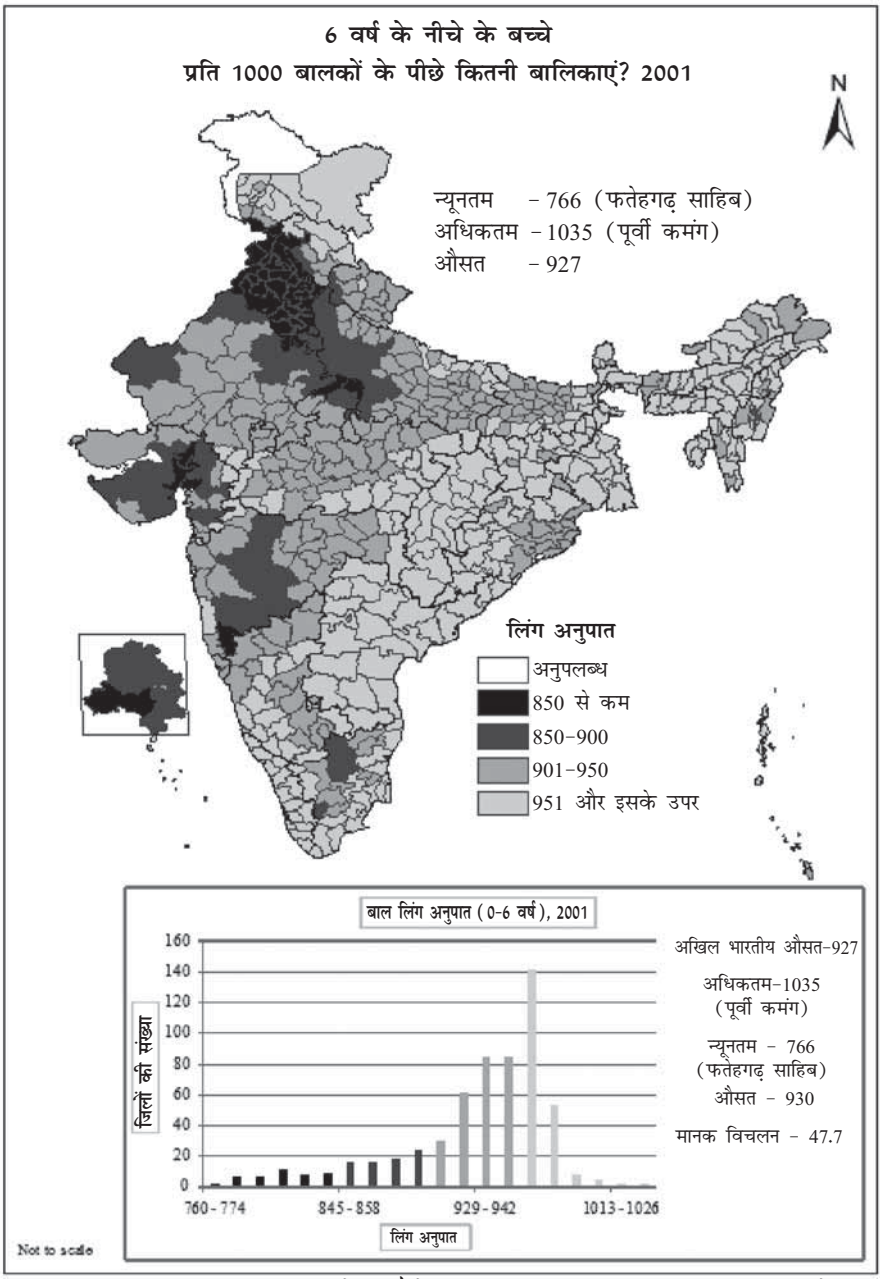

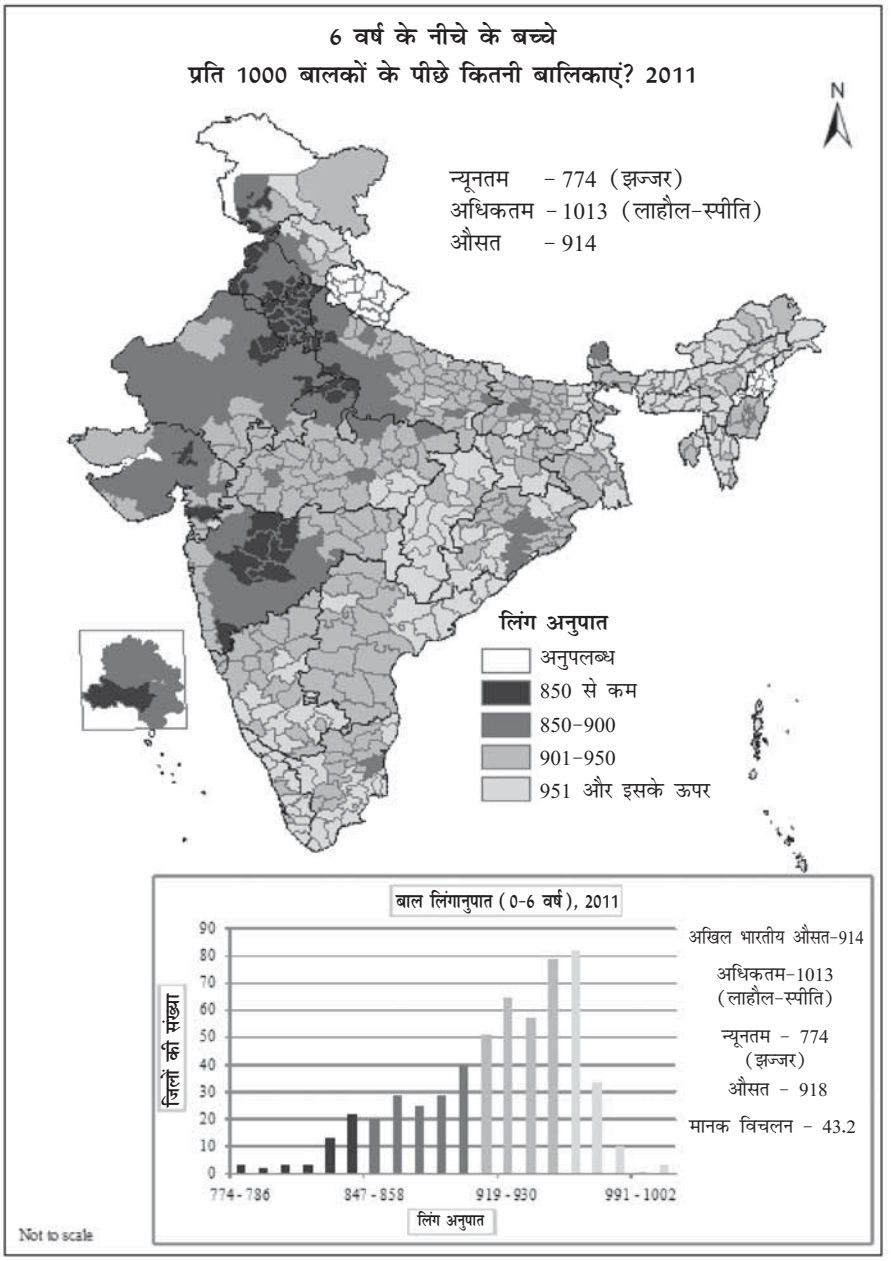

कई जटिल एवं सूक्ष्म कारक इनके लिए जिम्मेदार हैं। कुछ विकास संबंधी साधनों के प्रति असावधानी से वर्तमान स्थिति पैदा हुई है। पहले दंपत्ति तब तक बच्चे पैदा करती रहती थी जब तक कि उन्हें वांछित पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती थी। अब वह तकनीक आ गई है जिससे आप अजन्मे बच्चों के लिंग का निर्धारण कर सकते हैं और अनेक गर्भधारण किए बिना ही वांछित लिंग चयन किया जा सकता है। आदर्श संयोजन एक पुत्र एवं एक पुत्री का होता है और अधिकतर परिवार वहीं विराम कर देते हैं। लेकिन अगर प्रथम दो बच्चे बालक ही हुए तो परिवार तीसरे बच्चे की चाह नहीं करते। चाहे वह लड़का हो या लड़की। इसके विपरीत इसकी ज्यादा संभावना रहती है कि प्रथम दो लड़कियों वाले परिवार कम से कम एक लड़के की चाह रखें। एनएफएचएस-1, एनएफएचएस-2 तथा एनएफएचएस-3 पर आधारित अध्ययनों से जिनमें 78,449 प्रथम जन्म, 70,321 द्वितीय जन्म तथा 48,243 तृतीय जन्म के आंकड़े शामिल हैं, द्वितीय जन्म वाले आंकड़े, यदि प्रथम जन्म में लड़की हुई तो यह बताते हैं कि 1990 एवं 2005 के बीच 0.52 प्रतिशत लिंग अनुपात में ह्रास हुआ। तीसरे जन्म के आंकड़े, यदि प्रथम दो कन्याएं हुईं तो और कम हैं।

ऐसी पसंद लिंग-केंद्रित क्यों रही, यह एक दिलचस्प मुद्दा है। कोई भी दंपति इस पसंद पर चुनिंदा तरीक़े से अमल करता है। उसकी यह सोच छोटे परिवार के मानदंड पर आधारित होती है जो आधुनिकता से जुड़ा मुद्दा है। इसके लिए जिम्मेदार माहौल एवं महिलाओं को शिक्षा, रोजगार एवं वित्तीय आजादी का अधिकार देने के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। उन्हें स्वायत्ता प्रदान करने, फैसला लेने तथा विकास प्रक्रिया में शामिल करने की बातें कही गई हैं। लेकिन अनेक अध्ययनों से यही तथ्य जानने में आया है कि महिलाओं की शिक्षा अथवा उनके रोज़गार का स्तर उनको पसंद की आजादी देने के रूप में साकार नहीं हो सका है। पसंद की धारणा अपने आप में एक उपाय है।

तथाकथित पसंद प्राचीन सामाजिक स्थिति एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करने की है जिसमें खुद महिलाएं पुत्रों को प्राथमिकता देने की परंपरा पर चल रही हैं।

हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र में सामूहिक कठिनाइयों के फलस्वरूप इस मामले में कुछ सफलता मिली है जब वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक वातावरण ने सामाजिक माहौल पैदा कर लैंगिक समस्याओं के राजनीतिक उपाय कराए हैं और प्रजनन के मामले में समानतावादी सोच पैदा की है जिससे परिवार में कायम विषम शक्ति संतुलन को लेकर आम चर्चा शुरू हो गई है। अब प्रजनन संबंधी फैसले विशिष्ट एवं समग्र पृष्ठभूमि में स्वतंत्र नहीं रह गए हैं। अनेक समानांतर प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं जो हमेशा निजी फैसलों तक सीमित नहीं रही हैं। कुछ प्रगतिशील उपाय अब अमल में आए हैं जो परंपरागत व्यवहारों के ख़िलाफ़ कारगर साबित हो रहे हैं। विवाह की आयु सीमा में वृद्धि तथा लड़कियों में शिक्षा के प्रसार का यह फल हुआ है कि परिवार लड़कियों में दीर्घकाल के लिए भी निवेश करने लगे हैं। प्राय: शादियां व्यापक रूप धारण कर रही हैं। वे सामाजिक स्तर से जुड़ती जा रही हैं और दहेज प्रथा में कमी के कोई लक्षण नहीं दिखते।

'बेटियां किसी और की अमानत हैं' अथवा 'वे ससुराल चली जाएंगी' कहने का मतलब यह हे कि उनमें किए गए निवेश का लाभ किसी और को मिलता है, इसलिए उसे एक बोझ के रूप में देखा जाता है जिसका परिहार किया जा

सकता है (जॉन, 2008)। पुत्रियों को अधिक मददगार एवं ख्याल रखने वाली माने जाने के बावजूद पुत्रों से सामाजिक पहचान मिलने संबंधी प्राचीन धारणा अब भी कायम है। यह तर्क दिया जा सकता है कि ये सामाजिक बदलाव भारत के विभिन्न हिस्सों में आ रहे हैं- उन हिस्सों में भी जिनके पास लिंग निर्धारण कर गर्भपात करने की तकनीक भी उपलब्ध है। फिर भी अभी तक देश के कई हिस्से हैं– दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और उत्तर-पूर्व जिनके पास बेहतर शिशु लिंग अनुपात (सीएसआर) उपलब्ध है। इससे साफ़ है कि तकनीक वर्तमान मानदंड के अनुरूप काम करती है न कि अकेले बालिका बनाम बालक, पुरुष और महिलाओं के सापेक्ष मूल्यों एवं सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में।

अनेक मुद्दे समाज में एक पूर्ण नागरिक के रूप में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और उनके सर्वांगीण कल्याण से संबंधित हैं, परंतु उनके अधिकार की दृष्टि से व्यक्तिगत रूप से जो मुद्दे हैं उनमें शिक्षा की उपलब्धता एवं जीविकोपार्जन और प्रजनन के समय देखभाल सहित उन्हें उपलब्ध जनस्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं।

समाज में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और अभिभावक परंपरागत देखभाल के लिए अपने पुत्रों के भरोसे हैं। ऐसी वास्तविक अथवा अपेक्षित निर्भरता के मुद्दे की तरफ सुनियोजित ढंग से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी का प्रावधान संविधान के 41वें अनुच्छेद में किया हुआ है। हालांकि यह राज्य का विषय है, परंतु बुजुर्गों के प्रति मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। बुजुर्गों की मदद से संबंधित अनेक पुरानी सार्वजनिक नीतियों के दायरे में कुछ ही मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा, पात्रता नियम अक्सर जटिल होते हैं जबकि पेंशन की राशि काफी कम होती है। बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए संस्थागत मदद समय की नितांत ज़रूरत है जिसमें वहनयोग्य व्यापक जरा-चिकित्सा (गेरीयाट्रिक केयर) संबंधी देखभाल शामिल है। कुछ मिथकों को तोड़े जाने की ज़रूरत है। पुत्रियां शादी के बाद घर छोड़ देती हैं परंतु क्या पुत्र भी ऐसा नहीं करते हैं? वास्तव में कई पुत्रियां वित्तीय रूप से अपने अभिभावकों की मदद करती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। इस आयाम की सुव्यवस्थित ढंग से अनावृत किए जाने की ज़रूरत है और इसे व्यापक स्तर पर कानूनसम्मत बनाने के लिए इस ओर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है।

अक्सर लिंग-आधारित गर्भपात के मुद्दे को गर्भपात के अधिकार के आधार पर उलझा दिया जाता है। गर्भपात का अधिकार प्रजनन अधिकार के संदर्भ में विस्तृत बहस का मुद्दा है जबकि लिंग-आधारित गर्भपात लड़कियों के ख़िलाफ़ सामाजिक रूप से विमुखता एवं पुत्रों के प्रति प्राथमिकता का मुद्दा है।

कानूनी प्रावधान इसका समाधान नहीं हैं। आमलोग व्यापक स्तर पर कानूनी एवं संस्थागत प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं। कुछ सुझाए गए उपाय दीर्घकालिक हैं। तात्कालिक उपाय स्वास्थ्य सेवा में लगे लोगों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं इस प्रणाली से जुड़े दूसरे लोगों के बीच कायम सांठ-गांठ के ख़िलाफ़ कदम उठाना है जिन्होंने लिंग-आधारित गर्भपात को सुगम बना रखा है। हालांकि पीएनडीटी कानून के उल्लंघन के मामले नियमित रूप से दर्ज़ कराए जाते हैं, उन पर कार्रवाई एवं मुक़दमे शायद ही दायर होते हैं।

निस्संदेह, लड़कियों की घटती संख्या की समस्या जटिल एवं बहुस्तरीय प्रकृति की है और इसके लिए विभिन्न स्तरों पर बहुस्तरीय एवं पृष्ठभूमि विशेष पर आधारित कदम उठाए जाने, विभिन्न स्तरों पर गैर-समझौतावादी सामाजिक प्रतिबद्धता दिखाने तथा इस राष्ट्रीय शर्म के निवारण के लिए मिशन की तरह का संगठित प्रयास करने की ज़रूरत है। ❑

(लेखिका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली के क्षेत्रीय विकास अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर हैं।

ई-मेल : saraswatiraju@hotmail.com)

सदस्यता कूपन

नयी सदस्यता / नवीकरण / पता बदलने के लिए (जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं ..... (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का ❑ वार्षिक (₹ 100) ❑ द्विवार्षिक (₹ 180)

❑ त्रिवार्षिक (₹ 250) सदस्य बनने का इच्छुक हूं। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता :.....

.....

पिन .....

नवीकरण/पता बदलने के लिए कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें :.....

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर ***अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग*** के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ इस पते पर भेजें :

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-IV, सातवां तल, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स

PALI

रजनीसो तोमरो

जिनके निर्देशन में इस वर्ष शानदार सफलता

Preety Verma
Rank - 739
Paper 1 - 182
Paper 2 - 162
Total - 344

Abhijeet Singh
Rank - 773
Paper 1 - 156
Paper 2 - 181
Total - 337

Navneet Agrawal
Rank. 362
Paper 1 - 164
Paper 2 - 159
Total - 323

Shailesh Bansal
Rank - 597
Paper 1 - 169
Paper 2 - 149
Total - 318

Pankaj Jain
Rank - 592
Paper 1 - 163
Paper 2 - 150
Total - 313

Chitranjan Wagh
Rank - 672
Paper 1 - 135
Paper 2 - 160
Total - 295

Dhammajyoti Gajabhie
Rank - 899
Paper 1 - 144
Paper 2 - 140
Total - 288

कुछ ऐसे छात्र जो अंतिम रुप से सफल नही हुए, परंतु पालि में अच्छे अंक प्राप्त किए

Raghuveer S.Charan Paper 1 - 206 Paper 2 - 166 Total - 372	Jayram Chaurasia Paper 1 - 191 Paper 2 - 157 Total - 348	Satyanarayan Yadav Paper 1 - 178 Paper 2 - 162 Total - 340
Mohd Rehan Raza Paper 1 - 171 Paper 2 - 167 Total - 338	Nitin kumar Bohra Paper 1 - 173 Paper 2 - 149 Total - 322	Ramprasad Tripathi Paper 1 - 161 Paper 2 - 159 Total - 320
Indu Bala Paper 1 - 143 Paper 2 - 165 Total - 308	Keshav Hingonia Paper 1 - 143 Paper 2 - 164 Total - 307	Chaudhari Abhijeet Paper 1 - 158 Paper 2 - 144 Total - 302

20 JUNE सत्रारम्भ 7.30A.M. (मुखर्जीनगर)
6.00 P.M. (राजेन्द्रनगर)

सामान्य अध्ययन

रजनीसो तोमरो, डॉ.अवनीश कुमार , डॉ. राकेश रंजन,
डॉ. मुकेश कुमार वर्मा, एस. त्रिपाठी, ए.के.जैन एवं विशेषज्ञ समूह

आकर्षण

- परीक्षा के बदलते Pattern के अनरुप ।
- प्रत्येक खण्ड के लिए अलग विशेषज्ञ ।
- साप्ताहिक Test ।
- प्रत्येक खण्ड पर विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्यान ।

24 JUNE, 10.30 A.M. सत्रारम्भ

दर्शनशास्त्र

डॉ. मुकेश कु. वर्मा (9868754187)

- 11 वर्षों का अध्यापन का अनुभव ।
- बदलते हुए परीक्षा Pattern के अनुरुप व्याख्यान ।
- उत्तरलेखन अभ्यास पर विशेष बल

20 JUNE, 5.30 P.M. सत्रारम्भ

GUJARAT केन्द्र

5 JULY कक्षा प्रारम्भ

(Regular & Weekend Batch)

VISHWAS EDUCATION PVT LTD
तुम्हेहि किच्चं आतप्पं

An Institute for I.A.S./G.P.S.C./P.S.I./Staff Selection/Bank Exam.

MUKHERJEE NAGAR : A-37/38/39 BASEMENT, B/H HDFC BANK, DELHI - 09, PH. (011)-27652066/67 , M :- 9953468158,09924191307, Email :- mukherjeenagar@vishwaseducation.in

RAJENDRA NAGAR : 76,OLD,RAJENDRA NAGAR MARKET, NR, AXIS BANK, NEW DELHI-06, PH. :- 9891605091, 9999071711, Email :- rajendranagar@vishwaseducation.in

AHMEDABAD : A/1/G, CHINUBHAI TOWER, NR, H.K. COLLEGE, ASHRAM ROAD, PH. (079) 26586832, 30616926, 09427071727, 09924191307 Email :- ahmedabad@vishwaseducation.in

BHAVNAGAR : 110, SURABHI MALL, WAGHAVADI ROAD, PH. : 09428804127, 09924191307 Email :- bhavnagar@vishwaseducation.in

www. vishwaseducation.in

YH-100/2011

मातृ एवं बाल स्वास्थ्य
परिवार कल्याण के प्रतिस्थापन की ज़रूरत

● पूनम मुत्तरेज़ा

भारत की जनगणना के फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि संबंधी अच्छी ख़बर के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रजनन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के एक व्यापक ढांचे के तहत परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रतिस्थापन, विवाह एवं मातृत्व की उम्र बढ़ाकर बच्चा जनने के समय में अंतर लाकर तथा प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य के विकल्प के विस्तार की अनिवार्य ज़रूरत है।

अच्छी ख़बर

आबादी संबंधी सवाल पर ध्यान देने का भारत का पुराना इतिहास है। सन् 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत के साथ, जो पूरी तरह से चिकित्सालय पर आधारित कार्यक्रम था, तथा सन् 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एनपीपी) काफी हद तक महिला अधिकारिता एवं प्रजनन अधिकार के ढांचे के दायरे में था। भारत की जनसंख्या नीति के विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण मोड़ स्वास्थ्य मंत्रालय में सन् 1956 में परिवार नियोजन के एक पूर्ण विकसित विभाग का सृजन था। लेकिन क्लब ऑफ रोम एवं दूसरे संगठनों द्वारा जनसंख्या विस्फोट की निराशाजनक भविष्यवाणी के कारण वैश्विक स्तर पर एक खास मनोभावना बन गई थी जिसका भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह कार्यक्रम पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित बन गया, नसबंदी कराने वालों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई और नसबंदी को लक्ष्य-उन्मुखी बना दिया गया। सन् 1975 एवं 1976 के दौरान इसके अनिवार्य एवं जबरन किस्म के कार्यक्रम का रूप लेने से यह काफी अलोकप्रिय बन गया। सन् 1977 में इसे दुरुस्त करने का एक प्रयास हुआ और परिवार नियोजन विभाग का नाम बदल कर परिवार कल्याण विभाग कर दिया गया तथा बिना जोर-जबर्दस्ती के गर्भनिरोध पर अमल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लेकिन, 1980 के दशक के दौरान इस काम में प्रगति धीमी रही। 1990 के दशक में खासकर 1994 के बाद, इस नीति में अनेक बदलाव किए गए जब जनसंख्या एवं विकास (सीपीडी) पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में लक्ष्य-मुक्त समुदाय आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। भारत के एनपीपी-2000 में साफ़ कहा गया है कि जनसंख्या का स्थिरीकरण न सिर्फ़ प्रजनन संबंधी ऐसी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का सवाल है जो सुगम एवं वहन योग्य हो, बल्कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की कवरेज में वृद्धि करना, सफाई सुरक्षित पेयजल, आवास एवं शिक्षा और नियोजन प्राप्ति की सुविधा बढ़ाकर महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने जैसी बुनियादी सुविधाओं में विस्तार करना भी है।

जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के हाल के वर्षों के अनवरत प्रयासों का ही फल है कि अब वांछित परिणाम मिलना शुरू हो गया है। भारत की जनगणना 2011 के प्रारंभिक परिणामों में भारत की जनसंख्या वृद्धि की कई अनुकूल प्रवृत्तियां परिलक्षित हुई हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों का नीचे विवरण दिया जा रहा है।

- 1911-1921 के अपवाद को छोड़कर भारत में जनगणना के इतिहास में 2001-2011 का दशक वह पहला दशक है जब दस साल की अवधि में आबादी में निर्बाध वृद्धि पिछले दशक से कम रही।
- 2001-2011 के दौरान दशकीय वृद्धि के प्रतिशत में आजादी के बाद भारी ह्रास देखा गया।
- 2001-2011 का औसत घातांक (एक्स पॉनेन्शियल) वृद्धिदर 1991-2001 की घातांक वृद्धिदर 1.97 से घटकर 1.64 पर आ गया।
- 2001-2011 के बीच 15 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में 1.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से जनसंख्या वृद्धि हुई जबकि इससे पहले के दशक में सिर्फ चार राज्यों का यह प्रतिशत था।
- संभवत: पहली बार 8 अधिकृत कार्यदल (ईजीजी) वाले राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में जनसंख्या की वृद्धिदर में पर्याप्त कमी आई है। जबकि इससे पूर्व लगातार इन राज्यों में प्रजनन दर एवं जनसंख्या वृद्धिदर ऊंची रही है।
- अति घनी आबादी वाले छह राज्यों– उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में वृद्धिदर 1991-2001 की तुलना में 2001-2011

के दौरान घटी है।

जनसंख्या के मोर्चे पर अनेक उपलब्धियों के बावजूद अनेक लोगों को जनसंख्या वृद्धि की गंभीर समस्याओं एवं भारत की आबादी को नियंत्रित करने अथवा स्थिर रखने के प्रति विश्वास की कमी के कारण चिंता सताए जा रही है जो काफी हद तक अनावश्यक है। जबकि सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि परिवार नियोजन को एक गौण कार्यक्रम के रूप नहीं देखा जा सकता, क्योंकि व्यवहार में देखभाल के स्तर पर कम ध्यान दिए जाने के कारण इसे मुख्य रूप में नहीं लिया जा सकता। इस स्पष्ट प्रमाण के बावजूद कि जनसंख्या की गतिमात्रा भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारक है, इस प्राचीन विश्वास पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति कायम है कि लक्ष्य, प्रोत्साहन एवं हतोत्साहित करने वाले प्रयासों से इस पर नियंत्रण हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रमाण को नहीं मानते और सख्त जनसंख्या नियंत्रण की रणनीति पर अमल की वकालत करते हैं। कुछ लोग तो यहां तक सलाह देते है कि भारत को चीन की एक बच्चा नीति को अपना लेना चाहिए और इन दुष्परिणामों से संबंधित प्रमाणों की भरमार की अनदेखी करनी चाहिए जिनका आज चीन को सामना करना पड़ रहा है। कुछ भी हो, स्थिति में बदलाव आ रहा है। ऐसा सिर्फ बड़े अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं के ध्यान दिए जाने के कारण नहीं हो रहा, बल्कि घरेलू माहौल के कारण भी संभव हो रहा है जहां पांच साल के अंतराल के बाद भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (एनसीपी) को फिर से सक्रिय कर दिया है जिसका विशेष मकसद भारत में परिवार नियोजन के काम पर पुन: ध्यान देना एवं उसका प्रतिस्थापन करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने परिवार नियोजन के प्रतिस्थापन का आह्वान किया है। इसकी अनिवार्यता क्यों आन पड़ी है?

परिवार नियोजन का प्रतिस्थापन

परिवार कल्याण के प्रतिस्थापन पर विचार विमर्श मानवाधिकार के सिद्धांतों (मानव जीवन की गरिमा के प्रति सम्मान का भाव रखने वाला) तथा नीतिपरकता (जो यह सुनिश्चित करने का आधार पेश करे कि अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा)की बुनियाद पर आधारित है। दुर्भाग्यवश इस नीति और इन दोनों परिप्रेक्ष्यों की व्यावहारिक कठिनाइयों के प्रति समझ की अब भी कमी है। अधिकारों पर आधारित सोच के मुख्य सिद्धांतों के समावेश, यथा जवाबदेही, भागीदारी, पारदर्शिता, अधिकारिता, स्थायित्व तथा परिवार कल्याण की कार्यनीतियों में गैर-भेदभाव से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि इन सबके केंद्र में लोग हैं।

मातृ एवं बाल स्वास्थ्य की पृष्ठभूमि में अधिकार पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने से न सिर्फ़ एक अवधारणामूलक ढांचा तैयार होगा, बल्कि यह स्वास्थ्य से संबंधित सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजीएस) की उपलब्धि में सीधे योगदान करेगा अर्थात बाल मृत्युदर (एमडीजी-4) कम करने तथा मातृ स्वास्थ्य में सुधार (एमडीजी-5) में भी योगदान करेगा। अंतत: महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी के अपने अधिकार का उपयोग करने योग्य बनाएगा जो उनके यौन एवं प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, गर्भनिरोधन, गर्भधारण, प्रजनन को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया एवं असुरक्षित गर्भपात की समस्या के समाधान संबंधी होंगे।

दुनियाभर से प्राप्त अनुभवों से पता चलता है कि परिवार नियोजन हर तीन मातृ-मृत्यु में से एक को मातृत्व ग्रहण करने में विलंब कर, बच्चों के जन्म की अवधि बढ़ाकर, अवांछित गर्भ एवं गर्भपात से बचकर तथा गर्भधारण रोककर रोक सकता है। ऐसा वांछित परिवार के आकार की स्थिति में पहुंचकर किया जा सकता है।

परिवार कल्याण के प्रतिस्थापन का कदम सीधे राष्ट्रीय, राज्य एवं सामुदायिक परिवार नियोजन के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। यह काम दृष्टि क्षेत्र एवं उपलब्धता बढ़ाकर तथा गर्भनिरोधकों के उपयोग के लिए दी जाने वाली सेवा में सुधार कर, स्वास्थ्य समय निर्धारण, दो बच्चों के जन्म की अवधि बढ़ाकर और अंतत जीवनस्तर बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माता, दानी, वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक नेताओं को ऐसा समर्थनकारी बजट बनाना चाहिए जो परिवार नियोजन की समर्पित हो, परिवार नियोजन को समर्थन करने वाले कानून एवं शक्तियां पारित किए जाएं, बहुक्षेत्रीय भागीदारी में शामिल हुआ जाए और परिवार कल्याण के समर्थन के कदम को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए। स्थानीय स्तर पर इसका यह मतलब है कि सामुदायिक नेताओं के परिवारों को शिक्षित एवं एकजुट करना चाहिए, सुविधाप्रदाताओं को प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन संबंधी सलाह देनी चाहिए और निपुणता, उत्साह एवं निरंतरता के साथ उसको केवल सुविधा प्रदान करनी चाहिए। जानकार व्यक्तियों को गर्भधारण में विलंब, दो बच्चों की जन्म सीमा सीमित करने के उपायों पर प्रभावकारी ढंग से कदम उठाना चाहिए।

मुख्य हस्तक्षेप

परिवार कल्याण के प्रतिस्थापन का तकाज़ा है कि जनसंख्या वृद्धि के तीन कारकों का समाधान निकाला जाए :

जनसंख्या का संवेग : प्रक्षेपित जनसंख्या वृद्धि के क़रीब तीन-चौथाई का लेखा-जोखा किया जाए। इसे शादी तथा गर्भधारण की उम्र बढ़ाकर कम किया जा सकता है। भारतीय महिलाओं में 20 से 24 वर्ष के समूह के 47.4 प्रतिशत की शादी 18 वर्ष की उम्र में हो गई। इनमें बिहार की 69 प्रतिशत तथा झारखंड की 63.3 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। जल्द शादी से जल्द एवं लगातार गर्भधारण होता है और इससे मातृ-शिशु रुग्णता एवं मरणशीलता बढ़ती है और इससे महिलाओं तथा बच्चों का स्वास्थ्य भी कुप्रभावित होता है।

अपूरित ज़रूरत यह है कि महिलाओं की वांछित प्रजनन क्षमता एवं उनके परिवार कल्याण सेवा की उपलब्धता को एक-दूसरे से काटकर अलग रखा जाए। इससे क़रीब 20 प्रतिशत प्रक्षेपित जनसंख्या वृद्धि में योगदान मिलता है। बिहार में इसका प्रतिशत 22.8 तथा झारखंड में 23.1 प्रतिशत है। दिलचस्प बात यह है कि दो या उससे अधिक बच्चे वाली महिलाएं और अधिक बच्चों की इच्छा नहीं रखती हैं। इनमें से केवल 48.5 प्रतिशत आधुनिक परिवार नियोजन तरीक़े का उपयोग करती हैं। अपूरित ज़रूरत को अच्छी किस्म की परिवार नियोजन सेवा तथा गर्भनिरोधकों की पूर्ति बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है।

उच्च वांछित प्रजनन क्षमता : ऐसा विभिन्न कारकों के कारण होता है जिनमें अभिभावकों के वास्तविक ज़रूरत से ज्यादा बच्चों की चाह शामिल है ताकि वे शिशु की उच्च मृत्युदर की भरपाई कर सकें। महिलाओं की निम्न

स्थिति, महिलाओं व बालिका का परिवार में कम महत्व एवं प्रजनन क्षमता संबंधी फैसले में उनकी कम दखल तथा बेटों की ठोस प्राथमिकता भी इसके कारण हैं। आधुनिक समाज में छोटे परिवार के लिए बढ़ते दबाव के साथ-साथ बेटों की प्राथमिकता के फलस्वरूप कन्या भ्रूण हत्या अथवा लिंग-आधारित गर्भपात की स्थिति पैदा होती है। प्रजनन क्षमता की उच्च इच्छा एवं जनसंख्या की गतिमात्रा की समस्या का समाधान ऐसे हस्तक्षेप से निकाला जा सकता है जो गर्भनिरोधन की मांग को प्रोत्साहित कर सकता है। इनमें छोटे परिवारों के लिए सामाजिक मानदंड को बढ़ावा शादी की उम्र बढ़ाने एवं बच्चों के जन्म में विलंब करना शामिल है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के संदर्भ में परिवार कल्याण की प्रतिस्थापना तभी संभव हो सकती है जब जनसंख्या वृद्धि के तीन कारकों की तरफ प्रभावकारी ढंग से ध्यान दिया जाए और चर्चा को जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे के स्थान पर 'जनसंख्या स्थिरीकरण' पर केंद्रित करने की कोशिश की जाए। यह लक्ष्य पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर पूरा किया जा सकता है- शादी की उम्र आगे बढ़ाकर, प्रथम गर्भधारण की उम्र आगे कर, दो बच्चों के जन्म के बीच अंतर बढ़ाकर, परिवार कल्याण एवं प्रजनन से जुड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों के स्तर में सुधार कर तथा लिंग-निर्धारण को रोककर।

इसका नाजुक बिंदु महिलाओं एवं बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को अच्छे स्तर की स्वास्थ्य निगरानी सुविधा उपलब्ध हो और किशोरियों एवं महिलाओं को अच्छे स्तर की प्रजनन स्वास्थ्य निगरानी की अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध हों। किसी भी महिला का स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रूप से उसके बच्चे के स्वास्थ्य एवं विकास को प्रभावित करता है। यदि गर्भावस्था से पूर्व एवं उसके दौरान पौष्टिकता का समुचित ख़्याल न रखा जाए तो कुपोषण का एक भीषण दुष्चक्र शुरू हो जाता है। अविकसित बच्ची एक लघु मां बन जाती है। एक लघु मां एक लघु बच्चे को जन्म देती है और छोटे बच्चों का कम विकास होता है। यदि वह बच्ची हो तो वह लघु मां बन जाती है और इस तरह एक भीषण दुष्चक्र शुरू हो जाता है।

समाज एवं नीति-निर्धारकों को चाहिए कि अपने दृष्टिकोण के निर्धारण के दौरान स्वास्थ्य का, खासकर प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य का समग्र जीवन चक्र के प्रति ध्यान रखें। लड़कियों एवं महिलाओं के प्रति भेदभाव, उनके जीवन का प्रक्षेप-पथ उसके शैशवकाल में ही तय हो जाता है। शिक्षा एवं उचित स्वास्थ्य निगरानी की समस्या बालपन एवं किशोरावस्था के दौरान ही पैदा होती है। यह समस्या परिवार नियोजन के साथ-साथ उनके प्रजनन के वर्षों के दौरान भी जारी रहती है। इसके साथ ही यौन क्रिया के दौरान संचारित रोग तथा प्रजनन क्षेत्र के प्रदूषण, पर्याप्त पौष्टिकता एवं गर्भावस्था के दौरान निगरानी, महिलाओं का सामाजिक स्तर तथा सर्वाइकल एवं स्तन कैंसर जैसे मुद्दे भी हैं। अवांछित गर्भधारण के कारण असुरक्षित गर्भपात कराने की स्थिति पैदा होती है। बच्चों की उपेक्षा होती है, अपौष्टिकता, बीमारी एवं सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। इसके लिए प्रभावकारी गर्भ निरोधक सलाह एवं यौवनारंभ एवं प्रजनन के वर्षों के दौरान उनके अनुकूल प्रवाह की ज़रूरत होती है।

हितधारियों के बीच व्यापक स्तर पर पहले से ज्यादा वार्तालाप, प्रासंगिक नीति का विकसित एवं सुधरा रूप, बेहतर एवं अधिक कुशल सेवा की व्यवस्था, कार्यक्रमों पर अमल तथा अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णय पर परिवारों का नियंत्रण ही इसके अपेक्षित परिणाम होने चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिरीकरण को जनसंख्या की गति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। खासकर शादी की उम्र बढ़ाने तथा इस तरह गर्भधारण में विलंब करने की दृष्टि से। राज्य स्तर पर अपूरित ज़रूरतों एवं अतिवांछित प्रजनन शक्ति की समस्या का समाधान अच्छे स्तर की परिवार नियोजन सेवा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा पर अधिक धन का निवेश कर निकाला जाना चाहिए जो सामाजिक मानदंड एवं छोटे परिवारों के लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उपायों पर अपना प्रभाव डालेगा। जहां तक सामुदायिक, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्तर का सवाल है (पुरुष सदस्य सहित) उन्हें एवं व्यापक समुदाय के सदस्यों को उनके स्वास्थ्य में सुधार तथा सेवा पर सामुदायिक निगरानी को बढ़ावा देने के काम में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यह माना गया है कि कार्यक्रमों पर अमल की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को उचित संक्षिप्तता का अभाव प्रणाली की जवाबदेही कम होने का मुख्य कारण है।

अग्रगामी सोच

युवाओं के साथ काम करना एक नाजुक मामला है क्योंकि भारत परिवार नियोजन की प्रतिस्थापित करना चाहता है। युवाओं पर ध्यान केंद्रित करना इसलिए भी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की आबादी का क़रीब एक-तिहाई 10 से 24 साल के लोगों की है। प्रभावकारी परिवार नियोजन की आज जितनी अधिक ज़रूरत कभी नहीं थी। भारतीय इतिहास में लोगों का सबसे बड़ा समूह अपने प्रजनन के वर्षों से गुजर रहा है। अच्छे स्तर का परिवार नियोजन न केवल एक मानवाधिकार है, बल्कि व्यक्तिगत एवं परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण की दृष्टि से भी उसका बड़ा महत्व है। साथ ही देश के आर्थिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

जिस बात की अनिवार्य ज़रूरत है वह है ऐसी पहलों की वकालत करना जो संपूर्ण जीवन-चक्र के प्रति सोच के दायरे में स्वास्थ्य, खासकर प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य पर केंद्रित हो और कन्याओं एवं महिलाओं के प्रति भेदभाव के अंत का आह्वान करे। वह शिक्षा के महत्व पर ज़ोर डाले एवं बालपन एवं युवावस्था के लिए ज़रूरी स्वास्थ्य निगरानी की उचित व्यवस्था करे। अवांछित गर्भ के ख़िलाफ़ अभियान चलाए, क्योंकि इससे असुरक्षित गर्भपात की स्थिति पैदा होती है जिससे बच्चों की उपेक्षा की प्रवृत्ति पैदा होती है, अपौष्टिकता, बीमारी तथा सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। गर्भनिरोध की प्रभावकारी सलाह दे एवं बेहतर सेवा को प्रोत्साहन दे, खासकर बेहतर स्तर की, एवं समय पर जवाबदेह स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। यह परिवार कल्याण के प्रतिस्थापन का अत्यधिक प्रभावकारी जरिया है।

अंततः केवल अधिकारों की बुनियाद पर आधारित परिवार कल्याण के प्रतिस्थापन से ही भारत योजनाबद्ध एवं स्वस्थ परिवारों को सुनिश्चित व्यवस्था कर सकता है। हर गर्भाधान का एक सकारात्मक आधार यह होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की देश को जरूरत है और प्रत्येक नवजात शिशु स्वस्थ पैदा हो। ❑

(लेखिका पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक हैं।
ई-मेल : pmuttreja@populationfuoundaion.in)

साक्षरता वृद्धि का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

● सुभाष शर्मा

किसी भी उत्पादन के मुख्य पांच कारक होते हैं। पूंजी, श्रम, भूमि, संगठन एवं उद्यम। किसी देश की आबादी वहां की श्रम शक्ति का सूचक भी होती है। फरवरी-मार्च 2011 में संपन्न हुई देश की पंद्रहवीं जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ से अधिक हो गई है जबकि 2001 में हमारी कुल आबादी 102.8 करोड़ थी। यानि एक दशक में हमारी आबादी 18.1 करोड़ बढ़ गई जो ब्राज़ील की कुल आबादी से अधिक है। कहने का आशय यह है कि एक दशक में भारत में ब्राज़ील के बराबर की नयी आबादी जुड़ जाती है। मगर सिर्फ़ आबादी की संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि उसकी गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।

साक्षरता के बारे में भी ताज़ा आंकड़े 2011 जनगणना से प्राप्त हुए हैं जो काफी उत्साहवर्धक हैं। वर्ष 2001 में भारत में कुल साक्षरता दर 65.38 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गई अर्थात जहां पहले दो-तिहाई से कम आबादी साक्षर थी वहीं अब लगभग तीन-चौथाई आबादी साक्षर है। पहले साक्षर पुरुषों का प्रतिशत 75.26 था और साक्षर स्त्रियों का प्रतिशत 53.67 प्रतिशत, किंतु अब 2011 में साक्षर पुरुषों का प्रतिशत 82.14 और साक्षर स्त्रियों का प्रतिशत 65.46 है। अर्थात पिछले एक दशक में पुरुष साक्षरता में मात्र सात प्रतिशत बिंदु की वृद्धि हुई जबकि स्त्री साक्षरता में इस दौरान 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। दूसरे शब्दों में वर्ष 2001 में 33.65 करोड़ पुरुष साक्षर थे और 22.41 करोड़ महिलाएं साक्षर थीं जबकि 2011 में 44.42 करोड़ पुरुष साक्षर हैं और 33.42 करोड़ स्त्रियां साक्षर हैं। इस प्रकार 2001-11 के दौरान कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या 56.07 करोड़ से बढ़कर 77.84 करोड़ हो गई। इस प्रकार इस दौरान अतिरिक्त साक्षर 21.77 करोड़ व्यक्तियों में से 11.01 करोड़ महिलाएं हैं और 10.76 करोड़ पुरुष। विभिन्न राज्यों की साक्षरता स्थिति भिन्न-भिन्न है।

सबसे बेहतर स्थिति केरल की है जहां 93.93 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। कुल दस राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 85 प्रतिशत से अधिक साक्षरता दर है : केरल 93.91 प्रतिशत, लक्षद्वीप 92.28 प्रतिशत, मिजोरम 91.58 प्रतिशत, त्रिपुरा 87.75 प्रतिशत, गोवा 87.34 प्रतिशत, दमन 87.07 प्रतिशत, पुडुचेरी 86.55 प्रतिशत, चंडीगढ़ 86.43 प्रतिशत, दिल्ली 86.43 प्रतिशत एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह 86.27 प्रतिशत। दस सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य हैं : बिहार 63.82 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश 66.95 प्रतिशत, राजस्थान 67.06 प्रतिशत, झारखंड 67.63 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश 67.66 प्रतिशत, उ.प्र. 69.72 प्रतिशत, म.प्र. 70.63 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ 71.04 प्रतिशत, असम 73.18 प्रतिशत एवं ओडिशा 73.45 प्रतिशत। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रमुख रूप से हिंदी क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा की साक्षरता स्थिति ख़राब है तथा राष्ट्रीय औसत से कम है। पिछले एक दशक में बारह राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने दस प्रतिशत या अधिक वृद्धि दर्ज़ की है : अरुणाचल प्रदेश 54.74 प्रतिशत से 66.95 प्रतिशत, बिहार 47.53 प्रतिशत से 63.82 प्रतिशत, दादर-नागर हवेली 60.03 प्रतिशत से 77.65 प्रतिशत, गुजरात 69.97 प्रतिशत से 79.31 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर 54.46 प्रतिशत से 68.74 प्रतिशत, झारखंड 54.13 प्रतिशत से 67.63 प्रतिशत, मणिपुर 68.87 प्रतिशत से 79.85 प्रतिशत, मेघालय 63.31 प्रतिशत से 75.48 प्रतिशत, नगालैंड 67.11 प्रतिशत से 80.11 प्रतिशत, ओडिशा 63.61 प्रतिशत से 73.45 प्रतिशत, सिक्किम 69.68 प्रतिशत से 82.2 प्रतिशत, त्रिपुरा 73.66 प्रतिशत से 87.75 प्रतिशत एवं उ.प्र. 57.36 प्रतिशत से 69.72 प्रतिशत।

मगर इसमें स्त्री साक्षरता की स्पष्ट स्थिति नहीं मालूम होती। स्त्री साक्षरता दर केरल में सबसे अधिक 91.98 प्रतिशत है। दूसरे स्थान पर मिजोरम 89.4 प्रतिशत, तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप 88.25 प्रतिशत, चौथे स्थान पर त्रिपुरा 83.15 प्रतिशत, पांचवें स्थान पर गोवा 81.38 प्रतिशत तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.84 प्रतिशत के साथ छठे स्थान पर, चंडीगढ़ 81.38 प्रतिशत के साथ सातवें स्थान पर, पुडुचेरी 81.22 प्रतिशत के साथ आठवें स्थान पर, दिल्ली 80.93 प्रतिशत के साथ नौवें स्थान पर, दमन दीव 79.59 प्रतिशत तथा दसवें स्थान पर नगालैंड 76.69 प्रतिशत है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाले दस राज्य हैं : राजस्थान 52.66 प्रतिशत, बिहार 53.33 प्रतिशत, झारखंड 56.21 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर 58.01 प्रतिशत, उ. प्र. 59.26 प्रतिशत, अरुणाचल प्रदेश 59.57 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश 59.74 प्रतिशत, म.प्र. 60.02 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ 60.59 प्रतिशत एवं ओडिशा 64.36 प्रतिशत। इन दस में पांच राज्य हिंदी क्षेत्र के हैं तथा ये सभी राज्य स्त्री भेदभाव के प्रतीक हैं। जहां एक ओर साक्षरता में लैंगिक अंतर मेघालय में मात्र 3.39 प्रतिशत, केरल में 4 प्रतिशत, मिजोरम में मात्र 4.32 प्रतिशत एवं नगालैंड में मात्र 6.6 प्रतिशत में अपेक्षाकृत कम है, वहीं दूसरी ओर इन राज्यों में लैंगिक अंतर काफी अधिक है : राजस्थान 27.85 प्रतिशत, झारखंड 22.24 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ 20.86 प्रतिशत, म.प्र. 20.51 प्रतिशत, दादरा-नागर हवेली 20.43 प्रतिशत, जम्मू-कश्मीर 20.25 प्रतिशत, उ.प्र. 20 प्रतिशत, हरियाणा 18.61 प्रतिशत, ओडिशा 18 प्रतिशत, उत्तराखंड 17.63 प्रतिशत एवं गुजरात 16.5 प्रतिशत। इस प्रकार ये बारह राज्य/संघशासित क्षेत्र स्त्रियों की शिक्षा के प्रति उदार नहीं हैं।

यह जाहिर सी बात है कि जहां साक्षरता/शिक्षा का समुचित प्रचार-प्रसार नहीं होता वहां अधिकतर निरक्षर लोग परिवार कल्याण जैसे सामाजिक दायित्व के प्रति सचेत नहीं होते।

खासकर स्त्रियों की शिक्षा/साक्षरता उन्हें छोटे परिवार के प्रति जागरूक बनाती है। शिक्षित लड़कियों की शादी वयस्कता के पूर्व प्राय: नहीं होती जबकि अशिक्षित लड़कियों का कम उम्र में जल्दी विवाह हो जाता है और वे शीघ्र ही मां बन जाती हैं। फिर गर्भ निरोधक तकनीकों का सही उपयोग नहीं करने से दो बच्चों के जन्म के बीच अंतराल बहुत कम होता है जिससे दोनों बच्चों का लालन-पालन, टीकाकरण, स्वास्थ्य की देखरेख, पोषाहार आदि प्रभावित होता है। इसका असर बच्चों के शारीरिक विकास (ऊंचाई एवं वजन) पर विशेष रूप से पड़ता है। फिर अशिक्षित महिलाएं ज्यादा बच्चों की चाह रखती हैं और इस मायने में पांच पांडव या राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न का उदाहरण देकर 4 या 5 बच्चों को जनना चाहती हैं। जिन राज्यों में साक्षरता दर कम है, वहां की महिलाओं का सकल प्रजनन दर (पूरे जीवन में पैदा करने वाले कुल बच्चों की संख्या) अधिक होती है। जैसे बिहार में कम साक्षरता के कारण महिलाएं चार या अधिक बच्चे जनना चाहती हैं जबकि केरल जैसे सर्वाधिक साक्षर महिलाओं वाले राज्य में वे सिर्फ दो बच्चे जनना चाहती हैं। एक और तथ्य उल्लेखनीय है कि तमाम अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में साक्षरता दर काफी कम है उनकी स्त्रियों की साक्षरता दर और भी कम है। बिहार में एक दशक पूर्व मुसहर महिलाओं की साक्षरता दर 2 प्रतिशत रही है और अब 5 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना नहीं है। फिर साक्षरता (लिखना, पढ़ना एवं साधारण हिसाब-किताब) मात्र से चेतना नहीं आती। इसके लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम, पुस्तकालयों से जोड़ना, विधिक साक्षरता (ज़रूरी कानूनी प्रावधानों को जानना) तथा ज़रूरी जीवन कौशल जानना आवश्यक है। दुर्भाग्यवश भारत में पुस्तकालय संस्कृति समुचित रूप से विकसित नहीं है। विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के प्रधान, पुस्तकालयाध्यक्ष, शैक्षिक प्रशासक (जैसे जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक आदि) ने थोक पुस्तक खरीद को दुधारू गाय बना दिया है तथा घटिया किताबें ज्यादा कमीशन लेकर धड़ल्ले से खरीदी जाती हैं। प्रकाशकों और सरकारी विद्यालयों के बीच लेन-देन के आधार पर (जो 40 से 50 प्रतिशत है) ऐसी थोक खरीद होती है। विभिन्न राज्यों की शिक्षा परियोजनाओं/सर्वशिक्षा अभियान लागू करने वाली राज्य/जिला संस्थाओं में भी यह कुप्रवृत्ति देखने को मिलती है। बिहार में विधायक स्थानीय विकास निधि के तहत पुस्तक खरीद भी अनुमान्य थी जिसमें विधायकों ने पचास लाख से लेकर एक करोड़ तक की पुस्तकों का खरीद की और उसमें चालीस से पचास प्रतिशत तक कमीशन लिया। यह सुखद है कि मौजूदा राज्य सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में वर्ष 2011-12 से इस निधि में व्याप्त बुराइयों के कारण इसे ख़त्म कर दिया है। मगर झारखंड में यह निधि चालू है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (जो अप्रैल 2010 से लागू है) एक मील का पत्थर है मगर यह 6 वर्ष के पहले और 14 से 18 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में लागू नहीं है। इसमें कई खामियां हैं जैसे गुणवत्ता परिभाषित न करना, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सुस्पष्ट न करना, विद्यालय में कंप्यूटर आदि शैक्षिक सामग्रियों को ज़रूरी न बनाना, शिक्षकों का प्रशिक्षण (नियुक्ति के पूर्व तथा सेवाकालीन) ज़रूरी नहीं करना, विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम स्थान निर्धारित न करना आदि। इसके कारण तमाम राज्यों में कम वेतन पर पैरा शिक्षकों की नियुक्ति थोक में की गई है, बिना दक्षता की परीक्षा लिए। जाहिर है एक ख़राब शिक्षक और ज्यादा ख़राब विद्यार्थी पैदा करेगा। *बचपन बचाओ* आंदोलन ने नौ राज्यों के 33 जिलों और 146 ग्राम पंचायतों के 251 सरकारी विद्यालयों का अध्ययन किया जिसमें निम्नलिखित तथ्य पाए गए (टाइम्स ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल, 2011) :

- अभी भी 24 प्रतिशत बच्चे विद्यालय की पढ़ाई छोड़ देते हैं। उ. प्र. में छीजन दर 30 प्रतिशत है जबकि बिहार में 25 प्रतिशत।
- 20 प्रतिशत विद्यालय प्रवेश शुल्क ग़रीब बच्चों से भी लेते हैं और 40 प्रतिशत विद्यालय शिक्षण सामग्री हेतु शुल्क लेते हैं।
- मात्र 33 प्रतिशत बच्चों को ही मुफ़्त शिक्षा उपलब्ध हैं।
- 37 प्रतिशत विद्यालय मात्र पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं, मगर मुफ़्त पाठ्य पुस्तकें, पोशाक या बस्ता नहीं दिए जाते।
- यद्यपि मुफ़्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों को विद्यालय में कभी भी भर्ती किया जा सकता है मगर 30 प्रतिशत विद्यालय ऐसी अनुमति नहीं देते।
- 16 प्रतिशत विद्यालयों के पास पीने के पानी की सुविधा नहीं है।
- 33 प्रतिशत विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय नहीं हैं।
- 8-14 वर्ष के बच्चे जो बिहार के दरभंगा जिले में दाखिला ले चुके हैं, वास्तव में बंधुआ मजदूर के रूप में दिल्ली में जरी आदि का काम कर रहे हैं। मुक्त कराए गए 12,000 बाल बंधुआ मजदूरों में से 90 प्रतिशत बच्चे बिहार और उ.प्र. के विद्यालय में नामांकित दिखाए गए हैं और उनके नाम पर दोपहर का भोजन वितरित होता है।
- मुफ़्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 को एक अप्रैल, 2010 से लागू किया गया, परंतु वर्ष 2010-11 के दौरान दिल्ली राज्य में 9,789 बच्चों की विभिन्न विद्यालयों ने भर्ती नहीं की। इसके अलावा जनवरी 2011 में 199 विद्यालयों ने नर्सरी में भर्ती हेतु आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को प्रवेश आवेदन, पत्र नहीं दिया। यद्यपि कानून में प्रावधान है कि प्रवेश के लिए किसी प्रकार की जांच-पड़ताल नहीं हो, मगर सैकड़ों बच्चों को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग को 2010-11 में 12,400 बच्चों की शिकायतें मिली। आयोग ने जितने बच्चों की भर्ती का मामला अपने हाथ में लिया, उनमें से आधे को प्रवेश मिल गया। यह अभिभावकों, गैर-सरकारी संगठनों और शासन-प्रशासन में आई चेतना का सूचक है। मगर 9,789 शिकायतों में से 3,219 को ही प्रवेश मिल सका, अन्य को जगह की कमी के कारण प्रवेश नहीं मिला।

इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षरता वृद्धि महज संख्या एवं मात्रा का सूचक है। इसमें गुणवत्ता का मानक नहीं है। न तो मुफ़्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 ने गुणवत्ता का ख्याल रखा है और न राज्य सरकारों ने। अस्तु, जैसाकि *प्रथम* नामक स्वयंसेवी संगठन ने पाया है, कक्षा पांच-छह उत्तीर्ण बच्चे भी पढ़-लिख नहीं पाते और न साधारण जोड़-घटाव कर पाते हैं यानि वे न्यूनतम अधिगम स्तर हासिल नहीं कर पाते। इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ज्यादा जोर हर स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर होना चाहिए। ❑

(लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबद्ध हैं।

ई-मेल : sush84br@yahoo.com)

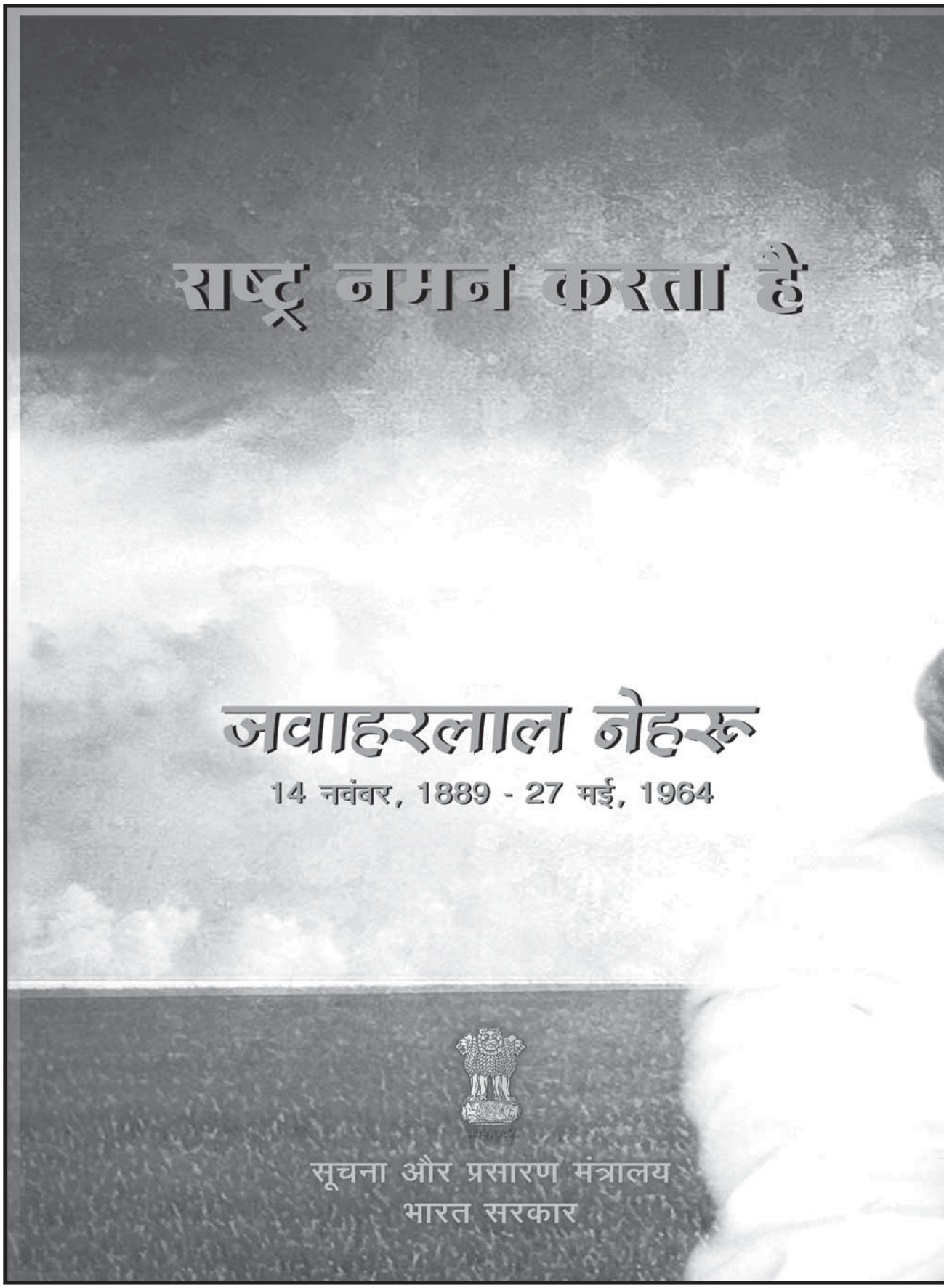
राष्ट्र नमन करता है
जवाहरलाल नेहरू
14 नवंबर, 1889 - 27 मई, 1964
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

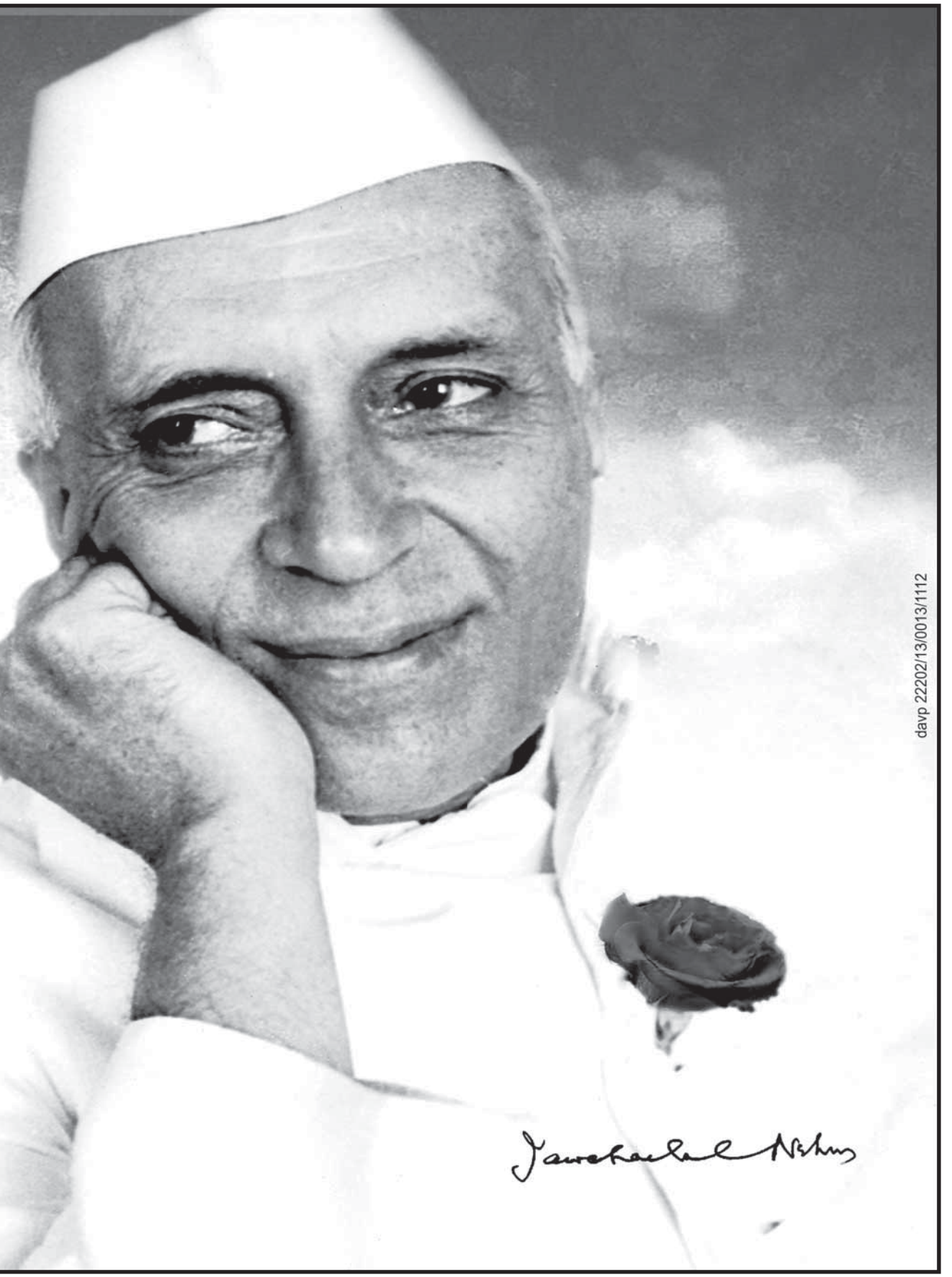

YH-94/2011

नौ दिन चले अढ़ाई कोस

साक्षरता में वृद्धि, उल्लेखनीय किन्तु अपर्याप्त

● रामप्रताप गुप्ता

फरवरी 2011 में संपन्न देश की 15वीं जनगणना के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। इस जनगणना के परिणामों से पता चलता है कि सन् 2001-11 के दशक में विकास के एक महत्वपूर्ण घटक और मापदंड, साक्षरता के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। जनगणना के परिणामों से पता चलता है कि देश में प्रभावी साक्षरता (अर्थात 7 वर्ष से ऊपर आयु की आबादी में साक्षरता का प्रतिशत) में 9.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता का प्रतिशत सन् 2001 के 64.83 प्रतिशत से बढ़कर अब 74.04 प्रतिशत हो गया है। सन् 1901 और 1951 के मध्य की 50 वर्षीय अवधि में देश में साक्षरता का प्रतिशत 4.35 प्रतिशत से बढ़कर 16.67 प्रतिशत ही हो पाया था अर्थात 50 वर्ष की अवधि में मात्र 11.32 प्रतिशत की ही वृद्धि हो पाई थी। 50 वर्षो में 11.32 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 10 वर्षो में 9.21 प्रतिशत की वृद्धि निश्चित ही उल्लेखनीय कही जाएगी।

सन् 2001 एवं 2011 की दस वर्षीय अवधि में देश की साक्षरता में 9.21 प्रतिशत की वृद्धि कुछ और भी पहलुओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस अवधि में देश की आबादी में निरक्षर आबादी के आकार में आज़ादी के बाद पहली बार कमी दर्ज़ की गई है। इस दशक में देश में निरक्षरों की संख्या में पहली बार 3.12 कमी आई है। यह कमी इस दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस कमी में महिलाओं का योगदान 55 प्रतिशत रहा है जोकि पुरुषों के 45 प्रतिशत के योगदान से अधिक है। इस दशक में महिला साक्षरता में पुरुष साक्षरता की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है जोकि सन् 2011 में 65.46 प्रतिशत हो गया है अर्थात उसमें 11.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में पुरुष साक्षरता 75.26 प्रतिशत बढ़कर 82.16 प्रतिशत हो पाई है, अर्थात उसमें महिला साक्षरता में 11.49 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में मात्र 6.88 प्रतिशत की ही वृद्धि हो पाई है। महिलाओं में शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरुकता से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र के विकास को महिलाओं की आवश्यकता के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी।

देश में साक्षरता में वृद्धि के बावजूद यह भौगोलिक विषमताओं का शिकार है। साक्षरता की दृष्टि से केरल सर्वोच्च स्थान पर है, यहां साक्षरता का प्रतिशत 93.91 प्रतिशत है। केरल के पश्चात दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है जहां साक्षरता स्तर 92.28 प्रतिशत है। देश में साक्षरता की दृष्टि से प्रथम 10 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता 85 प्रतिशत से अधिक है। 85 प्रतिशत का आंकड़ा इस वजह से महत्वपूर्ण है कि योजना आयोग ने सन् 2011-12 तक देश में साक्षरता के स्तर को 85 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्पष्ट है कि शेष बचे एक वर्ष की अवधि में देश के सभी बड़े राज्यों के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन होगा।

जिला स्तर पर साक्षरता के समंकों को देखें तो हम पाते हैं कि मिजोरम का सरछिप ज़िला देश का सर्वाधिक साक्षर ज़िला है जहां की 98.76 प्रतिशत आबादी साक्षर है। इसके बाद इसी राज्य का दूसरा ज़िला आइजोल है जिसमें साक्षरता 98.5 प्रतिशत है। देश में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला मध्यप्रदेश का अलिराजपुर है और इसके पश्चात छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले का क्रम आता है, इन दोनों ज़िलों में साक्षरता क्रमशः 37.22 प्रतिशत और 41.58 प्रतिशत ही है। आज़ादी के बाद भी इन आदिवासी प्रधान ज़िलों की अत्यंत निम्न स्तरीय साक्षरता आदिवासी विकास की परतें खोलकर रख देती है।

साक्षरता संबंधी प्रगति तथा उसकी अच्छी बुरी विशिष्टताओं के संक्षिप्त विश्लेषण के पश्चात यह जानना भी आवश्यक है कि हमारी सरकार और जनगणना अधिकारियों के द्वारा साक्षरता के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं और क्या ये मापदंड आज की परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं? जनगणना के दौरान जनगणना कार्यकर्ता उन सब व्यक्तियों को साक्षर मान लेते हैं जो किसी भी भाषा को पढ़ और लिख लेता है और उसका अर्थ समझने में भी समर्थ होता है। यह आवश्यक नहीं होता है कि उसने किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लिया हो वहां शिक्षा प्राप्त की हो। साक्षरता की इस कमज़ोर अवधारणा के चलते हमारी जनगणनाओं में साक्षरता का प्रतिशत काफी अधिक प्राप्त होता है। इस ऊंचे प्रतिशत तथा उसमें हो रही वृद्धि से हम भले ही संतुष्ट हो जाएं, परंतु प्रश्न यह है कि तेज़ी से तकनीकी प्रगति वाले इस युग में क्या लिखित या छपी हुई किसी भी सामग्री को पढ़-लिख लेने, समझ लेने की क्षमता पर्याप्त हो सकेगी? यह क्षमता क्या उसे देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्र में आ रहे परिवर्तनों के साथ समायोजन की क्षमता प्रदान कर सकेगी? शिक्षा विशेषज्ञ इस तरह की क्षमता के लिए कक्षा 10 तक की शिक्षा को आवश्यक मानते हैं। स्वयं सरकार ने भी सन् 2009 में पारित कानून में कक्षा 8 तक की शिक्षा को अनिवार्य आवश्यकता माना है और इसको उपलब्ध कराने का दायित्व सरकार पर डाला है।

देश आज़ाद होने के 64 वर्ष बाद हम अपनी आबादी को मात्र साक्षर बनाकर संतोष नहीं कर सकते। हमें पूरी आबादी को भली भांति शिक्षित करने की व्यवस्था करना होगी। इस नज़रिये से देश की तीन-चौथाई आबादी को साक्षर बनाने की उपलब्धि के बारे में इतना ही कहा जा सकता है : 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस'। ❑

(लेखक सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं अर्थशास्त्री हैं)

जनगणना का दशकीय सफ़र

सुहाना भी और डरावना भी

● वेद प्रकाश अरोड़ा

2001 से 2011 तक के दस वर्षों की जनगणना के आंकड़ों के पहले अनुमानों और निष्कर्षों ने कुछ खुशनुमा और कुछ मटमैली तस्वीर पेश करते हुए भी बेबाक शब्दों में यह इबारत लिख दी है कि इस समय देश की विशाल आबादी एक अरब 21 करोड़ को पार कर चुकी है। यह हर दिन 50 हज़ार बढ़ती चली जा रही है। पिछले एक दशक में हमारी जनसंख्या में 18 करोड़ दस लाख की वृद्धि हुई है। देश की कुल जनसंख्या चीन को छोड़कर अन्य किसी देश की आबादी से कहीं अधिक है। अगर चीन की आबादी विश्व की कुल जनसंख्या का 19.5 प्रतिशत है तो भारत की जनसंख्या 17.5 प्रतिशत यानी चीन की आबादी से 1.9 प्रतिशत कम है।

भारत में की गई यह जनगणना विश्व के किसी भी अन्य देश की जनगणना कवायद से बड़ी व्यापक और योजनाबद्ध थी। सारा काम लोकतांत्रिक ढंग से सद्भाव और स्वेच्छा से हुआ। आबादी के आंकड़े इकट्ठा करने की इस कसरत का भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि अन्य अनेक क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि से भी बड़ा महत्व रहेगा। इसका देश की दशा और दिशा, राज्यों के प्रशासनिक ढांचे, राजनीतिक भविष्य, सामाजिक ताने-बाने, क्षेत्रीय आशाओं, आकांक्षाओं, सीमा और स्थानीय समस्याओं से गहरा सरोकार और संबंध रहेगा जैसाकि पहले की जनगणनाओं का रहा है। विगत वर्षों के इतिहास पर नज़र डालने पर हम पाते हैं कि जनसंख्या के आंकड़ों ने हमारे इस उपमहाद्वीप को कई तरह से प्रभावित किया है। कभी बिगाड़ा है तो कभी संवारा है। पाकिस्तान को जन्म देने में आबादी के आंकड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश का विभाजन, जनगणना के मज़हबी आंकड़ों पर आधारित था। इन आंकड़ों ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को सोच के पिटारे से निकालकर यथार्थ का लबादा पहनाया। वर्ष 1957 में राज्यों के भाषायी पुनर्गठन का आधार जनगणना के आंकड़े ही थे। देश की बहुआयामी दशा का परिदृश्य प्रस्तुत करने का ये विश्वसनीय स्रोत होते हैं। इतना ही नहीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तस्वीर और तकदीर बदलने, चमकाने और यहां तक की बिगाड़ने-बदलने का आधार ये आंकड़े ही प्रदान करते हैं। दोधारी तलवार की तरह ये श्रेयस और अश्रेयस दोनों का अस्त्र बन जाते हैं। सोवियत संघ का बिखराव और युगोस्लाविया का विखंडन मज़हबी, भाषायी और सामाजिक भिन्नताओं और विकृतियों की वजह से हुआ। जहां तक भारत का संबंध है, इस जनगणना के आंकड़े साक्षरता, शिक्षा, जन संकुलन तथा सामाजिक और राजनीतिक नीतियों तथा अन्य विषय क्षेत्रों के निर्धारण में सहायक होंगे।

इनका उपयोग संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों में सीटों की जनसंख्या और चुनाव क्षेत्रों के आकार के निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण के लिए भी किया जा सकेगा।

2011 की यह जनगणना देश की 15वीं और आज़ादी मिलने के बाद 7वीं राष्ट्रीय जनगणना है। अभी जो आंकड़े आए हैं वे अस्थायी है। इसमें विभिन्न जातियों और धर्मावलंबियों की गिनती के आंकड़े नहीं हैं। इन आंकड़ों के मिल जाने पर ही जनगणना की कवायद पूरी होगी। भले ही जनगणना की इतनी विशाल और व्यवस्थित कसरत पहले कभी न हुई हो, फिर भी इसकी परंपरा का और इस के लघु आकारों की चर्चा अनेक प्राचीन ग्रंथों से मिलती है।

एक जानकारी हज़ारों वर्ष पहले रचे गए *ऋग्वेद* से मिलती है। जनगणना का उल्लेख कौटिल्य के *अर्थशास्त्र* और *आइने-अकबरी* में भी है। भारत के आज़ाद होने से पहले वर्ष 1872 में पहली बार जनगणना कराई गई थी और फिर आज़ादी मिलने के बाद पहली जनगणना का श्रीगणेश 1951 में हुआ जो 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चली। इसमें कुल 14 सवाल पूछे गए थे। लेकिन कहीं अधिक संगठित, व्यवस्थित और व्यापक रूप से वर्ष 2011 में की गई जनगणना में 29 सवाल पूछे गए हैं। इनमें कुछ नये सवाल भी शामिल है। किन्नरों को पहली बार अन्य श्रेणी में रखा गया यानी महिला और पुरुष श्रेणी से अलग। इस बार की जनगणना में 7 हज़ार शहरों

और 6 लाख गांवों में घर-घर जाकर लोगों की गिनती की गई। कुछ जनजातियों की गणना रात में की कई, क्योंकि दिन में उनका कोई एक ठौर-ठिकाना नहीं रहता। इस संबंध में एक दिलचस्प बात यह रही कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो इंसानों से न तो मेलजोल रखती हैं और न उनसे घुलना-मिलना पसंद करती हैं। उनसे संपर्क रखने पर भी प्रतिबंध लगा है। इनकी गिनती करने के लिए टापुओं के चारों तरफ नौकाओं के जरिये कमल और नारियल जैसी चीज़ें भेजी जाती थीं। इन्हें देख और आकर्षिक होकर जब वे पानी की तरफ आते थे तभी उनकी जनगणना हो पाती थी।

वर्ष 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़े 31 मार्च को केंद्रीय गृह सचिव जी. के. पिल्लै और महापंजीयक सी. चंद्रमौलि ने जारी किए। इसके अनुसार दुनिया के प्रत्येक छह व्यक्तियों में एक भारतीय है। देश की वर्तमान कुल आबादी में 62 करोड़ 37 लाख पुरुष और 58 करोड़ 65 लाख महिलाएं हैं। हमारी कुल आबादी अमरीका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, जापान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल आबादी के लगभग बराबर है। एक अन्य दिलचस्प बात यह है कि हमारी कुल जनसंख्या में 18 करोड़ 10 लाख की वृद्धि पाकिस्तान की आबादी से अधिक तो है ही, यह ब्राज़ील की आबादी से कुछ ही कम है, जबकि यह देश विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद इस सच से आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए कि वर्ष 1991 की जनगणना में हमारी आबादी की वृद्धिदर कम होकर 23.87 और 2001 की जनगणना में वृद्धिदर कम होकर 21.54 रह गई है। यानी वर्ष 2001 में यह गिरकर 2.43 प्रतिशत थी। 2011 की जनगणना से यह गिरकर और भी अधिक 1.5 प्रतिशत रह गई। यह एक शुभ शकुन है। अब यह कहने में संकोच नहीं करना चाहिए कि जनसंख्या बम विस्फोट की जो रट पहले असंभव मानी जाती थी वह निरंतर प्रमाणित हुई है। पहले यह दलील दी जा रही थी कि जिस तेज़ चाल से जनसंख्या बढ़ रही है इसी से संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि के 2.5 प्रतिशत से घटकर 1.5 प्रतिशत के आस-पास रह जाने से देश के उज्ज्वल भविष्य के प्रति उम्मीद जगी है। अब बिहार में जनसंख्या की बढ़ोत्तरी दर 2.8 प्रतिशत से घटकर 2.5 प्रतिशत रह गई है तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धिदर ढाई फीसदी से घटकर दो फीसदी रह गई है। छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा अब अधिक प्रभावी और लोकप्रिय बनता जाता है। यह दमदार बदलाव का सूचक है।

इस सारे परिदृश्य में एक उत्साहवर्धक बात यह है कि अगर एक तरफ जनसंख्या की वृद्धि दर नीचे जाती है तो विकास दर की रफ़्तार बढ़ती जाती है। आंकड़ों की भाषा में बात करें तो कह सकते हैं कि पिछले 10-15 वर्षों में आबादी की औसत वृद्धिदर जहां दो फीसदी के आस-पास बनी रही है वहीं विकास दर सात प्रतिशत के आसपास रही है। यह आने वाले कल के लिए शुभ संकेत है।

आबादी की क्षमता

वर्ष 2011 की जनसंख्या की रिपोर्ट के अनुसार 2001 से लेकर 2011-12 के दस वर्षों में प्रति वर्ग किमी. पर 325 की आबादी 17.5 प्रतिशत बढ़कर अब 382 हो गई है। देहाती इलाकों की तुलना में शहरी इलाकों में आबादी की घटना में अधिक वृद्धि हुई है।

हमारे देश का मैदानी क्षेत्र विश्व के कुल 13 करोड़ 50 लाख वर्ग किमी. का मात्र 2.4 प्रतिशत है और यह विश्व की 17.5 प्रतिशत आबादी का घर है। उधर अमरीका का क्षेत्र कुल भूमि का 7.2 प्रतिशत है जबकि वहां विश्व के सिर्फ़ 4.5 प्रतिशत लोग ही रहते हैं। अगर दिल्ली में आबादी की घनत्व पर नज़र डालें तो यहां प्रति वर्ग किमी. में औसतन 11,287 व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या की सघनता की दृष्टि से यह किसी भी राज्य और किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र की जनसंख्या सघनता से अधिक है। सघनता की दृष्टि से दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है जहां प्रति वर्ग किमी. क्षेत्र में 9,252 व्यक्ति रहते हैं। जहां तक राज्यों का संबंध है बिहार का जनसंख्या घनत्व सब से अधिक है। वहां प्रति वर्ग किमी. में रहने वाले लोगों की संख्या 1,102 है। उत्तर प्रदेश सब से अधिक आबादी वाला राज्य होते हुए भी सघनता के मामले में पश्चिम बंगाल से भी पीछे है। उत्तर प्रदेश में आबादी का घनत्व सिर्फ़ 828 है,

जनगणना ग्राफ

आंकड़े एक नज़र में

जनसंख्या	व्यक्ति	1,210,193,422	
	पुरुष	6,237,24,248	
	महिलाएं	58,64,69,174	
2001-2011 के दशक में जनसंख्या		पूरी	प्रतिशत
	व्यक्ति	1,814,55,986	17.64
	पुरुष	915,01,158	17.19
	महिलाएं	899,54,828	18.12
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी.)		382	
लिंग अनुपात (महिलाएं प्रति एक हज़ार पुरुषों पर)		940	
0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या		पूरी	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
जनसंख्या	व्यक्ति	15,87,89,287	13.12
	पुरुष	82,952,135	13.30
	महिलाएं	75,837,152	12.43
साक्षर		पूरी	साक्षरता दर
	व्यक्ति	7,784,54,120	74.04
	पुरुष	444,203,762	82.14
	महिलाएं	334,250,358	65.46

नोट: *सभी आंकड़े राष्ट्रीय औसत इंगित करते हैं।*

जबकि पश्चिम बंगाल में प्रति वर्ग किमी. क्षेत्र में आबादी की संख्या एक हजार से अधिक है। उधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अरुणाचल प्रदेश सब से कम घनता वाले क्षेत्र हैं। वहां आबादी की घनता क्रमशः 46 और 17 व्यक्ति है। बढ़ती आबादी के इस परिदृश्य में नगालैंड एक मात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धिदर और प्रति किमी. की दर में कुछ कमी हुई है।

पुरुष अनुपात

वर्ष 2001-2011 के दशक के दौरान आबादी में 18 करोड़ से अधिक की वृद्धि में पुरुषों की संख्या 9 करोड़ से ऊपर और महिलाओं की संख्या 9 करोड़ से कुछ कम है। इसे देख कर सहजता से यह कह सकते हैं कि नर-नारियों की संख्या के बीच अनुपात का अंतर पहले से कम हो गया है। महिलाओं की संख्या में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज एक हजार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या बढ़कर 940 हो गई है। पिछली जनगणना में यह संख्या 933 थी। वर्ष 1971 के बाद यह लिंग अनुपात सर्वाधिक है। लेकिन वर्ष 1961 के लिंग अनुपात से यह कुछ कम है। 29 राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में लिंग अनुपात में वृद्धि दर्ज़ की गई है। लेकिन तीन बड़े राज्यों बिहार, गुजरात और जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। लिंगानुपात में सबसे अधिक अंतर केंद्र शासित क्षेत्र दमन और दीव में है जहां प्रति हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 615 है। दादरा और नागर हवेली में लिंगानुपात 775 है। नर-नारियों के बीच लिंगानुपात में केरल का स्थान सर्वोपरि बना हुआ है। वहां प्रति एक हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1,084 दर्ज़ की गई है। पुडुचेरी ने भी कुछ-कुछ इसी राज्य का अनुसरण किया है। वहां लिंगानुपात 1,035 है। महिला अनुपात में यह वृद्धि सुकून देने वाली बात है।

कन्याओं की संख्या घटी

दुख की बात यह है कि देश में समग्र लिंगानुपात में कुछ सुधार होने के बावजूद छह वर्ष तक के छोटे बच्चों के लिंग अनुपात में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक गिरावट देखने को मिली है। वर्ष 2001 में एक हज़ार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 927 थी। लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना में यह घटकर न्यूनतम 914 रह गई है। पिछली जनगणना की तुलना में मात्र छह राज्यों में लिंगानुपात में सुधार देखने को मिला है। जबकि अन्य राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में यह अनुपात घट गया। जनगणना आयुक्त सी. चंद्रमौली के अनुसार ये आंकड़े बच्चों के मामले में लड़कियों के बजाय लड़कों को पसंद किए जाने के संकेत देते हैं। छह वर्ष तक के बच्चों के इस आयु वर्ग में मिज़ोरम और मेघालय में लिंग अनुपात बेहतर है। वहां यह कुल का 971 और 970 है। उत्तरी क्षेत्र में हरियाणा और पंजाब की स्थिति कुछ सुधरने के बावजूद कोई खुशनुमा तस्वीर पेश नहीं करती। वहां इस समय सबसे कम लिंगानुपात है। हरियाणा में लिंगानुपात 830 और पंजाब में 846 है जो आम राज्यों की तुलना में सबसे निचले स्तर पर है। कोई बड़ी बात नहीं, कन्याओं का यह कम और लड़कों का अधिक अनुपात आगे चलकर नर-नारी अनुपात की खाई को और बड़ा कर दे। इसे रोकने के लिए भ्रूण हत्या रोकने के कानून का सख़्ती से पालन करना होगा और बेटियों को पैदा होते ही उन्हें मार देने या दफ़ना देने की पैशाचिक हरकत के लिए कठोर दंड देना होगा।

साक्षरता में महिलाओं ने बाजी मारी

बात इस दशक में साक्षरता के बढ़ते कदमों की करें तो कह सकते हैं कि सर्वशिक्षा अभियान, विद्यालयों में दोपहर का भोजन देने, लाडली योजना और ऐसी ही अन्य प्रोत्साहनकारी रियायतें और सुविधाएं देने से साक्षरता और शिक्षा के प्रसार को पंख लग गए हैं। इन कार्यक्रमों की बदौलत साक्षरता दर 9.21 प्रतिशत बढ़ गई है। साक्षरता अब वर्ष 2001 के 64.83 प्रतिशत से बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गई है। आज स्थिति यह है कि सात वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों में साक्षरों की संख्या 74 प्रतिशत रह गई है और निरक्षरों की संख्या घटकर 26 प्रतिशत रह गई है। दूसरे शब्दों में अब चार में से लगभग तीन भारतीय साक्षर मिलेंगे। साक्षरता क्षेत्र की एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि महिलाएं पुरुषों को पीछे छोड़कर आगे निकलती जा रही हैं। परिणाम यह हुआ है कि अब दोनों के बीच साक्षरता की खाई सिमटती जा रही है। पिछले एक दशक में अगर साक्षर महिलाओं की संख्या बढ़कर 11 करोड़ हो गई है तो साक्षर पुरुषों की संख्या कुछ कम यानी 10 करोड़ 70 लाख पर ही टिक कर रह गई है। लेकिन अगर अब तक के पूरे जनदृश्य पर नज़र डालें तो कह सकते हैं कि कुल 74.04 की साक्षरता दर में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है। लेकिन महिलाओं में साक्षरता के तेज़ प्रसार के बावजूद यह न समझिए कि आधी दुनिया के लिए स्वर्ग धरती पर उतर आया है। आज भी अनेक घरों में बेटी के जन्म को अभिशाप और बेटे के जन्म को वरदान माना जाता है। एक के इस धरती पर आने पर मातम मनाया जाता है और दूसरे के आने पर ढोल-नगाड़े बज उठते हैं। यह विरोधाभास कचोटने वाला है और यह ख़त्म होना चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश अर्से से शिक्षा क्षेत्र में फिसड्डी माने जाते रहे हैं। लेकिन अब लंबे डग भरते हुए इस दुर्दशा को धोने में जी-जान से प्रयास कर रहे हैं। वे समग्र साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों में तेज़ी से रफ़्तार पकड़ते जा रहे हैं। बिहार में समग्र साक्षरता पिछले एक दशक में 47 प्रतिशत से बढ़कर 63.8 प्रतिशत हो गई है। उत्तर प्रदेश में समग्र साक्षरता 42.2 प्रतिशत से बढ़कर 59.3 प्रतिशत के पायदान पर पहुंच गई है। जहां तक महिला साक्षरता का संबंध है, बिहार में इसकी दर पिछले दस वर्षों में 20 प्रतिशत बढ़ गई है। यह 33.1 प्रतिशत से बढ़कर 53.3 प्रतिशत की ऊंचाई पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में यह 42.2 प्रतिशत से बढ़कर 59.3 प्रतिशत हो गई है। लेकिन अभी तक कोई भी राज्य केरल की ऊंचाई को छू नहीं सका है। वह समग्र, पुरुष और महिला तीनों क्षेत्रों में साक्षरता और शिक्षा के मामले में अपना शीर्ष स्थान कायम रखे हुए है।

कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जनगणना के ये आंकड़े जहां उम्मीद और उत्साह बढ़ाने वाले हैं वहीं वे आगाह करते हैं कि सुधारों की गाड़ी को विराम देने के बजाय उसे और रफ़्तार दी जाए। तभी इन आंकड़ों में दिखने वाले विरोधाभासों की इतिश्री हो सकेगी। रास्ता ज़रूर लंबा और बीहड़ है लेकिन अगर क़दम मज़बूती के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं तो सभी दुश्वारियां दूर होकर नया सवेरा ला देती हैं। ❑

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

रूद्र सिविल सर्विसेज

"हमारा मिशन/उद्देश्य - हिन्दी माध्यम में प्रतिशत चयन दर बढ़े।"

(हिन्दी माध्यम का सर्वोत्तम संस्थान)

(सामान्य अध्ययन, अभिरुचि परीक्षण, निबंध, भाषा-ज्ञान (सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी), साक्षात्कार

भारत की इस सबसे प्रतिष्ठित व गतिशील सेवा में प्रत्येक स्नातक भागीदारी ही नहीं, अंतिम तौर पर सफल भी होना चाहता है। सफलता के कुछ मानक हैं- उत्कृष्ट् श्रम शक्ति, ऊर्जस्विता, समय-प्रबंधन, ज्ञान-कौशल व अभिव्यक्ति- यहां पर हम अतुलनीय हैं, अध्ययन के उपरोक्त संदर्भ ज्ञान-अभिव्यक्ति-संवाद से जुड़े पहलू हैं- इस जोड़ के मर्म को समझने की आज महती आवश्यकता है।

स्तरीय व मौलिक ज्ञान, बेहतर अभिव्यक्ति, उत्कृष्ट लेखन क्षमता, उच्च आत्म विश्वास तथा हिन्दी से जुड़े हीन भाव व माध्यम की भ्रांति दूर करने में हम अनोखे व अद्वितीय होंगे।

हम आपके साथ मिलकर इतिहास रच सकते है।

हमारे कक्षा-कार्यक्रम :

क्रम	परीक्षा का नाम व विषय	कक्षा प्रारम्भ होने की तिथि व समय
1.	सामान्य अध्ययन व निबंध (मुख्य परीक्षा-2011)	7 जुलाई, सायं 5 व 7:30 बजे कुल समय- लगभग 4 माह व 1 माह
2.	आधारिक कक्षा कार्यक्रम (फाउंडेशन कोर्स) सामान्य अध्ययन, अभिरूचि परीक्षण, निबंध, भाषा-ज्ञान (सामान्य हिन्दी व अंग्रेजी), लेखन क्षमता व अभिव्यक्ति विकास, साक्षात्कार	14 जुलाई, 8 बजे प्रातः कुल समय- 8-10 माह
3.	सामान्य अध्ययन व अभिरूचि परीक्षण (प्रा. परीक्षा-2012)	21 जुलाई, 11 बजे दिन कुल समय- 6½ माह
4.	अभिरूचि परीक्षण (प्रा. परीक्षा-2012)	28 जुलाई, सायं 3 बजे, कुल समय- 3 माह
5.	सामान्य अध्ययन, निबन्ध (मुख्य परीक्षा-2012)	27 अक्टूबर, सायं 5 व 7:30 बजे
6.	सामान्य हिन्दी व निबंध (राज्य सिविल सेवाओं के लिए)	जुलाई से हर दूसरे माह प्रथम सप्ताह/2 माह
7.	निबन्ध (सिविल सेवा)	प्रत्येक माह, प्रथम सप्ताह, 1 माह
8.	साक्षात्कार	परीक्षा परिणाम के 5 दिन बाद

नामांकन जारी

इसी के साथ
अनंत शुभकमनाएं
एल.एम. त्रिपाठी
ए.के. गुप्ता

उपलब्ध विषय

लोक प्रशासन
द्वारा
सुशील सर
आप प्रयास आई.ए.एस. स्टडी सर्किल के निदेशक तथा लोक प्रशासन के लब्ध्प्रतिष्ठ विशेषज्ञ है।

निदेशक
डॉ. सी.वी. सिंह
रूद्र सिविल सर्विसेज

202, विराट भवन, एम.टी.एन.एल. विल्डिंग, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
09650289809, 09899038193, 09412879525

YH-99/2011

बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्न उपलब्धता

● गौरव कुमार

भारत की 15वीं जनगणना की प्रारंभिक रिपोर्ट 31 मार्च, 2011 को जारी की गई। इसके अनुसार भारत की आबादी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर 121.02 करोड़ हो गई है। इसके पूर्व की जनगणना 1991-2001 के बीच भारत की आबादी 102 करोड़ थी।

देश की जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक योगदान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार ने दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ के साथ ब्राज़ील की आबादी के बराबर हो गई है। महाराष्ट्र की आबादी मैक्सिको के बराबर और बिहार की जनसंख्या 9 करोड़ के साथ जर्मनी की कुल आबादी 8 करोड़ 30 लाख से अधिक हो गई है।

भारत की बढ़ती जनसंख्या न केवल भारत के लिए वरन संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय है। बढ़ती जनसंख्या ने भारत की जनता के लिए संसाधनों की पूर्ति व प्रबंध की बहुत बड़ी चुनौती पैदा की है। इस बार की जनगणना में यद्यपि वृद्धिदर में कमी आई है फिर भी जनसंख्या वृद्धि ने तमाम तरह की आर्थिक-सामाजिक समस्याओं को तीव्र रूप में प्रस्तुत किया है। देश से ग़रीबी हटाने की तमाम योजनाएं जनसंख्या विस्फोट की चुनौती के सामने असफल साबित हुई हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 42 प्रतिशत जनसंख्या ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करती है। बढ़ती जनसंख्या ने बेरोज़गारी जैसी गंभीर समस्या को उत्पन्न किया है जिसका परिणाम 7.8 प्रतिशत बेरोज़गारी दर के रूप में हमारे सामने है।

जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से तो हम सभी लोग अवगत हैं जिसने कई तरह की समस्याओं को वर्तमान में हमारे समक्ष रखा है। साथ ही हमारी भावी पीढ़ी को भी इन समस्याओं का सामना अधिक बड़े स्तर पर करना होगा। बढ़ती जनसंख्या को वजह से सीमित मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र दोहन हुआ है। भूमि की उर्वरा शक्ति, खनिज, भूमिगत जल ऐसे संसाधन हैं जिनकी भरपाई मुश्किल है। कृषि जोत का सिमटता आकार हमारे उत्पादन को प्रभावित करता है जिससे खाद्यान्न संकट की स्थिति पैदा हुई है।

वर्ष 2000 तक हम 20 करोड़ टन अनाज उत्पन्न करते थे जिसकी आवश्यकता वर्ष 2020 तक बढ़कर 36 करोड़ टन हो जाएगी। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल रिलेशन के अनुसार भारत में खाद्यान्न का उत्पादन घटने, अनियमित मानसून, बायोडीजल हेतु अनाजों का उपयोग सहित कई नीतिगत कारणों से वर्ष 2011 के बाद देश में सभी के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में आम आदमी की क्षमता पर्याप्त पोषणयुक्त भोजन प्राप्त करने की नहीं है। इससे भूख और कुपोषण के स्तर में लगातार वृद्धि होती जा रही है जिससे क़रीब 23 करोड़ 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। यह स्थिति विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारत में अधिक है।

तालिका-1

देश	जनसंख्या
चीन	1341000000
भारत	1210000000
अमरीका	311075000
इंडोनेशिया	237556363
ब्राज़ील	190732694

विश्व में खाद्यान्न संकट का मुद्दा व्यापक स्तर पर उठ रहा है। इस परिवेश में भारत के सामने भी इससे जुड़ी समस्या का समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। भारत की आबादी की वृद्धि के अनुरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रहा है। इसी को केंद्रीय मुद्दा बनाकर दूसरी हरित क्रांति लाने की दिशा में कोशिशें की जा रही हैं। हमारे पास कुशल प्रबंधकीय व तकनीकी क्षमता का सही तरीक़े से उपयोग करने की कमी है। इसके कारण बहुत सारा अनाज भंडारण की अव्यवस्था की वजह से बर्बाद हो रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इस मुद्दे पर सलाह दी है कि इन अनाजों को ग़रीबों, वंचितों में मुफ़्त बांट दिया जाए। परंतु समस्या का यह स्थायी हल नहीं प्रतीत होता। सिर्फ़ अधिशेष अनाजों को मुफ़्त में बांट देनेभर से ही हम खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी बढ़ती जनसंख्या और उससे जुड़ी खाद्यान्न उपलब्धता की समस्या का स्थायी निदान तभी संभव है जबकि हम जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप खाद्यान्न उत्पादन और उसके संरक्षण के प्रति उचित नीति अपनाएं। भारत ऐसा पहला देश है जिसने जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाई थी। परंतु इसके सही क्रियान्वयन और नागरिकों के सहयोग के अभाव में समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम चीन की तरह जनसंख्या नियंत्रण के कठोर व सख़्त साधनों को भी नहीं अपना सकते। फिर हमें ऐसी नीति को प्रोत्साहन देना होगा ताकि लोगों में इसके लिए स्वत: चेतना आए। इसके लिए सबसे ज़रूरी कदम यह उठाना होगा कि हमें

अपनी शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा। निःसंदेह हमारी राष्ट्रीय साक्षरता दर 74 प्रतिशत हो गई है। परंतु कई राज्य ऐसे भी हैं जो इस स्तर से भी काफी पीछे हैं। कई राज्यों में अभी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के पुराने पड़ चुके पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन पुरानी नीतियों के साथ हम वैश्विक आधुनिक समस्याओं को कैसे सुलझा पाएंगे?

हमें नये सिरे से एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम नीति बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि एक गुणवत्तापूर्ण साक्षर राष्ट्र ही किसी भी समस्या का सही व बौद्धिक तरीक़े से समाधान करने की स्थिति में होगा। शिक्षा के स्तर में गिरावट का ही यह असर है कि हमें आज भी व्यापक स्तर पर बाल-विवाह जैसी समस्या देखने को मिल रही है। इसका परिणाम ख़राब स्वास्थ्य स्तर के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि के अन्य समस्याओं के रूप में सामने आता है। जनसंख्या वृद्धि का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि हम उसे कुशल मानव संसाधन में बदलकर लाभ ले सकते हैं। परंतु अस्वस्थ मानव संसाधन राष्ट्र को लाभ देने के बजाय खुद स्वास्थ्य सुविधाओं पर देश की आय से ही ख़र्च करा देगा। इससे राष्ट्रीय आय से अधिक व्यय पर ही दबाव बढ़ता जाएगा और हमारी आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। अतः समाज को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हमारी इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में स्थापित हो सकती है।

जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम गरीबी, बेरोज़गारी आदि के रूप में तो है ही, हमारी पूर्व से निर्मित व्यवस्था के लिए भी यह समस्या पैदा करता है। साथ ही पहले से ही लगातार घट रहे प्राकृतिक संसाधनों का भी इसके द्वारा व्यापक स्तर पर दोहन किया जाता है जोकि भविष्य के लिए एक बड़े संकट का संकेत है।

भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। भूमि की उर्वरा शक्ति भी अधिक अन्न उत्पादन करने के लालच में कीटनाशकों व रासायनिक खादों के प्रयोग से घटती जा रही है। इसका दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। कृषि अब लाभ का कार्य नहीं रह गया है। इस उक्ति को कृषक बार-बार दुहराकर अपनी संकटपूर्ण स्थिति को प्रकट करते हैं। कृषि में हुई हानि असहनीय हो जाती है। इसके कारण कई बार किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस स्थिति के साथ हमारी नीतिगत खामियां भी जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा के लिए ये सब शुभ संकेत नहीं है। कृषि योग्य उर्वर भूमि का कृषि से इतर कार्यों के लिए उपयोग व बेतरतीब ढंग से दोहन करते जाना बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ मानव समाज के लिए ख़तरे का संकेत है। लगभग 2500 ई. पू. में विकसित भारत की हड़प्पा सभ्यता का विनाश कृषि योग्य भूमि, भूमिगत जल और संसाधनों के अनियंत्रित दोहन और बढ़ती जनसंख्या के कारण ही हुआ। वर्तमान समय में हमें ऐतिहासिक घटनाओं से सीख लेते हुए उत्पन्न संकट का समाधान करना होगा।

अभी खाद्य सुरक्षा की बात चल रही है। भोजन का अधिकार प्रत्येक नागरिक को हासिल होना चाहिए। यह हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को मिला है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा बिल संसद के सम्मुख पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। कृषि क्षेत्र के विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। वर्ष 2011-12 के वार्षिक बजट में इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किसानों के लिए कर्ज़ की राशि बढ़ाकर 4 लाख 75 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। कृषि व सहयोगी क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक निवेश, प्रोत्साहन व आधारभूत ढांचे के निर्माण की योजना बनाई गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के द्वारा वर्ष 2011-12 तक देश में 10 लाख टन चावल, 8 लाख टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखते हुए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इन उपायों से खाद्यान्न सुरक्षा के प्रति सकारात्मक आशा जगी है। परंतु इसके साथ इस आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि पूर्व की कई योजनाएं जिस प्रकार सकारात्मक परिणाम प्रस्तुत नहीं कर सकीं इसका भी हाल कहीं वैसा ही न हो जाए।

कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाकर ही हम खाद्य सुरक्षा की दिशा में प्रभावशाली कदम बढ़ा सकते हैं वरना बढ़ती जनसंख्या की संकटपूर्ण तस्वीर के सामने भुखमरी व कुपोषण का स्तर गंभीरतर होता जाएगा। यदि खाद्यान्न सुरक्षा और भोजन तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना हमारा वास्तविक लक्ष्य है तो हमें यथाशीघ्र इसके सकारात्मक फलदायी कार्यों के प्रति विशेषज्ञता और प्रबंधकीय क्षमता का सदुपयोग करना होगा। सबसे पहले हम कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्याओं जिनमें भूमि की उर्वरा शक्ति, आकार, बीज, सिंचाई, खाद आदि को चिन्हित करना होगा फिर उसके लिए ठोस नीतियां बनानी होंगी।

जिस प्रकार से बढ़ती जनसंख्या ने कृषि जोत का आकार घटाया है उसके लिए नये सिरे से भू-स्वामित्व अधिनियम बनाने की ज़रूरत है। कृषि योग्य भूमि के गैर-कृषि कार्य में उपयोग के प्रति भूमि अधिग्रहण नीति को सामाजिक सरोकारों से जोड़कर देखना होगा। प्रायः यह देखने में आता है कि बहुत से उद्यमी व धनाढ्य लोग कृषि योग्य भूमि खरीद कर उसे बिना उपयोग में लाए ऐसे ही छोड़ देते हैं इससे हमारी उत्पादकता प्रभावित हो रही है। इस समस्या के प्रति हमें नयी नीतियां बनानी होंगी।

भूमिगत जल का निरंतर दोहन करते जाना व नदियों में कीटनाशकों का प्रवाहित होना पेयजल व सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। इसके लिए हम भारत निर्माण योजना या मनरेगा के तहत पंचायत स्तर पर वर्षा जल संचय संयंत्र लगाकर क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई समस्या का हल कर सकते हैं। शहरों के नालों से गुजरकर जो प्रदूषित जल नदियों को दूषित करते हैं उन्हें पहले ही रोककर उपचारित करके आस-पास के खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा समुद्रतटीय इलाकों में समुद्री जल का प्रयोग कृषि में करना भी महत्वपूर्ण क़दम होगा। इसके लिए उपयुक्त फसल का अनुसंधान करने की ज़रूरत है। अनुसंधान क्षेत्र में हमारी उपलब्धि काफी कम है जिसकी वजह से हमें आयातित तकनीक का प्रयोग करना पड़ता है। इसकी जगह पर हमारे देश के अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ करने की दिशा में व्यापक निवेश व प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। स्थानीय मिट्टी के अनुरूप आधार बीज तैयार करने के प्रति हमारे अनुसंधान संस्थानों को प्रेरित करना होगा ताकि अच्छे उत्पादन का फल प्राप्त किया जा सके।

उर्वरकों, रासायनिक खादों और कीटनाशकों ने धरती की उर्वरा शक्ति में व्यापक ह्रास किया है। इसका कुप्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। इसके लिए हमें जैविक खेती को प्रोत्साहन देना होगा और नियम विहित करने होंगे।

इन उपायों के साथ शिक्षा के स्तर में सुधार और कृषि क्षेत्र के पंचायत स्तर पर सुदृढ़ीकरण की योजना साकार करना होगा ताकि हम अपनी बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें। ❑

(लेखक युवा पत्रकार हैं।

ई-मेल : gauravkumarss1@gmail.com)

बढ़ती जनसंख्या की दुश्वारियां और निदान

● ऋतु सारस्वत

हाल ही में प्रकाशित वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े कहीं आश्वस्त करते हैं तो कई जगहों पर चुनौतियों को पार करने की चिंता भी जताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह दृष्टिगोचर हुई है कि आबादी विस्तार की दर में नब्बे साल बाद पहली बार कमी देखने को मिली है। परंतु चिंता का विषय है कि जनसंख्या के मामले में भारत 134 करोड़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाले चीन के क़रीब पहुंच गया है। अमरीकी एजेंसी पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के अनुसार सन् 2050 में भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक 162.8 करोड़ हो जाएगी। किसी भी देश की जनसंख्या उसकी पूंजी होती है। इसलिए जनसंख्या के उपयुक्त आकार और श्रेष्ठ गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर ही किसी देश का विकास निर्भर करता है और इस संदर्भ में भारत की स्थिति बेहद चिंताजनक रूप धारण कर चुकी है। 2005 में जनसंख्या घनत्व 345 व्यक्ति प्रति किमी. था जो 2025 में बढ़कर 440 हो जाएगा। इस बढ़ती जनसंख्या ने भारत के विकास को धीमा कर दिया है एवं समय के साथ-साथ, यहां संसाधनों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता घट रही है। अधिक जनसंख्या से भूमि पर लगातार दबाव बढ़ रहा है वहीं दूसरी ओर दुर्लभ संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा है। इतनी बड़ी आबादी का भरण-पोषण करना कठिन है। सन् 1980-81 में जहां प्रतिव्यक्ति कृषि 0.27 हेक्टेयर थी, वहीं सन् 2004-05 तक यह घटकर 0.17 हेक्टेयर हो गई। अधिक उपज के लिए उर्वरकों के उपयोग के चलते खेतों की उर्वरता घट रही है। मॉल्थस का सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी की पोषण क्षमता सीमित है, अतः प्राकृतिक पारिस्थितिकी के पुनर्भरण की क्षमता के मध्य इसका संतुलित उपभोग करने पर ही पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को टिकाऊ रखा जा सकता है। बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। सन् 2000 तक जहां 20 करोड़ टन अनाज का उत्पादन होता था, वहीं 2020 तक 36 करोड़ टन अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल रिलेशन का कहना है कि भारत में खाद्यान्न की उत्पादकता घटने, ग्लोबल वॉर्मिंग के बढ़ने, मानसून की कमी की आशंका, बायो डीजल के लिए अनाज का उपयोग और मोटे अनाज के इस्तेमाल को बढ़ावा न देने के कारण 2011 के बाद देश में सभी के लिए भोजन जुटाना गंभीर समस्या हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (यूएनएफएओ) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आम आदमी के पास पर्याप्त खाद्यान्न न होने के कारण भूख और कुपोषण की समस्या बढ़ती जा रही है। भारत में भूख और कुपोषण से प्रभावित लोगों की संख्या विश्व में सर्वाधिक 23 करोड़ 30 लाख है। देश की आबादी प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ की दर से बढ़ रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वे के अनुसार देश की दो-तिहाई शहरी आबादी को 2030 तक शुद्ध पेयजल प्राप्त न हो सकेगा। वर्तमान में पानी की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 1,525 घनमीटर है वहीं 2,030 में यह उपलब्धता मात्र 1,060 घनमीटर रह जाएगी। आवास एवं शहरी ग़रीबी निवारण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 2.47 करोड़ मकानों की कमी पाई गई है। पैसे ख़र्च करने के लिए तैयार होने के बावजूद लोग बिजली, ईंधन जैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भारत में आज भी लगभग 40 प्रतिशत घरों में बिजली उपलब्ध नहीं है। इसका स्वाभाविक सा कारण है कि जिस गति से जनसंख्या बढ़ी है अर्थात बिजली की मांग बढ़ी है उस गति से बिजली उत्पादित करने वाले संसाधन नहीं बढ़े हैं। यह अनुपलब्धता सिर्फ रोशनी तक सीमित हो, ऐसा नहीं है। आज भी भारत में लगभग 2 करोड़ व्यक्ति खुले में खाना बनाते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का निष्कर्ष है कि देश की अधिकांश रिहायशी इकाइयों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण आराम व सुख की जगह परेशानी एवं तनाव की स्थितियां दिखाई देती हैं। स्थिति तो यह है कि शहरों में मकानों की कमी के कारण मलिन बस्तियां वर्ष-प्रतिवर्ष तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। विश्व की सबसे अधिक मलिन बस्तियां भारत में हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 में देश में 400 छोटे-बड़े शहरों में रहने वाले 30 करोड़ लोगों में से छह करोड़ से अधिक लोग

52 हज़ार मलिन बस्तियों में रहते हैं। बढ़ती जनसंख्या से वनों की संख्या में लगातार कटौती हो रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है। जंगलों को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काटा जा रहा है जिससे क़रीब एक प्रतिशत क्षेत्रफल हर साल रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है। ईंधन के तौर पर लकड़ी के अधिकाधिक प्रयोग का परिणाम ही है कि मिट्टी की नमी में लगातार कमी होती जा रही है और भूजल स्तर तेज़ी से गिर रहा है। यह जनसंख्या का लगातार बढ़ता भार ही है जिसने पर्यावरण को इस सीमा तक नुक़सान पहुंचाया है कि हर साल लगभग सौ जिले सूखा झेलते हैं। यह आंकड़े इस तथ्य को स्पष्ट कर रहे हैं कि जनसंख्या का बढ़ता दबाव आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक दृष्टि से देश को गहरी क्षति पहुंचा रहा है।

जनसंख्या और विकास आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह संभव है कि विभिन्न मार्गों को खोजकर उपलब्ध संसाधनों से ही लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके परंतु सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जनसंख्या यदि नहीं थमी तो भारत जनसंख्या के बोझ तले दब जाएगा। जनसंख्या की गति तो तभी थम सकती है जब आम जनता जनसंख्या में चिंताजनक वृद्धि के दुष्परिणामों को समझे। संसाधन सीमित हैं, उन्हें एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है। भारत आज से वर्षों पूर्व किए गए उस सिद्धांत का वाहक बन गया है जोकि माल्थस ने प्रतिपादित किया था जिसके अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर क्रम में (1,2,4,8,16....) बढ़ती है लेकिन व्यक्ति को संतुष्ट करने के साधन समांतर क्रम में (1,2,3,4,5..) ही बढ़ पाते हैं। इसी स्थिति में यह जन-जन के लिए आवश्यक है कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका उचित दोहन हो। जनसंख्या की तीव्र गति को रोकने एवं संबंधित दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने हेतु 11 मई, 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता था, जिसके लिए जनसांख्यिकी, शैक्षिक, पर्यावरण और विकास कार्यक्रमों में तालमेल को बढ़ावा देना था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की विशेषकर उच्च प्रजनन राज्यों में समीक्षा करना, उच्च प्रजनन जिलों की पहचान और जिला कार्य योजनाएं तैयार करना, जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए नीति प्रधानता वाले प्रासंगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना शामिल हैं। योजना की व्यापक व बहुक्षेत्रीय समन्वयन को सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की योजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का मई 2005 को पुनर्गठन किया गया। जनसंख्या की वृद्धि को शून्य के स्तर पर पहुंचने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम में स्वैच्छिक आधार पर नियोजित परिवार को बढ़ावा देना आवश्यक है। यह सर्वविदित तथ्य है कि गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल प्रजनन के राष्ट्रीय स्तर से सीधे जुड़ा है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम महिला केंद्रित है। पुरुषों की परिवार नियोजन के स्थायी तरीक़े अपनाने में दिलचस्पी न होने से महिलाएं परिवार नियोजन के स्थायी तरीक़े अपनाने पर मज़बूर होती हैं। महिलाओं के साथ भेदभाव और इसकी सारी जिम्मेदारी थोपे जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पहलुओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से अधिकार-संपन्न बनाना परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम सिर्फ़ गर्भनिरोधक साधानों की उपलब्धता तक सीमित होकर न रह जाए अपितु ऐसे कार्यक्रमों एवं नीतियों का निर्माण किया जाए जो परिवार सीमित रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे।

देश का एक बड़ा वर्ग आज भी परिवार के बड़े आकार को अर्थ-अर्जन के तौर पर देखता है 'जितने हाथ उतना काम' इन पंक्तियों के ताने-बाने से निम्न आर्थिक वर्ग की संरचना गढ़ी हुई है। शिक्षा से दूर, यह वर्ग जहां एक ओर संतान को ईश्वरीय वरदान के रूप में देखता है वहीं दूसरी ओर उसे किंचित भी यह ज्ञान नहीं कि उनके बड़े परिवार का आकार न केवल उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास को रोक रहा है बल्कि देश के लिए बोझ भी बन रहा है। ऐसी स्थिति में, एक ऐसी नीति की आवश्यकता है जहां अर्थ-अर्जन के रूप में अधिक संतान को जन्म देने वाले अभिभावकों को, उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए नवीन मार्ग उपलब्ध कराए जाएं। इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में छोटे परिवार को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन और सिल्वर कार्ड के नाम से नयी योजना शुरू करने का फैसला किया है। योजना के तहत कार्डधारियों को राज्य में आर्थिक लाभ के अलावा, नौकरी में आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्राप्त होगी। यह योजना अगर वास्तविकता का रूप धारण करती है तो निस्संदेह इससे जनसंख्या की गति थमेगी। चूंकि देश का एक बड़ा वर्ग यह भी सोचता है कि उनके बच्चे उनका दायित्व है, उनके भरण-पोषण का दायित्व भी उनका है, तो इससे देश को क्या नुक़सान? ऐसे में आवश्यकता है कि उनके इस भ्रम का तोड़ा जाए। इसका एक महत्वपूर्ण ज़रिया हो सकता है वृत्तचित्रों का निर्माण, जिसके माध्यम से बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों को दर्शाया जाए। निश्चित तौर पर देश की अशिक्षित जनता पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनके चिंतन की दिशा बदलेगी।

सन् 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.9 अरब हो जाएगी। भारत में जनसंख्या वृद्धिदर का लक्ष्य 1.2 प्रतिशत करने की बहुत कम संभावना है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका उचित दोहन हो। हमारे लिए अति आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ उपलब्ध संसाधनों को बचाया जाए। किसी देश की जनसंख्या उसकी अर्थव्यवस्था और संसाधनों की उपलब्धता सीमाओं के भीतर रहनी चाहिए और अगर ऐसा न हो सके तो इसे कम से कम एक निश्चित स्तर पर स्थिर कर दिया जाना चाहिए ताकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रह जाए। कभी हर मंच से सुनाई देने वाले जनसंख्या नियंत्रण के नारे अब यदा-कदा ही सुनाई देते हैं। इस समस्या की अनदेखी का सीधा अर्थ है उसके गंभीर परिणामों को आमंत्रित करना। इससे पहले कि महाशक्ति बनने का हमारा सपना समय से पहले ही जनसंख्या के दबाव से दम तोड़ दे, हमें जनसंख्या वृद्धि को थामने के लिए भगीरथ प्रयास करने की आवश्यकता है। ❑

(लेखिका समाजशास्त्र की वरिष्ठ प्रवक्ता हैं।

ई-मेल : saraswatritu@yahoo.co.in)

जनसंख्या, विकास तथा मानव अधिकार

● अंजू वर्मा

किसी भी देश की जनसंख्या उसके लिए संसाधन भी होती है और दायित्व भी। वस्तुत: कोई भी समाज मूलत: अपने सदस्यों से बनता है और वे सदस्य ही सामाजिक व्यवस्था के लक्ष्य के रूप में रहते हैं। उनकी जीन की गुणवत्ता को सुरक्षित रखना और उसमें वृद्धि ही एक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख प्रतिबद्धता होती है। जब जनसंख्या देश के संसाधनों की तुलना में अधिक हो जाती है तब अनेक कठिनाइयां खड़ी होने लगती हैं। समाज के लिए भोजन, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की मूलभूत ज़रूरतों की अनदेखी कर कोई शासन सत्ता में नहीं रह सकता। इतिहास और आज विश्व में तमाम क्षेत्रों में हो रही घटनाएं इस बात की गवाह हैं कि समाज की ज़रूरतों के पूरा न होने पर जब क्षोभ, कुंठा और असंतोष बढ़ता है तो जनाक्रोश तख़्ता पलट देता है, युद्ध होते हैं, क्रांति का बिगुल बज उठता है। दूसरी ओर जब समाज की आशा-आकांक्षा पूरी होती है तो उद्योग धंधे, शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से समृद्धि आती है। अर्थात जनसंख्या के दो पहलू हैं और वह एक साथ संसाधन भी है और उस संसाधन की उपभोक्ता भी है। इनके बीच संतुलन आवश्यक है।

भारत आज जनसंख्या की दृष्टि से केवल चीन से पीछे है और उसकी जन्म दर में किंतु पहली बार मात्र हल्की उल्लेखनीय गिरावट आई है। व्यापक स्तर पर देखें तो हम 'जनसंख्या विस्फोट' की स्थिति में आ रहे हैं जहां सभी संसाधनों पर भारी दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। चाहे पेयजल का प्रश्न हो या यातायात व्यवस्था हो, विद्यालय हों, नौकरी हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, सबकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण की बढ़ती मात्रा इसका ज्वलंत उदाहरण है। आज हर छोटे-बड़े शहर और महानगर के सामने अपने नागरिकों के लिए मूल सुविधाएं जुटाना कठिन हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण शुद्ध हवा और पानी मिलना भी दूर हो रहा है। मांग और पूर्ति का नियम काम करता है और जैसाकि हम सब देख रहे हैं, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और संसाधनों पर अधिकार जमाने के लिए जायज़-नाजायज़ हर तरह के हथकंडे लोग अपनाने से बाज़ नहीं आ रहे हैं। अपराध की दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और ग़रीब-अमीर की खाई बढ़ रही है। इन सबका जनसंख्या वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का संबंध है।

भारत में जनसंख्या का वितरण विभिन्न क्षेत्रों में एक-सा नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में, नगरों और महानगरों में जनसंख्या का घनत्व गांव, पहाड़ और पठार की तुलना में बहुत ज्यादा है। ऐसा होना स्वभाविक भी है। जहां जीवन चलाने के अवसर अधिक उपलब्ध होते हैं वहां जनसंख्या करोड़ पार कर रही है और जो कभी एक नगर था उसे पूरे राज्य का दर्ज़ा दिया जा रहा है। दिल्ली का विस्तार जितना हुआ है और जनसंख्या का दबाव जिस तरह बढ़ रहा है वह विलक्षण है। परिणाम हमारे सामने हैं– यमुना जल कचरा हो गया है और वायु प्रदूषण स्वीकृति सीमाओं के पार जा रहा है। वस्तुत: दिल्ली की नागरिक समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के परिणामों को समझने में और सामने रखने में, उन्हें बखूबी उद्घाटित करने में सक्षम हैं।

जनसंख्या एक जटिल प्रश्न है जिसका सीधा समाधान नहीं है। उदाहरण के लिए हम ग़रीबी और जनसंख्या वृद्धि के बीच के संबंध को ले सकते हैं। ग़रीबी का संबंध जनसंख्या बढ़ने से भी है, यह कह कर हम प्रश्न टालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, केवल प्रश्न की जटिलता की ओर संकेत कर रहे हैं। यह बात तब और अच्छी तरह उभर कर सामने आती है जब हम जनसंख्या और मानव अधिकार के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं।

जैसाकि सर्वविदित है मानव अधिकार का क्षेत्र मानव गरिमा की रक्षा करने से जुड़ा हुआ है। एक मनुष्य को मात्र मनुष्य होने के कारण जो अधिकार स्वत: प्राप्त हैं और जिन्हें किसी

भी हाल में उससे छीना नहीं जा सकता, उन्हें हम मानव अधिकार कहते हैं। ये जीवन की रक्षा करने, उसे समृद्ध करने और उसे गरिमायुक्त करने का काम करते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य जीवन की मूलभूत ज़रूरतें इसमें शामिल हैं। आदर्श स्थिति में ये स्वत: सबको प्राप्त होने चाहिए, परंतु वास्तविकता इससे कोसों दूर है। जीवन, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत ज़रूरतों की आपूर्ति एक ही देश के समाज के सभी वर्गों या सभी देशों में एक-सी नहीं पाई जाती। इनमें बड़ा भेदभाव है। यहां तक कि इन मानव अधिकारों की चेतना या जानकारी भी सबको समान रूप से नहीं होती। फल यह होता है कि बहुतेरे लोग मानव अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।

मानव अधिकारों की सूची पर गौर करें तो ये अधिकार देश की सरकार से भी अपेक्षा करते हैं। इनकी जानकारी जनता में हो, यह अच्छी बात है। उसकी चेतना से वे सक्रिय होंगे। पर यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सरकारी तंत्र को सक्रिय करना भी आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाना सरकारी जिम्मेदारी बनती है। भारत सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका आदि के क्षेत्रों में कानून बनाकर और विभिन्न परियोजनाएं चलाकर अधिकाधिक लोगों के लिए साधन और अवसर जुटाने का प्रयास किया है। इन सबसे जुड़ी उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं परंतु नाकाफी हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण जितना संसाधन उपलब्ध होना चाहिए वह उपलब्ध नहीं हो पाता और जो उपलब्ध होता भी है उसका समुचित उपयोग जटिल चुनौती बन जाती है। भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंच ही नहीं पाते। हितग्राहियों के निर्धारण में भी भेदभाव के अनेक मामले सामने आए हैं। इन सबके फलस्वरूप सामाजिक विषमता बढ़ रही है। इसका उग्र और अप्रिय रूप माओवादियों या नक्सलवादियों की मानव अधिकारों की अवहेलना करते हुए तथाकथित लड़ाई के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है।

1947 में आजादी मिलने के बाद से भारत की जनसंख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है। उसके नियंत्रण के उपाय बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। परिवार नियोजन की लचर योजना, शिक्षा की कमी, अंधविश्वास और स्वास्थ्य की जागरुकता न होने के फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि अनियंत्रित हो चली है।

मानव विकास और मानव अधिकार के बीच के रिश्ते बड़े स्पष्ट हैं। हमें जनसंख्या की ऐसी नीति बनानी चाहिए जो इन दोनों के साथ न्याय कर सके। साथ ही जनसंख्या के नियंत्रण के उपाय दंडात्मक नहीं होने चाहिए। इन प्रयास में स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिन्हें अभी भी बराबरी का दर्ज़ा नहीं मिल सका है। कहना न होगा कि प्रजनन में स्त्री की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है उसे पुरुष केंद्रित भारतीय समाज ने उसे अभी भी ठीक से नहीं स्वीकार किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या और विकास के प्रश्न को लेकर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श हुआ है। हमें परिवार कल्याण पर केंद्रित जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर बल देना होगा और साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि स्त्रियों के स्वास्थ्य को हानि न पहुंचे। इसके लिए जनसहयोग और भागीदारी परमावश्यक है। जनसंख्या की दर स्थिर हो, जन्मदर घटे और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो, यह हमारा ध्येय होना चाहिए। इसे करने में हमें स्त्री के स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। साथ ही प्रजनन या बच्चा पैदा करने के बारे में निर्णय लेने, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, परिवार नियोजन आदि में किसी तरह की हिंसा या भेदभाव नहीं होना चाहिए।

जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि निश्चय ही देश के सामने कठिनाई पैदा कर रही है और उन कठिनाइयों में मानव अधिकारों का हनन भी शामिल है। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया था बढ़ती जनसंख्या न केवल शांति और कानून-व्यवस्था को चुनौती देती है बल्कि बच्चों और महिलाओं के आर्थिक और शारीरिक शोषण के अवसर भी पैदा करती है। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ऐसी अनेक शिकायतें प्राप्त होती हैं जहां उपर्युक्त दृष्टिकोण की पुष्टि होती है।

अत: यह आवश्यक है कि पूरी इच्छाशक्ति के साथ जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर उन तरीक़ों को बढ़ावा दिया जाए जो मानवीय गरिमा के अनुकूल हों और मानव संसाधन की दृष्टि से देश को समृद्ध बना सकें। ❑

(लेखिका मेरठ स्थित स्वयंसेवी संगठन *चौधरी इकबाल सिंह एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी* **की सचिव हैं)**

अपने लेख हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल करने के लिए कृतिदेव फांट इस्तेमाल करें और वर्ड ओपन फाईल exeed.yojana@gmail.com अथवा yojanahindi@gmail.com पर भेजें। एक से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार अथवा फोन न करें। विशेष अवसरों के लिए लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। डाक से भेजे जाने वाले लेखों की एक प्रति सीडी में भी भेजें। वापसी के लिए कृपया टिकट लगा और पता लिखा लिफ़ाफ़ा संलग्न करें।

– वरिष्ठ संपादक

दुनिया का सबसे बड़ा अभियान

● संगीता यादव

देश में 15वीं जनगणना का नारा था- हमारी जनगणना, हमारा भविष्य। यानी इस बार की जनगणना पूरी तरह से भविष्य की तस्वीर के मद्देनजर की गई। यही वजह है कि पूर्व में हुई जनगणना के दौरान बरती गई सावधानियों के अलावा भी अनेक बातें इस बार की गणना में शामिल की गईं। यह जनगणना कई मामलों में खास रही। यह जनगणना अभियान दुनिया में सबसे बड़ा अभियान था। इस गणना में पहली बार मोबाइल फोनधारक, कंप्यूटरधारक, इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों, शुद्ध पानी की उपलब्धता, बिजली आदि की भी जानकारी ली गई।

सन् 1872 की पहली जनगणना से ही यह नागरिकों से संबंधित विभिन्न विशेषताओं एवं सांख्यिकीय सूचनाओं का विश्वसनीय स्रोत रहा है। पहली जनगणना देश के अलग-अलग प्रांतों में भिन्न-भिन्न समय पर आयोजन की गई थी। वर्ष 1881 में एक जनगणना पूरे देश के लिए एक साथ की गई थी। तब से हर दस साल में यह जनगणना बिना किसी व्यवधान के आयोजित की जाती है। यह तय समय पर देश की जनसंख्या और आवास का एक ख़ाका बनाने में मदद करती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय प्रत्येक दस वर्ष के बाद देश में जनगणना कराने के लिए एक नोडल प्राधिकरण है। जनगणना में इस बार आबादी का बायोमीट्रिक डाटाबेस भी तैयार किया गया। इस तरह देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क़रीब 1.2 अरब लोगों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

अभियान के तहत पहले चरण में अप्रैल से जुलाई तक देश के सभी परिवारों की गिनती की गई। दूसरे चरण में हर नागरिक के बारे में ब्यौरे जुटाए गए। इसके लिए बाकायदा जनगणना निदेशालय की ओर से कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। हर राज्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम चला। इसके बाद डाटा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए राज्य समन्वयक, ज़िला रजिस्ट्रार, उपज़िला रजिस्ट्रार, स्थानीय रजिस्ट्रार एवं प्रगणन को जिम्मेदारी सौंपी गई। राज्य समन्वयक, ज़िला रजिस्ट्रार, उप ज़िला रजिस्ट्रार अपने स्तर से कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, प्रशिक्षण, फिल्ड सामग्री वितरण, कार्यक्रम के दौरान आने वाली विभिन्न तरह की समस्याओं के निस्तारण, आंकड़ों का अधिप्रमाणन, व्यय पर वित्तीय नियंत्रण आदि के लिए जिम्मेदार बनाए गए थे।

बेघर लोग भी शामिल

इस बार जनगणना में बेघर लोगों को भी शामिल किया गया। रेलवे स्टेशनों, पुल और पार्कों में रहने वालों की गिनती के लिए अलग से विशेष टीम बनाई गई। यह व्यवस्था हर ज़िले में लागू की गई थी। एनपीआर में भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी तथा अन्य अनधिकृत प्रवासी और उग्रवादियों के परिवार के सदस्यों को भी गिना गया। उनकी राष्ट्रीयता उत्तरदाता द्वारा घोषित तौर पर लिखी गई। जनगणना के काम को पूरा करने के लिए देश के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त कार्यालयों के लिए केंद्र और राज्यों से 695 अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की अस्थायी भर्ती की गई। जिन स्थानों पर कर्मचारियों की संख्या कम थी वहां अस्थायी कर्मचारियों से गणना कराई गई।

क्यों की जाती है जनगणना

दरअसल किसी भी योजना को अंजाम देने से पहले उसकी पूरी सांख्यिकी की ज़रूरत पड़ती है। जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल कर लोगों की सशक्तीकरण और नीतिगत योजनाएं बनाने में किया जाता रहा है। चुनाव के समय भी जनसंख्या के आंकड़े महत्व रखते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों- संसदीय/विधायी/पंचायती और अन्य स्थानीय निकायों के परिसीमन या आरक्षण भी जनसांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित होते हैं। देशवासियों की संख्या ही नहीं उनसे जुड़े अन्य आंकड़ों के बगैर विकास को गति देने की कल्पना नहीं की जा सकती। यही वजह है कि जनगणना का काम बड़े ही व्यापक स्तर पर किया जाता है। दुनिया के बहुत कम ऐसे देश हैं, जिनके पास भारत की तरह जनगणना संबंधी विस्तृत आंकड़े हों। इस तरह देखा जाए तो जनगणना का हर नागरिक के जीवन में बहुत महत्व है। जनगणना हमें जनसांख्यिकी, आर्थिक गतिविधि, साक्षरता और शिक्षा, आवास और घरेलू सुविधाओं, शहरीकरण, प्रजनन और मृत्युदर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों, भाषा, धर्म, प्रवास, विकलांगता और कई अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक एवं जनसांख्यिकीय आंकड़ों के माध्यम से विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती है।

स्कूलों में जनगणना

जनगणना 2011 में स्कूली छात्रों को जनगणना संचालन के बारे में जागरुक करने

के लिए क़दम उठाए। जनगणना संगठन ने पूरे देश में स्कूलों में जनगणना कार्यक्रम लागू किया है। यह बच्चों की सक्रिय भागीदारी के साथ उनके परिवारों की गणना के आंकड़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत देश के 640 ज़िलों में से प्रत्येक के लगभग 60 से 80 स्कूलों को शामिल किया गया।

राष्ट्रीय जनगणना नीति, 2000

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 (एनपीपी 2000) में नागरिकों की स्वैच्छिक और सूचित, स्वीकृत तथा उनकी सहमति के प्रति सरकार की वचनबद्धता की पुष्टि की गई है, जबकि परिवार नियोजन सेवाओं के प्रशासन में मुक्त मार्ग दृष्टिकोण अपनाया गया है और प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का लाभ उठाया जाता है। एनपीपी 2000 अगले दशक के दौरान भारत के लोगों के लिए ज़रूरी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के लिए रणनीतिक तैयारी और लक्ष्यों को तय करने और वर्ष 2010 तक शुद्ध प्रतिस्थापन स्तर (टीएफआर) प्राप्त करने के लिए एक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। यह बाल अस्तित्व, मातृ स्वास्थ्य और गर्भनिरोधक मुद्दों से निपटने की ज़रूरत पर आधारित है जबकि सरकार, उद्योग और स्वैच्छिक गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा साझेदारी में बाल स्वास्थ्य सेवाओं और प्रजनन के व्यापक पैकेज़ की पहुंच को बढ़ावा देना है।

जनगणना पर सामान्य जानकारी

अनुच्छेद 246 के अनुसार जनसंख्या की गणना केंद्र सरकार का विषय है, लेकिन राज्य सरकारें जनगणना प्रक्रिया के संचालन में प्रशासनिक सहायता प्रदान करती हैं। महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, जिसके प्रमुख महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त होते हैं, जनगणना की योजना बनाता है और उसे लागू कराता है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों (दादरा एवं नागर हवेली और संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव को छोड़कर, जो गुजरात कार्यालय से संबद्ध हैं) में हैं, जिसके प्रमुख जनगणना संचालन निदेशक होते हैं। जनगणना संचालन निदेशक अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में जनगणना के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जनगणना प्रक्रिया को क्रियान्वित करने की दिशा में पहला क़दम एक खास समय-सीमा में देश के सभी भौगोलिक संस्थाओं, जिसमें राज्य, ज़िले, तहसील या तालुका या सामुदायिक विकास ब्लॉक और गांव या शहर शामिल हैं, की सूची तैयार करना है। प्रगणक, पर्यवेक्षक और क्षेत्र के अन्य कार्यकर्ता प्रत्येक परिवारों तक जाते हैं और जनगणना प्रपत्र को भरने के लिए संबंधित सवाल पूछते हैं। व्यक्तियों के बारे में एकत्र जानकारी को बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है। क्षेत्र में कार्य के बाद जनगणना प्रपत्र को देशभर के 15 शहरों में स्थित डाटा प्रोसेसिंग केंद्र में ले जाया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग तेज़ी से करने के लिए इंटेलिजेंट कैरेक्टर पहचान सॉफ्टवेयर (आईसीआर) का उपयोग किया जाता है जिसकी सहायता से शारीरिक श्रम और लागत की बड़ी रकम बच जाती है। आईसीआर तक़नीकी में उन्नत सुविधाएं हैं, जो जनगणना प्रपत्र को तेज़ी से स्कैन करता है और स्वचालित रूप से आंकड़े निकाल लेता है। जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के संवैधानिक प्रावधानों के तहत जनगणना आयोजित की जाती है। 130 वर्षों से अधिक के इतिहास में यह विश्वसनीय रहा है और हमेशा इसके आंकड़े सत्य माने गए हैं। जनसांख्यिकी, अर्थशास्त्र, नृविज्ञान, समाजशास्त्र, सांख्यिकी और अन्य कई विषयों में विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए भारतीय जनगणना के आंकड़े आकर्षक स्रोत रहे हैं। दस वर्ष में एक बार होने वाली जनगणना भारत के लोगों की समृद्ध विविधता का अध्ययन करने और इसे समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है।

भारत के जनगणना आयुक्त

1881 - डब्ल्यू. डब्ल्यू. प्लोवेडन
1891 - जे.ए. बेंस
1901 - एचएच रेस्ली और ई.ए. गैट
1911 - ई.ए. गैट
1921 - जे.टी. मार्टेन
1931 - जे.एच. हूटन
1941 - एम.डब्ल्यू.एम. ईस्टस
1949 - एम.डब्ल्यू.एम. ईस्टस
1949-1953 - आर.ए. गोपालस्वामी
1958-1968 - अशोक मित्र
1968-1973 - ए. चंद्रशेखर
1973-1977 - आर.बी. चेरी
1977-1983 - पी. पद्मनाभा
1983-1989 - वी.एस. वर्मा
1989-1994 - ए.आर. नंदा
1994-1999 - एम. विजयानुन्नी
1999-2004 - जयंत कुमार भाटिया
2004-2009 - देवेंद्र कुमार सीकरी
2009- अब तक- सी. चंद्रमौली

पहली बार बनेगा एनपीआर

इस बार देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) भी बनाया जा रहा है। इसके तहत 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हर व्यक्ति का बायोमैट्रिक डाटा तैयार किया गया है। इसमें व्यक्ति की दसों अंगुलियों के निशान और फोटो भी शामिल किए जा रहे हैं। यह जानकारी देश के हर नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आईडी नंबर देने में इस्तेमाल होगी। राजनयिक हैसियत रखने वाले विदेशी नागरिकों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में शामिल नहीं किया जाएगा। एनपीआर तैयार करने का काम जनगणना 2011 के मकान सूचीकरण कार्य के साथ ही किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की रचना जनगणना 2011 में एक मील का पत्थर है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) देश के सामान्य निवासियों के लिए एक व्यापक पहचान डाटाबेस का निर्माण करेगा। वास्तव में यह एक बायोमीट्रिक डाटा है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति का यूआईडी नंबर होगा। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा देश के सभी सामान्य निवासियों को चरणबद्ध तरीक़े से राष्ट्रीय पहचान-पत्र वितरित किया जाएगा।

एनपीआर का उद्देश्य

एनपीआर का उद्देश्य देश के लोगों का व्यक्तिगत ब्यौरा तैयार करना है। एनपीआर तैयार हो जाने पर देश का व्यापक पहचान डाटा बेस तैयार होगा, जो देश की सुरक्षा को मज़बूत करेगा। साथ ही सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के लाभ और सेवाओं के बेहतर लक्ष्य निर्धारण और योजनाएं बनाने में भी यह मददगार साबित होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के बाद 15 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की फोटो एवं अंगुलियों की छाप लेने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। परिवार के 15 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों की फोटो और अंगुलियों की छाप नहीं ली जाएगी। जब इनकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तब इनका ब्यौरा एकत्र किया जाएगा। यदि परिवार का कोई सदस्य बाहर है

और प्रथम चरण की फोटोग्राफी में सम्मिलित नहीं हो पा रहा है तो उसे दूसरे चरण में शामिल कर लिया जाएगा। फोटोग्राफी के दूसरे चरण में रजिस्टर में दर्ज़ लोगों के बारे में पहचान की जाएगी।

क्या-क्या होगा एनपीआर में

एमपीआर में निम्नलिखित जानकारियां होंगी:

– व्यक्ति का नाम
– परिवार के मुखिया से संबंध
– पिता का नाम
– माता का नाम
– पत्नी/पति का नाम
– लिंग
– जन्मतिथि
– वैवाहिक स्थिति
– जन्म स्थान
– घोषित राष्ट्रीयता
– सामान्य निवास का वर्तमान पता
– वर्तमान पते पर रहने की अवधि
– स्थायी निवास का पता
– व्यवसाय
– शैक्षणिक योग्यता

2209 करोड़ का ख़र्च

इस अभियान के दौरान देश के 35 राज्यों और छह केंद्रशासित प्रदेशों के 640 ज़िलों, 5,767 तहसीलों, 7,742 कस्बों और 6 लाख से भी ज्यादा गांवों को कवर किया गया। इस पूरी प्रक्रिया पर सरकार क़रीब 2,209 करोड़ रुपये ख़र्च कर रही है। राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर पर क़रीब 3,756 करोड़ रुपये ख़र्च होने का अनुमान है। इस तरह जनगणना पर प्रतिव्यक्ति लागत 18.19 रुपये निकाली गई है। कुल 2.7 लाख कार्यकर्ताओं ने जनगणना में काम किया। जनगणना कार्यक्रम सारणी का 16 भाषाओं में प्रचार किया गया। इसके लिए कुल 340 लाख सारणियां मुद्रित की गईं।

कैसे होगा गलती में सुधार

यदि एनपीआर में किसी तरह की गलती हो जाती है तो उसमें सुधार का भी विकल्प मौजूद है। रजिस्टर तैयार होने के बाद उसे सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित किए जाने की व्यवस्था है। इसके लिए गांव, तहसील और ज़िलास्तर पर अपील अधिकारी नियुक्त किया गया है। यदि किसी को किसी सूचना पर आपत्ति है तो वह अपील अधिकारी के यहां अपील कर सकता है। फिर पूरे मामले की जांच होगी और गलती को सुधारा जा सकेगा। आंकड़े सत्यापित होने के बाद इन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के पास भेजा जाएगा। प्राधिकरण प्राप्त हुए सभी आंकड़ों का मिलान कर पता लगाएगा कि किसी व्यक्ति ने दो नाम से तो खुद को रजिस्टर में दर्ज़ नहीं करवा लिया। आंकड़ों की प्रामाणिकता पूरी होने के बाद ही विशिष्ट नंबर जारी होगा। ❑

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

अब उपलब्ध है

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

भारत 2011

देश के विकास की विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी के लिए

☐ अर्थव्यवस्था ☐ विज्ञान और तकनीक ☐ सामाजिक विकास

☐ शिक्षा ☐ कला और संस्कृति ☐ राजनीति

मूल्यः 345 रुपये

अपनी प्रति यहां से खरीदें :

हमारे विक्रय केंद्रः • **नई दिल्ली** (फोन 24365610, 24367260)• **दिल्ली** (फोन 23890205) • **कोलकाता** (फोन 22488030) • **नवी मुम्बई** (फोन 27570686) • **चेन्नई** (फोन 24917673) • **तिरुअनंतपुरम** (फोन 2330650) • **हैदराबाद** (फोन 24605383) • **बेंगलूर** (फोन 25537244) • **पटना** (फोन 2683407) • **लखनऊ** (फोन 2325455) • **गोवाहाटी** (फोन 26656090) • **अहमदाबाद** (फोन 26588669)

प्रतियां प्रमुख पुस्तक केंद्रों में भी उपलब्ध हैं

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
व्यापार व्यवस्थापक प्रकाशन विभाग,
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
फोन. 011–24365610, 24367260, फैक्सः 24365609

ईमेलः dpd@mail.nic.in
dpd@hub.nic.in
वेबसाइटः www.publicationsdivision.nic.in

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

SAROJ KUMAR'S IAS ERA

(हिन्दी & English Medium) with **SAROJ KUMAR**

सर्वोच्च उपलब्धि 2009-10 in IAS

NITISH KUMAR
BIHAR
RANK
78

सर्वोच्च उपलब्धि

SANJAY Kr. AGGARWAL
1 RANK IN IAS 2002-03
in हिंदी माध्यम

हमारे सफल विधार्थी 2010-11 आई.ए.एस.

MANU HANSA
(JAMMU)

Nitin Tagade
MAHARASHTRA
RANK-802

Din Dayal Mangal
Handicaped/विकलांग
AGRA (UP)
RANK-779

RAKESH KR. VERMA
HAATHRAS (U.P.)
RANK-495

हमारे सफल विधार्थी 2010 11 पी.सी.एस.

JAMMU & KASHMIR TOPPER 2011

MANU HANSA
(JAMMU)

Highest Mark 408/600 in History

UPPCS TOPPER 2010

POONAM SIROHI
Amroha (U.P.)

RAS TOPPER 2011

RAJENDRA PENSIYA
Ganga Nagar (Raj.)

BPSC TOPPER 2010

SANJAY KR. SINGH
Jahanabad, Bihar

निःशुल्क कार्यशाला सरोज कुमार के साथ (हिन्दी एवं ENG. MEDIUM)

NEW BATCHES START FROM 20th July, 10th August & 10th Sept.

2 जुलाई	10:30 A.M.	भूगोल (मूख्य)
3 जुलाई	10:30 A.M.	समान्य अध्ययन (मुख्य)
4 जुलाई	10:30 A.M.	सीसैट
5 जुलाई	10:30 A.M.	इतिहास (मुख्य परीक्षा)
6 जुलाई	10:30 A.M.	निबंध अनिवार्य अंग्रेजी

Admission open

♥ मुख्य परीक्षा के लिए विशेष कक्षा - 3 महीने 2011 ♥

♥ फाउण्डेशन कोर्स - 6-8 महीने ♥

♥ टैस्ट सीरीज 2011 - 25 जून ♥

♥ कक्षा की रूपरेखा - प्रातःकाल, सायंकाल, सप्ताहांत, सप्ताह में 3 दिन ♥

♥ अलग हॉस्टल लड़कियों व लड़कों के लिए सम्पर्क करें- ♥

नौकरी पेशा के लिए सप्ताहांत कक्षाएँ या प्रातःकाल / सायंकाल

Dr. veena Sharma

Mukherjee Ngr. Centre:- A-14, M-1, Mezzanine Floor, Comm Complex, Bhandari House, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

Delhi University Centre:- 1/9, Roop Nagar, G.T. Karnal Rd., Near Shakti Ngr.Red Light, Above. P.N.B. Delhi - 110007

Email:- sarojkumarsiasera@gmail.com

Mob.: 9910415305,9910360051

YH-97/2011

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में आबादी में गिरावट

● देवेन्द्र उपाध्याय

देश की वर्ष 2011 की ताज़ा जनगणना के अंतरिम आंकड़ों में उत्तराखंड के पहाड़ी ज़िलों की आबादी में गिरावट दर्ज़ की गई है। अल्मोड़ा और पौड़ी ज़िले जनगणना में गिरावट से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। अल्मोड़ा में 1.73 प्रतिशत तथा पौड़ी में 1.51 प्रतिशत की गिरावट दर्ज़ की गई है जबकि टिहरी गढ़वाल में 1.93 प्रतिशत, रुद्रप्रयाग में 4.14 प्रतिशत, चमोली में 5.60 प्रतिशत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 5.13 प्रतिशत वृद्धिदर देखने को मिली है। नैनीताल ज़िले में सर्वाधिक 25.20 प्रतिशत, चंपावत में 15.47 प्रतिशत तथा उत्तरकाशी में 11.75 प्रतिशत की वृद्धिदर पाई गई।

हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल (जिसका अधिकांश भाग मैदानी है) की आबादी 62.29 लाख है जबकि अन्य नौ पहाड़ी ज़िलों की आबादी समेत पूरे राज्य की आबादी 1,01,16,752 है। कुमांऊ मंडल के सात ज़िलों की आबादी 42.30 लाख तथा गढ़वाल मंडल के छह ज़िलों की आबादी 58.86 लाख है।

पिछले दस वर्षों में उत्तराखंड की आबादी में 16.27 लाख की वृद्धि हुई है। हरिद्वार ज़िले की आबादी सर्वाधिक 19.27 लाख और रुद्रप्रयाग की सबसे कम 2.36 लाख है। हरिद्वार ज़िले में प्रति एक हज़ार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की तादाद 879 है। राज्य में महिलाओं की तादाद वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति एक हज़ार पुरुष पर 962 थी जिसमें दस वर्ष में मात्र एक की वृद्धि दर्ज़ की गई है।

साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2001 में 71.06 था जिसमें 83.03 पुरुष और 59.6 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर 79.63 प्रतिशत दर्ज़ की गई जिनमें पुरुष साक्षरता 88.33 प्रतिशत और महिला साक्षरता 70.70 प्रतिशत पर पहुंच गई। जनसंख्या घनत्व दस वर्ष में 159 प्रति वर्ग किमी. से बढ़कर 189 हो गया।

उत्तराखंड के निर्माण का मकसद मुख्य रूप से आर्थिक विषमता को दूर करना था, जिसमें भौगोलिक कारण सर्वाधिक रहा है। राज्य निर्माण के दस वर्ष बाद जिस तरह से राज्य के नौ पहाड़ी ज़िलों की आबादी में कमी आई है वह किसी ख़तरे से कम नहीं है। इससे मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों की विकास की गति में कमी आएगी और पिछड़ापन बढ़ेगा। जिस तेज़ी से विकास की कमी के चलते पहाड़ी ज़िलों से पलायन लगातार बढ़ रहा है उसमें कमी आने के बजाय और वृद्धि होगी।

संसाधनों की कमी, रोज़गार का संकट और बुनियादी शिक्षा के अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में वन्य पशुओं का आतंक भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले दस साल में राज्य बनने के बाद वन्य पशुओं के हमलों में 203 लोगों की मौत दर्ज़ की गई है जबकि इससे कई गुना ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बंदर और सुअर जहां खेती को चौपट करने में लगे हुए हैं वहीं बाघ इंसानों को निवाला बना रहे हैं जिससे मानव-वन्य पशु संघर्ष भी बढ़ रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जो दिशा-निर्देश तैयार किए हैं उनमें लोगां को सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किस तरह से बाघ-तेंदुए के साथ रहना सीखें।

जनगणना आंकड़ों के अनुसार राज्य के 13 ज़िलों में हरिद्वार की आबादी सर्वाधिक 19.27 लाख दर्ज़ की गई है, देहरादून ज़िले की आबादी 16.98 लाख, ऊधमसिंह नगर ज़िले की 16.48 लाख तथा नैनीताल की आबादी 9.55 लाख पर पहुंच गई है। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि साक्षरता के मामले में सभी ज़िलों में वृद्धि दर्ज़ की गई लेकिन राष्ट्रीय साक्षरता दर में उत्तराखंड का स्थान 14वें स्थान से खिसककर 17वें स्थान पर पहुंच गया है। स्त्री-पुरुष अनुपात में पिछले दस वर्षों में चौंकाने वाले परिवर्तन सामने आए हैं। चंपावत ज़िले में पिछली जनगणना में एक हज़ार पुरुषों की तुलना में 1,041 महिलाएं थीं जो अब घटकर 981 पर पहुंच गई हैं। प्रति हज़ार पर 40 महिलाएं कम हुई हैं। हरिद्वार ज़िले का जहां कुल आबादी वृद्धि में पहला स्थान है वहीं स्त्री-पुरुष अनुपात में हुई कमी में भी पहला स्थान हो गया है। यहां प्रति एक हज़ार पुरुषों के पिछे महिलाओं की संख्या 879 है। आबादी की दृष्टि से दूसरे नंबर पर रहने वाले देहरादून ज़िले में एक हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 902 है। पिथौरागढ़ जिले

में प्रतिहज़ार 10 महिलाओं की कमी होने के बाद प्रतिहज़ार पुरुष जनसंख्या के पीछे 1093 महिलाएं रह गई हैं। ऊधमसिंह नगर ज़िले में महिलाओं की संख्या में कुछ वृद्धि दिखाई देती है जहां पिछली जनगणना में प्रति एक हज़ार पर मात्र 902 महिलाएं थीं वहीं अब उनकी संख्या 919 हो गई है।

एक तरफ जहां देश की आबादी में वृद्धि हुई है वहीं उत्तराखंड में दस साल में आबादी में डेढ़ प्रतिशत की गिरावट बढ़ते हुए पलायन का भयावह चित्र सामने लाता है। पौड़ी और अल्मोड़ा ज़िलों में दस साल में आबादी का घटना चिंता का कारण है। पहाड़ी जिलों में टिहरी में 1.93 प्रतिशत, चमोली में 5.60 प्रतिशत तथा पिथौरागढ़ व बागेश्वर में 5.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि मैदानी ज़िलों में दस साल में ऊधमसिंह नगर में 33.40 प्रतिशत, हरिद्वार में 33.16 प्रतिशत तथा देहरादून में 32.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहाड़ी ज़िलों में 0-6 वर्ष के बीच के लिंगानुपात में भी कमी आई है। अभी तक पहाड़ी ज़िलों में इसका प्रभाव कम था लेकिन अब लिंगानुपात में कमी चिंताजनक है। चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी और पिथौरागढ़ ज़िलों में यह गिरावट दर्ज़ की गई है।

पूरे राज्य में साक्षरता दर में जहां क़रीब आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीं हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, टिहरी और उत्तरकाशी अन्य ज़िलों से पीछे हैं। देहरादून, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और पिथौरागढ़ ज़िलों की स्थिति बहुत अच्छी है। देहरादून में सर्वाधिक 85.24 प्रतिशत साक्षरता है जबकि सबसे कम ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में है जोकि आबादी की दृष्टि से आगे हैं।

जनगणना 2011 में शून्य से छह वर्ष तक के बच्चों को साक्षरता सूची नहीं रखा गया है जिनकी तादाद 13.28 लाख है। शिक्षा ग्रहण कर रहे सात वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को ही साक्षर माना गया है। उत्तराखंड के जो ज़िले कभी टिहरी रियासत में शामिल थे उनमें साक्षरता क़रीब 75 प्रतिशत है जबकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन रहे ज़िलों, ऊधमसिंह नगर को छोड़कर, साक्षरता की दर 80 प्रतिशत से अधिक है। ऊधमसिंह नगर में थारू एवं बोक्सा जनजातियां रहती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एवं पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के शरणार्थी तथा पहाड़ी क्षेत्रों व पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता के बाद यहां जमीन देकर बसाया गया था। हरिद्वार मेला क्षेत्र भी उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व तक उत्तराखंड का क्षेत्र माना जाता रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने उत्तरप्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक में हरिद्वार ज़िले को शामिल कर दिया।

आबादी में गिरावट की वजह से जहां पहाड़ी क्षेत्रों में विधानसभा की सीटें कम हुई हैं वहीं मैदानी क्षेत्रों की सीटें बढ़ी हैं। अगला विधानसभा चुनाव इसी परिसीमन के आधार पर होगा।

जल एवं जंगल संरक्षण में उत्तराखंड के पहाड़ी ज़िलों का सर्वाधिक योगदान है जिसके आधार पर राज्य को ग्रीन बोनस देने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही अब कम आबादी वाले ज़िलों को जन्म नियंत्रण बोनस देने की भी मांग की जाने लगी है। ❑

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

! तुरन्त मंगवायें ! बिना PLAN असफलता

Planner *for* **IAS/PCS EXAM**

100% Success पढ़ें और मंगवाये (Planner Book)

Author : R. CHANDRA

''प्लानर (Planner) विशेषज्ञ और लेखक आर. चन्द्रा ने सिविल सेवा परीक्षा (Pre./Main) में सफलता पाने के लिए शत प्रतिशत हाजिर जवाब की है।

- 35 भाग (कुल 400 युची) में विभाजित हिन्दी और अंग्रजी में संपादित 1250 पेजिस तैयार करने में आई.ए.एस. और आई.पी.एस. और ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की विशेष सहयोग रही है।
- सिविल सेवा परीक्षा तैयारी पूर्व, प्लानिंग करना एक अहम जिम्मेदारी हेतू सफलता है। अत: इस ''प्लानर'' (400 कनटेन्टस) अन्तर्गत आपकी सफलता और असफलता के लिए असीमित विशलेषण है क्योंकि बिना प्लानिंग तैयारी या कोचिंग या अध्ययन सामग्री एकत्रित या आवेदन करना, असफलता है।

पढ़ें - 400 contents - www.asmitapublications.com → 100% Success

- यह पुस्तक कब, क्या, कैसे, क्यों तैयारी करें जैसे तथ्यों पर रचित है और प्री. और मुख्य परीक्षा में असफल परीक्षार्थियों पर विशेष टिप्पणी है।
- प्री. और मुख्य परीक्षा के पाठ्यकम में से नोट्स बनाने की विधि और उत्तर में से प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर देने की कला हेतू बारिकी से खोज है कि आखिर में आई.ए.एस./पी.सी.एस. के प्रश्न पत्र तैयार और उत्तर तालिका चैक करने की विधि क्या है
- प्री. और मुख्य परीक्षा की पाठ्यकम क्रमोनुसार तैयारी हेतू समझने और सफल अध्ययन और अच्छे अंक प्राप्त करने और प्री. परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) में प्रत्येक चार विकल्पों में से किसी एक सही उत्तर के लिए चुनाव विधि (प्लानर) वर्णित है और प्री. और मुख्य परीक्षा में सन् 1993 से 2011 तक के सभी प्रश्नों पर विश्लेषण है कि संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार से पाठ्यकम की गहराई में से प्रश्न और उत्तर पूछती रही है।
- बैंक ड्राफ्ट / चैक (पुस्तक मूल्य - रु. 1450/- केवल) के पक्ष में उचित पते के साथ भेजें।

H.O. : Business Manager, Asmita Publications 153, 1st Floor, Rassaz Multiplex Hall, Opp. Singapore Plaza, Mira Road (E), Mumbai - 401107. Tel : 022-65660308 / 65660309
Mob. : 09223260309 / 09870709309 E-mail : info@asmitapublications.com

YH-95/2011

सुधरा हुआ जैकर्ड करघा

इस नये प्रयोग से उत्पादकता में 60 प्रतिशत की वृद्धि होती है, साथ ही काम में ऊब भी नहीं पैदा होती। जैकर्ड करघे में इस पुर्जे के लगाने वाले अकुशल कारीगरों के लिए भी इस उद्योग में काम के अवसर बढ़ जाते हैं। इससे बढ़िया डिज़ाइन के कपड़े तैयार होते हैं

प्रारंभिक रूप से विभिन्न प्रकार के डिज़ाइनों को तैयार करने के लिए बाना के धागों को पिराने का काम हाथ से गांठ बांधकर किया जाता रहा है। यह एक उबाऊ, झंझटिया और समय खाने वाला काम है। एक डिज़ाइन को दूसरे डिज़ाइन से जोड़ने में धागा भी काफ़ी बर्बाद होता है। असम के सुआलकुची के रहने वाले दीपक में एक ऐसी मशीन तैयार की है जिससे इन सब परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। उनकी इस मशीन के तीन अवयव हैं : मूल फ्रेम, चुंबक वाला शाफ्ट (धुरा) और विशेष प्रकार की बाबिन। ये अवयव किसी भी प्रकार के हथकरघा की जैकर्ड मशीन में लगाया जाता सकता है। इस नये प्रयोग से डिज़ाइन तैयार करने में पहले के मुकाबले में एक-तिहाई समय लगता है।

दीपक भराली असम के कामरूप ज़िले के सुआलकुची में नपारा के रहने वाले हैं। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाने वाला यह गांव गुवाहाटी से 35 किमी दूर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यत: पारंपरिक करघों से काते जाने वाले मूंगा रेशम पर निर्भर है। दीपक का परिवार भी करघों पर मूंगा रेशम को कातकर और उसे बेचकर अपनी आजीविका चलाता है।

दीपक जब छोटे थे तब भी कुछ नया सोचा करते और कुछ-न-कुछ नया करते रहते। एक दिन जब वह एक गड्ढे से एक पुरानी साईकिल के टायर को खींचकर बाहर निकाल रहे थे, उन्होंने देखा कि टायर के अंदर की ओर अलग-अलग प्रकार की छोटी-छोटी मछलियां चिपकी हुई थीं। एक प्रयोग के तौर पर उन्होंने एक और टायर को गड्ढे में डाला और देखा कि कुछ घंटों बाद इस टायर में भी बहुतसी मछलियां भर गई थीं। उसके बाद से मछली पकड़ने के लिए वे यही अनूठा तरीक़ा इस्तेमाल करने लगे। आगे जाकर उन्होंने गौर किया कि सिलेंडर नुमा बांस से मछलियां पकड़ी जा सकती थीं। उन्हें जो चीज़ हाथ लगती, चाहे वो फेंके हुए छर्रे ही क्यों न हों, उनसे वे कारों के नमूने बनाया करते।

दीपक ने सन् 1998 में पहली बार करघे पर काम करना शुरू किया। आरंभ में वह सिर्फ़ बिना सिकी डिज़ाइन और तामझाम वाले सादे कपड़े ही बनाया करते थे। वे स्वयं ही करघा चलाते और कपड़ा बुनते और इसी क्रम में कपड़ा उत्पादन के तमाम पहलुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। नौ महीनों बाद उन्होंने अपना दूसरा करघा लगाया और फिर डिज़ाइदार रेशम

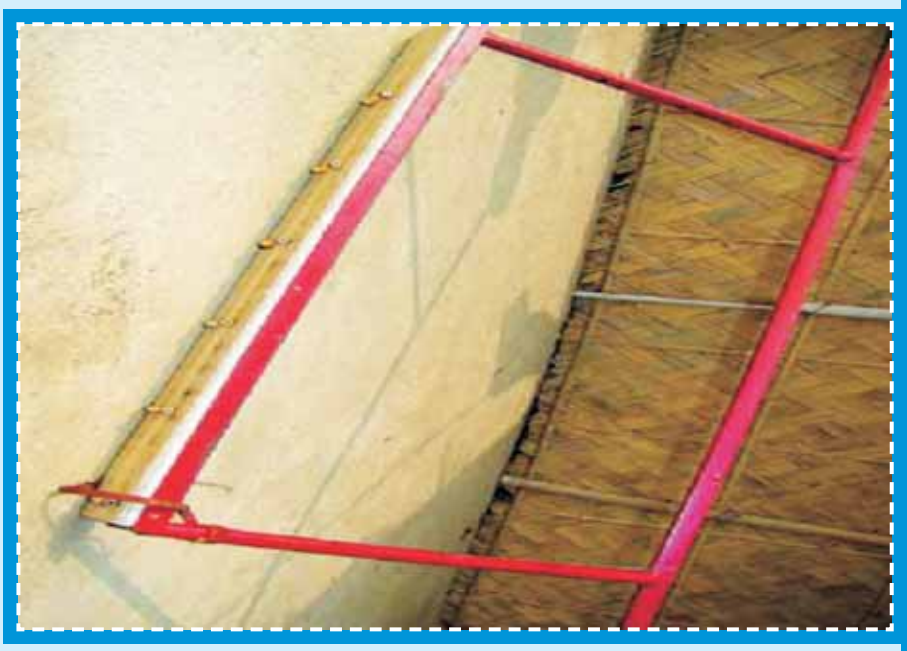

का उत्पादन करना शुरू किया। यहां उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कुछ और करघे लगाकर कुशल परंतु महंगे कारीगरों को काम पर रखकर उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करनी चाही। धीमी गति और पारंपरिक रेशम उत्पादन विधि की अपनी एक सीमा होने के कारण उनकी दिक्क़तें बढ़ती गईं। उन्होंने इस समस्या से निज़ात पाने के लिए जैकर्ड करघे में इस्तेमाल के लिए एक नये किस्म का पुर्ज़ा तैयार किया जो समय में नौ गुनी कमी कर सकता था, काम को आसान बना सकता था और करघे का बेहतर उपयोग हो सकता था। इसकी मदद से अकुशल कारीगर भी करघे चला सकते थे।

कुछ वर्षों से जैकर्ड करघे पर काम करने वाले बुनकर एक ही प्रकार की समस्याओं का सामना करते आ रहे थे। विभिन्न अंतराल पर बाना धागों को सहेजना और उनमें गांठ लगाने का काम बड़ा उबाऊ था। इसमें बहुत समय और मेहनत लगती थी। एक ऐसे कपड़े में जिसमें 30 कतारें हों और हर कतार में 14 डिज़ाइन हों, उसमें हर डिज़ाइन में कम-से-कम तीन गांठे बांधनी होती थी। इसका अर्थ हुआ कुल 1,260 गांठें और यदि यह मान लिया जाए कि एक बुनकर को एक गांठ बांधने में न्यूनतम 30 सेकंड लगते हैं तो कुल मिलाकर इस काम के लिए 10 घंटों की जरूरत होगी। दूसरा ऐसे डिज़ाइनों पर काम करते हुए जिसमें एक साथ ही पांच या उससे अधिक धागों को इस्तेमाल करना होता है, काफी कुशलता की आवश्यकता होती है और इस तरह का कौशल कुछ ही कारीगरों के पास होता है। तीसरा, बड़े डिज़ाइनों को तैयार करते समय अथवा जब बाना धागों के बीच अंतर काफी कम हो, बुनकरों को अपनी उंगलियों को बाने में डालने में कठिनाई महसूस होती है। उत्पादन की कार्य पद्धति को स्वचालित बनाने और रोज़मर्रा के कार्य में बार-बार दोहराई जाने वाली प्रक्रिया को कम करने और उत्पादन में तेज़ी लाने के लिए दीपक ने एक ऐसा विशेष पुर्ज़ा बनाने का निर्णय लिया जो मानक जैकर्ड करघे में लगाया जा सके।

उत्पाद वितरण

डिज़ाइन तैयार करने वाला यंत्र एक ऐसा अतिरिक्त पुर्ज़ा है जो किसी भी जैकर्ड करघे में लगाया जा सकता है। इस पुर्ज़े के तीन हिस्से होते हैं– एक आधार फ्रेम जो धुरे को जकड़ कर रखता है, एक चुंबक वाला धुरा और विशेष रूप से डिज़ाइन की गई बाबिन। इसकी विशेषता चुंबकीय शिकंजा नुमा प्रणाली और विशेष रूप से निर्मित बाबिन में है जो इसकी प्रभावोत्पादकता को बढ़ा देता है। अलग से लगाए गए इसे पुर्ज़े से जैकर्ड करघा बाना धागों का स्वत: ही चयन कर उनको ऊपर उठा देता है ताकि वांछित डिज़ाइन तैयार की जा सके। चुंबक लगे धुरे को आधार-फ्रेम में फिट किया जाता है। इसमें कितने चुंबक लगेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक कतार में कितने डिज़ाइन बनाने हैं। सामान्य डिज़ाइन बनाने वाले करघे के विपरीत, जहां बाना का प्रत्येक धागा बोबिन से जुड़ा होता है, ये बाबिन धुरे में जड़े चुंबकों के ठीक ऊपर और आधार-फ्रेम की निचली सतह पर रखे होते हैं। एक बार जब चुंबक संवेदी बाबिन सतह से चिपक जाता है, फ्रेम बाना धागे के ऊपर आ जाता है। जैसे ही जैकर्ड मशीन बाना धागों का चयन कर उन्हें ऊपर उठाती है, पुर्ज़ा बाना धागों के ऊपर आ जाता है। यह पुर्ज़ा ऊपर इस तरह बैठता है कि बाबिन से जुड़ी हुई सतह का मुंह नीचे की ओर होता है और प्रत्येक बाबिन उठे हुए बाना धागों के दो सेटों बीच में आ जाती है। जब चुंबक वाला धुरा एक ओर से दूसरी ओर घूमता है, वह अपने साथ जुड़े हुए बाबिन को एक ओर से दूसरी ओर खींच लेता है। इस प्रक्रिया से डिज़ाइन तैयार करने के लिए बाना के सभी धागे एक साथ एक-दूसरे के साथ आगे-पीछे होते रहते हैं। एक बार जब बाना के धागों के बाबिन एक -दूसरे के पार चले जाते हैं तो समूचा पुर्जा ही ऊपर उठ जाता है और बुनाई की सामान्य प्रक्रिया जारी रहती है। जब तक डिज़ाइन बनाने का काम पूरा नहीं होता बाना के सभी धागों के लिए वही प्रक्रिया जारी रहती है।

पेटेंट और गैर-पेटेंट दोनों तरफ के आंकड़ा-संचयों की खोजबीन से पता चला कि ऐसे अनेक हथकरघे हैं जिनमें डिज़ाइन बनाने के लिए हाथ से धागा डालना पड़ता है। इस काम में बहुत समय लगता है और इसके लिए काफी प्रयास और हुनर की आवश्यकता होती है। अमरीका में एक इसी तरह की बुनाई मशीन का पेटेंट हुआ है, परंतु हथकरघा से संबंधित ऐसे किसी यंत्र अथवा पुर्ज़े का उल्लेख नहीं मिलता।

उत्पाद अनुप्रयोग एवं प्रकार

इस पुर्ज़े को जैकर्ड करघे में लगाने से उत्पादकता में वृद्धि होती है, इस्तेमाल में आसानी होती है और कपड़े की गुणवत्ता में बेहतरी आती है। इससे विस्तृत और जटिल डिज़ाइन बनाने के लिए बाना के धागों का चयन और उनको ऊपर उठाने का काम आसानी से होने लगता है। इस नये प्रयोग से उत्पादकता में 60 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है। साथ ही काम में ऊब भी नहीं होती। जैकर्ड करघे में इस पुर्ज़े को लगाने से अकुशल कारीगरों को भी इस उद्योग में काम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। स्थानीय रूप से उपलब्ध किफायती कल- पुर्जों के हज़ारों हथकरघों के जीवन-मूल्य में वृद्धि होती है। हथकरघों का बेहतर इस्तेमाल होता है और कारीगरों के समय में भी बचत होती है।

अब तक दीपक ने अपने दस करघों में एक तरह के प्रारंभिक पुर्ज़े लगाए हैं। अगले चरण में वह इसमें कुछ सुधार कर नौ अन्य करघों में लगाने का इरादा रखते हैं। यदि इस कार्य में उन्हें सफलता मिली तो पहले वे इस पुर्ज़े को अपने गांव में, उसके बाद असम में और पूरे भारत तथा विश्व में बेचेंगे। हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने डिज़ाइन प्रक्रिया में कुछ मार्गदर्शन देना शुरू किया है। अनेक संशोधनों के बावजूद डिज़ाइन को गुवाहाटी में अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। दिल्ली की एक फर्म से चुंबकीय बाबिन के प्लास्टिक खोल तैयार करने के लिए संपर्क किया गया है। दीपक का विचार इसी तरह के सुधार बिजली से चलने वाले करघों में भी करने का है। ❑

झरोखा जम्मू-कश्मीर का

कश्मीर में नयी लोकतांत्रिक बयार

● जार्ज मैथ्यू

जम्मू-कश्मीर में हो रहे पंचायतों के चुनाव ने देश और विदेश में यहां की जनता की लोकतांत्रिक चेतना का सुखद अहसास कराया है। आतंकवादी ख़तरों, धमकियों और चुनाव के बहिष्कार की अपीलें दरकिनार कर जनता ने विशाल संख्या में अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को चुना है। कहीं 70 फीसदी मतदान हुआ तो कहीं यह 80 फीसदी से भी ऊपर चला गया। जमीनी लोकतंत्र की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण शुभ संकेत है क्योंकि देश में आज भी अनेक राज्य ऐसे हैं, जहां मतदान का प्रतिशत इतना अधिक नहीं रहता। भारी संख्या में मतदान ने यह भी साबित किया है कि जनता स्थानीय निकायों के जरिये अपना और अपने राज्य का तेज़ी से विकास चाहती है, पर अब निर्वाचित प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि वे जन-आकांक्षाओं पर खरे उतरें।

इस राज्य के पंचायत चुनाव के चलते जनता में स्थानीय स्वशासी निकायों को लेकर नयी आशा बंधी है क्योंकि विगत सालों के दौरान केंद्र और देश के विभिन्न राज्यों द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं। इनका लाभ जम्मू-कश्मीर की जनता को नहीं मिल पाया क्योंकि वहां विगत दस सालों में पंचायत चुनाव नहीं हुए थे। ताज़ा चुनाव ने कई मायनों में उन टिप्पणियों को गलत साबित कर दिया, जो इस राज्य के बारे में लगातार निराशाजनक बातें करते रहे थे।

कश्मीर क्षेत्र में पंचायत चुनाव की तीन घटनाओं ने सर्वाधिक ध्यान आकर्षित किया। बारामुला जिले में एक गांव के मुस्लिम बहुल वार्ड से पंच के रूप में पंडित महिला आयशा निर्वाचित हुईं, बड़गाम ज़िले की कारपुरा ग्राम पंचायत में पंच की उम्मीदवार हसीना की निर्मम हत्या की दी गई और वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक स्थित लछीपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर एक युवा इंजीनियर एवं मॉडल राजा परवेज़ ने शानदार जीत दर्ज़ की। ये उदाहरण जहां एक ओर उम्मीदवारों के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करते हैं, वहीं विशाल संख्या में मतदाताओं द्वारा मतदान स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में जनता के अपार विश्वास का परिचायक है। स्थानीय सरकार के इन चुनावों ने समुदायों के बीच भाईचारा बढ़ाने का काम किया है। शिया मुस्लिम बहुल इलाकों से पंडित महिला आशा का पंच चुना जाना इसका जीवंत उदारहण है। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सुरैया को पराजित किया। यह मुस्लिम समुदाय द्वारा आयशा में भरोसा के बिना संभव नहीं था। इस जीत के बाद अब वह क्या करेगी, इसके जवाब में आयशा ने कहा– वह शारीरिक रूप से अपंग लोगों की देखभाल और अपने क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगी।

चुनाव लड़ने का कारण पूछने पर उसके बेटे अशोक कुमार ने बताया कि मोहल्ले के नागरिकों ने उनकी मां को इसके लिए राजी किया था। इसके बाद घर-घर जाकर चुनाव प्रचार कार्य किया गया। अपने घर में एक छोटी दुकान चलाने वाली आयशा के पति राधाकृष्णन ने बताया कि वर्ष 1990 से पूर्व गांव में 12 पंडित परिवार रहते थे, पर बाद में वे जम्मू में जाकर बस गए। आयशा का कहना है कि उनकी हार्दिक इच्छा है कि ये परिवार फिर लौट आएं। कार्कपुरा वार्ड से पंच के लिए खड़ी हुईं उम्मीदवार 45 वर्षीया हसीना की हत्या से उनके सपने अवश्य टूट गए, पर उनकी हिम्मत और ज़ज़्बे ने वहां की जनता को निडर रहकर अपना कार्य करने का सबक भी दिया है। उनकी हत्या करने वाले लोग चाहते थे कि वह चुनावी दौड़ से अपना नाम वापस ले लें, पर वह उसके लिए तैयार नहीं हुईं। लेकिन, उन्होंने चुनाव क्यों लड़ा? लोगों ने बताया कि वह ग़रीब थीं और उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था, पर वह राजनीतिक रूप से जागरूक थीं। उनके आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें मनाया कि यदि वह चुनाव लड़ेंगीं तो न सिर्फ़ उनके कष्ट कम होंगे, बल्कि जनता और इलाक़े का भी भला हो सकेगा। यह उनकी बैध लोकतांत्रिक आकांक्षा थी, जिसे चंद आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने कुचल दिया। उनकी प्रतिद्वंदी उम्मीदवार 65 वर्षीया तेजा, जो एक विधवा हैं, हसीना की हत्या पर स्वयं दुखी थीं और अपना नाम वापस लेने के बारे में सोच रही थीं। हसीना उसी कार्कपुरा वार्ड की हैं, जहां 80 फीसदी मतदान हुआ।

वास्तविक नियंत्रण रेखा के नज़दीक के लछीपुरा गांव का सुखद आश्चर्य यह है कि उस 27 वर्षीय नौजवान ने सरपंच पद के चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की, जो पेशे से इंजीनियर एवं मॉडल रहे हैं। राजा परवेज़ अली मीर नामक यह शख़्स मात्र चार महीने पहले अपने गांव के तेज़ी से विकास के संकल्प के साथ गांव लौटा था। ग्रामीणों ने भी उसके ज़ज़्बे की कद्र की और उसे समर्थन देकर जीत दिलाई। सात साल की उम्र में उसने पढ़ने के लिए गांव छोड़ा था यानी इस बीच दो दशक बीत गए। चुनाव प्रचार के दौरान उसने जनता से वायदा किया कि वह भ्रष्टाचार

दूर करने पर बल देगा। उसने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी 75 वर्षीय मौलवी शरीफ़ खान को पराजित किया। क्या वह जनता का नये खून में भरोसे का प्रतीक नहीं?

स्पष्ट है कि कश्मीर की जनता अब राजनीतिक रूप से अधिक सजग है और हर हालत में तेज़ी से विकास चाहती है। बारामुला ज़िले के तंत्रायपुरा हलका पंचायत क्षेत्र में 100 फीसदी मतदान देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार उपलब्धि है। जब वहां प्रशासन द्वारा मतगणना कार्य किसी दूसरी जगह करने का फैसला किया गया तो ग्रामीणों ने भारी एतराज जताया। खूबी की बात यह है कि इन नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रकट करने में हिंसक हो उठने या हिंसा का सहारा लेने का प्रयास नहीं किया। अंततः ग्रामीणों की बात मान ली गई। गत 29 मई तक 12 चरणों का मतदान हो गया था। बाकी 4 चरणों का मतदान आगामी 16 जून तक हो जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लगभग 34,000 नवनिर्वाचित सरपंचों एवं पंचों को समुचित प्रशिक्षण मुहैया कराए ताकि वे अपने अधिकारों एवं कामकाज के दायित्वों के बारे में अच्छी तरह वाकिफ़ हों। स्थानीय सरकार के लिए निर्वाचित ये प्रतिनिधि जनता के सबसे करीब होते हैं। यदि पंचायती राज संस्थाओं एवं उनके जनप्रतिनिधियों को धारदार बनाया जाता है तो कोई संदेह नहीं कि कई सालों से अशांत कश्मीर में शांति एवं विकास की नयी बयार बहेगी। ❑

(लेखक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नयी दिल्ली के निदेशक हैं।
साभार : द हिंदू)

विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल

चेनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई वाला यह पुल
कुतुबमीनार से 5 गुना अधिक ऊंचा

विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कुतुब मीनार की ऊंचाई से पांच गुना अधिक और एफिल टॉवर से 35 मीटर ऊंचा कश्मीर घाटी में निर्माणाधीन रेलमार्ग पर चेनाब नदी पर बन रहा है।

यह पुल महत्वाकांक्षी उधमपुर, श्रीनगर, बारामुला रेल संपर्क परियोजना के 73 किमी के कटरा-धरम खंड, कटरा से 65 किमी दूर चेनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। कोंकण क्षेत्र के मार्गदर्शी रेलमार्ग पर 179 बड़े पुलों के निर्माण का अनुभव रखने वाला कोंकण रेल निगम इस खंड पर रेल मार्ग का निर्माण कार्य करेगा। 1315 मीटर लंबे पुल के निर्माण में 25 अरब टन इस्पात का उपयोग होगा और यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कमाल होगा। कोंकण रेलवे के महाप्रबंधक राजेश अग्रवाल के अनुसार निर्माण कार्य जोर-शोर से जारी है।

विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल फ्रांस के तार्न नदी पर बना हुआ है और उसके सबसे ऊंचे स्तंभ की ऊंचाई 340 मीटर की है, परंतु रेलगाड़ियां 300 मीटर की ऊंचाई पर ही चलती हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी चहाते राम ने बताया कि चेनाब नदी का रेल पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल होगा।

यह देखते हुए कि 359 मीटर की ऊंचाई पर वायु की गति 266 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है, इंजीनियरों ने यह निर्णय लिया है कि 90 किमी प्रति घंटे से अधिक की वायु गति होने पर पुल पर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेलवे के इंजीनियरों ने पुल पर इस तरह की संकेतक प्रणाली लगाई है जो 90 किमी प्रति घंटे से अधिक वायु की गति होने पर अपने आप ही रोकने का संकेत दिखाने लगेगा।

हिमालय के दुर्गम क्षेत्र को देखते हुए पुल पर विशेष प्रकार का पेंटररंगा लगाया जाएगा जो 35 वर्षों तक ख़राब अथवा फीका नहीं पड़ेगा। उस पर ख़राब मौसम का कोई असर नहीं होगा।

वैसे तो रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा बल इंजीनियरों और श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान कर ही रहे हैं, स्थानीय लोग भी उनका ख़्याल रख रहे हैं। कश्मीर रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक शौकत मलिक के अनुसार परियोजना को लक्ष्य कर अभी तक केवल दो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। ❑

सभी पंचायतों का इंटरनेट से जोड़ा जाएगा

शीघ्र ही देश की सभी पंचायतें इंटरनेट से सुसज्जित सेवा केंद्रों की सुविधाओं से युक्त होंगी ताकि रेलवे आरक्षण और किसानों को मौसम की जानकारी जैसी तमाम सेवाएं ऑन लाइन दी जा सके।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग देशभर में ऐसे ढाई लाख केंद्र खोलने की योजना पर कामकर रहा है। वर्ष 2012 तक प्रत्येक पंचायत में एक केंद्र खोले जाने की योजना है। यह योजना पूर्व में बनी एक लाख टेलीकेंद्र– प्रत्येक विकासखंड में एक खोलने की योजना का ही विस्तार है। उच्च गति की संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नीति का सहारा लेना।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव शंकर अग्रवाल का कहना है कि मौजूदा केंद्रों में इंटरनेट सुविधा तो है परंतु उनकी गति तेज़ नहीं है, केवल 256 केबीपीएस (हजार बाइट्स प्रति सेकंड) है। हमें आशा है कि जब राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नीति पर काम शुरू होगा यह पढ़कर 2 एमबीबीएस (मिलियन बाइट्स प्रति सेकंड) हो जाएगी जिससे और बढ़िया सेवा प्रदान की जा सके। यहां तक कि वीडियो सामग्री भी भेजी जा सकेगी। देश में क़रीब 6 लाख पंचायतें हैं। अतः नये लक्ष्य का अर्थ है कि प्रत्येक 2-5 गांव में एक टेलीकेंद्र होगा। वर्तमान में देश में 94,000 टेलीकेंद्र हैं। प्रत्येक केंद्र में एक कंप्यूटर एक स्कैनर, एक प्रिंटर और तकनीकी स्टाफ है। ❑

दूसरा भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन
सहयोग का नया दौर

● सुरेश अवस्थी

प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की हाल की अफ्रीका यात्रा से भारत-अफ्रीका संबंधों में एक नये अध्याय की शुरुआत हुई है। अपने 6 दिनों के प्रवास में प्रधानमंत्री ने इथियोपिया की राजधानी अदीस-अबाबा में दूसरे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की, इथियोपिया के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय हितों पर चर्चा की और तंजानिया की सद्भावना यात्रा की। इथियोपिया की यात्रा पर जाने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इथियोपिया की सरकार और जनता ने उनका जो स्वागत किया वह अभूतपूर्व है। इससे द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर वाणिज्य एवं निवेश को नयी ऊर्जा मिली है। इथियोपिया ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी का पूर्ण समर्थन किया है। इथियोपिया में निवेश करने वाले कुछ प्रमुख देशों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 23-24 मई, 2011 को अदीस अबाबा में दूसरे भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। उन्होंने इथियोपियाई संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने इथियोपिया के मूल निवासियों की तुलना भारत के पश्चिमी तट पर रहने वाली सिद्दी जनजाति के लोगों से करते हुए कहा कि दोनों में पर्याप्त मौलिक एवं सांस्कृतिक समानताएं हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों देशों के बीच संबंध अत्यंत प्राचीन हैं।

जैसे-जैसे भारत आर्थिक दृष्टि से उन्नति कर रहा है यह स्वाभाविक है कि वह अपना कारोबार सभी भौगोलिक क्षेत्रों में ले जाने का प्रयास करे। अफ्रीका महाद्वीप का महत्व इसलिए भारत के लिए बढ़ गया है कि क्योंकि पेट्रोलियम सहित अनेक बहुमूल्य संसाधनों-स्वर्ण, हीरा, कोयला, बॉक्साइट, कोबाल्ट आदि से संपन्न यह महाद्वीप अन्य महाद्वीपों की तुलना में कही अधिक तेज़ी से आर्थिक समृद्धि की संभावना से परिपूर्ण है। यद्यपि यह बात भी उतनी ही सही है कि समूचे महाद्वीप में ग़रीबी भी सर्वव्यापी है। परंतु इससे भविष्य की संभावनाओं को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अमरीका और कुछ अन्य प्रमुख यूरोपीय देशों के हित अफ्रीका में गहराई से जुड़े हुए हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में अन्य देशों के मुकाबले इन देशों के व्यापारिक और आर्थिक हित काफी जटिल और गहरे हैं और इसलिए जब भी इस महाद्वीप पर किसी भी तरह का राजनीतिक संकट आता है, सबसे पहले वे ही हरकत में आते हैं और नतीज़ों को अपने ढंग से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से भारत का अफ्रीका में व्यापारिक भागीदारी और निवेश का प्रयास कुछ देरी से ही शुरू हो रहा है। परंतु क़रीब डेढ़ अरब की सम्मिलित जनसंख्या वाले 53 देशों का यह महाद्वीप इतना विशाल है कि यहां सभी के लिए कुछ-न-कुछ अवसर मौजूद हैं। परंतु यह इस बात पर निर्भर है कि आधुनिकीकरण और शहरीकरण की ओर तेज़ी से बढ़ रहे अफ्रीकी देश स्वयं क्या चाहते हैं और वे अपनी भागीदारी से क्या अपेक्षा रखते हैं। भारत के लिए बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अमरीका, चीनियों और यूरोपियनों की तुलना में किस प्रकार का व्यवहार करता है। यह कहना अनुचित न होगा कि कई मामलों को लेकर भारत लाभ की स्थिति में है। एक तो भारत का नज़रिया और व्यवहार औपनिवेशिक नहीं है और अनेक अफ्रीकी देशों ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष किया भारत ने उसमें उनका भरपूर साथ दिया है। दूसरे भारत के अनेक विशेषज्ञों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्टता साबित की है और अफ्रीकियों के साथ उनके संबंध मधुर रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ भारत को यह है कि अनेक अफ्रीकी देशों में भी अंग्रेज़ी का प्रचलन है और यह आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए एक प्रमुख कारक है।

यह बात सही है कि भारत ने अफ्रीका की ओर कदम कुछ देरी से बढ़ाए परंतु उसने ऐसा तभी किया जब वह उस कदम की मज़बूती को लेकर निश्चिंत हो चुका है। अत: चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता व इतिहास से कुछ लेना-देना नहीं। पंद्रह वर्ष पूर्व भारत अफ्रीका को वह सब कुछ नहीं दे सकता था जो वह आज दे सकता है। अदीस अबाबा में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने तीन वर्ष में 5 अरब डॉलर का ऋण देने का प्रस्ताव किया जिसका उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। इथियोपिया और जिबूती के बीच रेलमार्ग के निर्माण के लिए 30 करोड़ डॉलर की राशि अलग से दिए जाने का प्रस्ताव है। इन सबके पीछे भारत का 'मंत्र' अफ्रीका में क्षमता और कौशल विकास का है जो राष्ट्र निर्माण का सबसे विश्वस्त तरीक़ा है। परंतु इसके पीछे कोई राजनीतिक शर्तें कभी नहीं थोपी गईं। जैसी अमरीका और अन्य पश्चिमी देश कभी-कभी कुछ देशों में लोकतंत्र की मज़बूती के बहाने करते रहे हैं। चीन के विपरीत भारत का नज़रिया कभी भी अफ्रीकी देश में खनन अधिकारों पर कब्ज़ा ज़माने का भी नहीं रहा। भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन के प्रथम संस्करण 2008 में ही भारत ने

मूलभूत संरचना के विकास के जरिये क्षेत्रीय एकीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित किया था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक संयुक्त कार्ययोजना तैयार की गई जिस पर कार्यान्वयन की समीक्षा अदीस अबाबा शिखर सम्मेलन में की गई। इसमें मानव संसाधन परियोजनाओं पर विशेष ज़ोर दिया गया।

यहां यह याद दिलाना समीचीन होगा कि सहारा मरुस्थल के नीचे वाले अफ्रीकी देशों में भारतीयों को शिक्षक (गुरु) के रूप में देखा जाता है। उनके लिए अफ्रीकियों के मन में बड़ा सम्मान है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में जहां प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने हाल ही में दूसरे भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की, वहां भी भारतीयों के प्रति सम्मान की भावना है। नागरिक प्रशासन, उद्योग और मूलभूत संरचना उद्योग की विभिन्न शाखाओं से जुड़ी जनशक्ति की क्षमता और कौशल का विकास शिक्षण की प्राचीन परंपरा का आधुनिक रूप और संस्करण है।

सूचना, संचार-प्रौद्योगिकी, कृषि, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण हस्तशिल्प और समुद्री उत्पादों के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास भारत की विशेषता और प्राथमिकता रही है। पिछले दो दशकों में भारत ने विविध क्षेत्रों में कामकर विभिन्न अफ्रीकी देशों के दिल में जगह बनाई है। दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य दक्षिणी देशों में औषधि निर्माण के क्षेत्र में तो तेल और परिवहन क्षेत्र में नाइजीरिया और व्यापार एवं वाणिज्यि के क्षेत्र में पूर्वी अफ्रीका में भारतीय विशेषज्ञों ने नाम और प्रतिष्ठा अर्जित की है।

अफ्रीका और भारत के वाणिज्य एवं सांस्कृतिक संबंध काफी पुराने हैं। मध्यकाल से ही भारतीय व्यापारी जंजीबार में कारोबार कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक शासक बड़ी संख्या में भारतवासियों को अपने-अपने नियंत्रण वाले अफ्रीकी देशों में ले गए थे। पूर्वी अफ्रीका में भारत ने रेल परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दक्षिण अफ्रीका, मारिशस, गुयाना आदि देशों में खेती के लिए भारतीय मज़दूर बड़ी संख्या में ले जाए गए थे। भारत के पश्चिमी प्रांतों,विशेषकर गुजरात से गए अनेक व्यापारी, वकील, डॉक्टर इत्यादि भी इन देशों मे कार्यरत थे। महात्मा गांधी की राजनीतिक यात्रा भी दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू हुई थी। रंगभेद नीति के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाले देशों में भारत सबसे आगे था। उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अलावा अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी अफ्रीका में विशेष रुचि ली। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भी अफ्रीका महाद्वीप के देशों की भूमिका उल्लेखनीय रही। स्वतंत्रता से लेकर अस्सी के दशक तक अफ्रीका और भारत के राजनीतिक संबंध अत्यंत घनिष्ठ रहे। केन्या के शीर्ष नेता जोमो केन्याटा, तंजानिया के राष्ट्रपति डॉ. जूलियस न्यरेरे और इथियोपिया के सम्राट हेल सिलासी सहित अनेक अफ्रीकी नेताओं के साथ भारतीय नेताओं, विशेषकर पं. नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच व्यक्तिगत संबंध थे। दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला का भारत के प्रति अनुराग जग-जाहिर है। परंतु भारत ने कभी भी उनका अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया।

शीत युद्ध, वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के बाद अंतरराष्ट्रीय स्थिति में व्यापक परिवर्तनों का दौर आया। पहले तो भारत ने अपना ध्यान विकसित देशों की ओर दिया। उसके बाद 'पूर्व की ओर देखो' नीति के अनुसरण पर ज़ोर दिया गया। अपनी आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता लाने के बाद भारत ने अफ्रीकी देशों की ओर ध्यान केंद्रित किया। विश्व की तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दो देश चीन और भारत एक-दूसरे के पड़ोसी भी हैं और व्यापारिक प्रतिद्वंदी भी। अफ्रीकी देशों में चीन के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए भारत ने अब इस क्षेत्र की ओर ध्यान देना शुरू किया है। अफ्रीकी देशों के साथ पारंपरिक संबंधों को आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप आकार देने के लिए 8 और 9 अप्रैल, 2008 को नयी दिल्ली में प्रथम भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 14 अफ्रीकी देशों और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष ने भाग लिया था और अब अदीस अबाबा में अयोजित दूसरे शिखर सम्मेलन का महत्व यह है कि अफ्रीकी भूमि पर भारत और अफ्रीका के शीर्ष नेताओं के साथ इस प्रकार की बैठक पहली बार हुई। इस सम्मेलन में 15 देशों के शीर्ष नेताओं के साथ-साथ अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष ने भी भाग लिया।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अदीस अबाबा सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रथम शिखर सम्मेलन में अपनाए गए कार्यक्रम को और तेज़ी तथा मज़बूती से बढ़ाने की बात कही। उन्होंने 5 अरब अमरीकी डॉलर की सहायता के अतिरिक्त नये संस्थानों की स्थापना और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए 70 करोड़ डॉलर देने का भी वचन दिया। भारत-अफ्रीका वर्चुअल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री ने किया जिसमें 10 हज़ार छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। भारत तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) के अंतर्गत 900 युवाओं को प्रशिक्षण देने का भी प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ने भारत-अफ्रीका खाद्य प्रसंस्करण समूह, भारत अफ्रीका वस्त्र निर्माण समूह, भारत-अफ्रीका मौसम सूचना केंद्र, भारत-अफ्रीका जीव एवं भू-विज्ञान विश्वविद्यालय और भारत-अफ्रीका कृषि एवं ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना में सहयोग और आर्थिक योगदान की भी घोषणा की। सम्मेलन के अंत में जारी अदिस अबाबा घोषणापत्र से यह विश्वास और भी सुदृढ़ होता है कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, विश्व व्यापार दोहा दौर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और अफ्रीका में सहमति है। इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अफ्रीकी देशों को अब यह विश्वास हो चला है कि भारत अन्य विकासशील देशों की सहायता करने में सक्षम है जो मंदी से तेज़ी से उबरे हैं और यही वह समय है कि जब दोनों पक्ष आर्थिक साझेदारी और समझदारी को और ऊंचे स्तर तक ले जाएं। आपसी व्यापार को वर्तमान 46 अरब डॉलर के स्तर से उठाकर वर्ष 2015 तक 70 अरब डॉलर तक ले जाना है तो प्रधानमंत्री की हालिया अफ्रीका यात्रा से बने सौहार्द्रपूर्ण वातावरण को सही लाभ उठाना होगा।

डॉ. मनमोहन सिंह की अफ्रीकी यात्रा की समाप्ति तंजानिया के दौरे से हुई। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत की सहायता से स्थापित भारत-तंजानिया सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार संस्थान का उद्घाटन भी किया।

(शेषांश पृष्ठ 52 पर)

कमर का दर्द

● सतीश चन्द्र सक्सेना

शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपने आप में उपयोगी है और वह अपना नियत कार्य संपन्न करता है। रीढ़ अथवा मेरुदंड का विशेष महत्व है क्योंकि यह शरीर के भार को आलंब प्रदान करता है। मेरुदंड में चोट लगने से व्यक्ति स्थायी रूप से पंगु हो सकता है और मृत्यु तक हो सकती है। संभवत: इसी कारण 'बैक बोन' शब्द का प्रयोग लाक्षणिक अर्थ में भी किया जाता है।

मेरुदंड की संरचना

मेरुदंड हमारे शरीर के पंजर (कंकाल) का एक भाग है जिसमें 28 छोटी हड्डियां होती हैं जिन्हें कशेरुका कहते हैं। इसका आकार कुछ-कुछ अंग्रेज़ी के अक्षर 'एस' जैसा होता है अर्थात इसमें ऊपर और नीचे थोड़ी वक्रता होती है। प्रत्येक कशेरुक-युगल के मध्य एक डिस्क होती है जो 'शॉक एब्जार्वर' का कार्य करने के अतिरिक्त मेरुदंड को नम्यता और गतिशीलता प्रदान करती है। इस स्तंभ को 400 मांसपेशियां और 1,000 स्नायु मज़बूती प्रदान करते हैं। यह स्तंभ 4,500 लंबी सुषम्ना को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उसके लिए एक आवरक का भी कार्य करता है। सुषुम्ना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मस्तिष्क से जोड़ती है।

मेरुदंड का ऊपरी भाग खोपड़ी से, मध्य भाग पसलियों से और निचला भाग कूल्हे की हड्डियों से संधित रहता है। मेरुदंड से ही पीठ की पेशियां जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार मेरुदंड के ऊपरी सात कशेरुक ग्रैव, बीच के बारह कशेरुक वक्षीय और निचले पांच कशेरुक कटीय कहलाते हैं। मेरुदंड के सबसे निचले भाग के चार कशेरुक परस्पर जुड़कर एक त्रिभुजाकार अस्थि का निर्माण करते हैं जिसे *कॉक्सिक्स* कहते हैं।

ग्रैव क्षेत्र : सात ग्रैव कशेरुक सिर को आलंब प्रदान करने के अतिरिक्त, गर्दन को असाधारण गति प्रदान करते हैं जिसके कारण गर्दन 180^0 अर्थात ऊपर-नीचे और दाएं-बाएं घूम सकती है। कुर्सी और डेस्क के मध्य मानक ऊंचाई के न होने से, गर्दन की गलत स्थिति में लंबे समय तक काम करने या वाहन चलाने से और गर्दन टेढ़ी कर मोबाइल का अधिक प्रयोग करने से कालांतर में पेशियों में खिंचाव या सूजन के कारण दर्द हो जाता है। स्थिति अधिक गंभीर होने पर डिस्कों का विदारण होने लगता है और दर्द रेडिएट होकर कंधों और नीचे भुजाओं तक फैल जाती है। यह स्थिति 'सर्वाइकल स्पोन्डलाइटिस' कहलाती है और यथाशीघ्र उपचार की आवश्यकता पड़ती है।

वक्षीय अर्थात मध्य क्षेत्र : बारह वक्षीय कशेरुकों में कोई गति नहीं होती चूंकि इनसे पसलियां जुड़ी रहती हैं। अत: दुर्घटना आदि के अलावा इनमें शायद ही कभी कष्ट होता है।

कटीय अर्थात लंबर क्षेत्र : स्तंभ के निचले भाग में पांच भारी कशेरुक होते हैं जिन पर शरीर का सबसे अधिक भार पड़ता है। इनमें से चौथे और पांचवें कशेरुक में ही परेशानी सबसे अधिक होती है। कमर के निचले भाग में दर्द कई कारणों से हो सकता है। इनमें पेशियों में खिंचाव, दो कशेरुकों के मध्य डिस्क में भृंश, अस्थि सुषिरता अर्थात अस्थियों का सरंध्र और भंगुर हो जाना, दुर्घटना या कैंसर के कारण डिस्क का नियात हो जाना आदि प्रमुख हैं। सामान्य पीठ का दर्द, पीड़ाहारी औषधि लेने से और थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाता है। चिरकालिक पीठ का दर्द परेशानी का कारण होता है और यह दर्द रेडिएट होकर कूल्हों तक और फिर टांगों की पिंडली तक आता है। यह स्थिति 'लंबर स्पोन्डलाइटिस' कहलाती है। इसके लिए लंबे समय तक इलाज और आजीवन सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आर्थोपीडिक सर्जन के परामर्श के अनुसार कुछ समय तक एलएस बेल्ट को कमर पर बांधना पड़ सकता है जिससे यात्रा आदि के दौरान कमर में एकदम झटका न लगे। स्थिति अत्यधिक गंभीर होने पर सर्जरी की भी सहायता लेनी पड़ सकती है।

रोग का निदान

पीठ के दर्द का कोई सीधा निदान नहीं है। मेरुदंड को दो स्थितियों में एक्स-रे ली जाती है जिनसे मेरुदंड में हुए परिवर्तनों का पता चलता है। कठिनाई यह है कि एक्स-रे फिल्म पर परिर्वतन, रोग शुरू होने के पर्याप्त समय बाद ही प्रकट होता है और कभी-कभी यह विलंब 8-10 वर्ष तक हो सकता है। इसका यह अर्थ हुआ कि रोग के प्रारंभ होने के बाद चिकित्सा 8-10 वर्ष बाद ही शुरू हो सकती है। अधिक परिशुद्ध और अपेक्षाकृत शीघ्र निदान के लिए मेरुदंड की कंप्यूटरित टोयोग्राफी और चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन अच्छे विकल्प हैं। तीव्रशोथ होने पर रुधिर में सी-रिऐक्टिव प्रोटीन (सीआरपी) और ईएसआर में भी वृद्धि हो जाती है।

वर्ष 2007 में शोधकर्ताओं के एक दल ने उन दो जीनों अर्थात एआरटीए-1 और आईएल23आर का पता लगाया जिनके कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। एचएलए-बी27 के साथ-साथ उक्त दो जीन लगभग 70 प्रतिशत तक इस रोग के लिए उत्तरदायी हैं।

सावधानियां

यदि नैदानिक युक्तियों से मेरुदंड में हुए परिवर्तनों की पुष्टि हो जाती है जिनके कारण

लंबर स्पॉन्डलाइटिस है तो रोगी को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए :

- कभी भी सामर्थ्य से अधिक वजन उठाने का प्रयास न करें;
- जब भी भार उठाना हो तो उसे दोनों हाथों से उठाएं। यदि भार लेकर चलना हो तो दोनों हाथों में लगभग समान भार का वहन करें;
- एक हाथ से पानी से भरी बाल्टी कभी न उठाएं;
- आगे की ओर झुकने से यथासंभव बचें। जमीन पर पड़ी हुई वस्तु को स्टूल या कुर्सी पर बैठकर उठाएं;
- सोने का बिस्तर न अधिक सख़्त और न अधिक गुदगुदा हो। फोम के गद्दों पर सोएं। प्लाई के बिस्तर पर देसी रुई का गद्दा सबसे अच्छा है;
- यथासंभव करवट के बल सोएं। सोते समय अनायास ही करवटें बदलनी पड़ती हैं परंतु पेट के बल न सोएं;
- बिस्तर से उठना हो तो सीधे उठने के स्थान पर पहले करवट लें फिर उठें;
- सुबह उठते समय कमर की पेशियों में जकड़न प्रतीत होती है। इसे 'मार्निंग स्टिफनेस' कहते हैं जो थोड़ा-सा टहलने पर काफी ठीक हो जाती है।
- मेरुदंड को यथासंभव मरोड़ी गति से बचाएं;
- सोफे या कुशन पर एक दम धंसकर न बैठें, इससे निचले कशेरुकों को धक्का लगता है;
- कुर्सी पर एक स्थिति में अधिक समय तक न बैठे। अच्छा होगा कि प्रत्येक एक अथवा डेढ़ घंटे बाद उठकर थोड़ा टहल लें। कुर्सी पर पीठ के सहारे के लिए 'बैक रेस्ट' अथवा तकिए का प्रयोग किया जा सकता है;
- शरीर के भार पर विशेषकर कमर के इर्द-गिर्द मोटापे से कमर की निचली मांस पेशियों पर दबाव पड़ता है अत: आदर्श शरीर भार बनाए रखें;
- धूम्रपान न करें क्योंकि इससे मेरुदंड में रुधिर के संचार में कमी आती है और व्यपजनज (डिजनेरशन) अधिक होता है।
- सामान्य क्रिया कलाप यथासंभव जारी रखें। आवश्यकतानुसार विश्राम करें, परंतु अधिक विश्राम करने से भी दर्द बढ़ता है;
- शरीर को समुचित पोषण दें। कैल्सियम, विटामिन डी और फास्फोरस युक्त आहार का सेवन करें। कैल्सियम की गोलियां खाने के बजाय आहार के माध्यम से कैल्सियम का सेवन अधिक लाभप्रद है। सफेद खाद्य पदार्थ, यथा दूध, दही, पनीर व अंडे में पर्याप्त कैल्सियम होता है। बाजरे के आटे में कैल्सियम और लोहा काफी मात्रा में होता है।

उपचार

शुरू में दर्द और सूजन कम करने के लिए पीड़ाहारी और शोथरोधी औषधियां, जैसे– ऐस्परीन, डयूप्रोफेन, इंडोमेटासिन, फलेक्सॉन तथा डाइक्लोफेनिक सोडियम या इनके व्युत्पन्न अथवा संयोजन दिए जाते हैं। 'लोडोज टाइम रिलीज' वाली औषधियों का प्रभाव अधिक समय तक रहता है। गर्म पानी की बोतल या थैली से सिंकाई करने पर भी पेशियों की जकड़न कम हो जाती है। दर्द और सूजन कम हो जाने पर फिजियोथेरेपी और कसरत तथा चिकित्सक के निर्देशानुसार औषधियों का सेवन ही इस रोग का एक मात्र उपाय है। व्यायाम करने से औषधियों पर निर्भरता कम हो जाती है। दर्द और सूजन की स्थिति में व्यायाम कभी नहीं करना चाहिए। समय-समय पर फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ के निर्देशानुसार सात या आठ दिन का 'शार्ट वेव डाइथर्मी' का कोर्स लेने से भी लाभ हो सकता है। दर्द निवारक औषधियों के लंबे समय तक सेवन से हानिकारक अनुषंगी प्रभाव भी होते हैं।

आयुर्वेदिक औषधियां

दर्द कम करने के लिए अनेक आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के गुग्गलु (गूग्गल), बासवेलिया सेरेटा (सलाकी), अश्वगंध चूर्ण तथा मालिश करने के तेल आदि हैं। इन औषधियों का प्रयोग आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में एलोपैथिक औषधियों के साथ सह-औषधि के साथ किया जाना चाहिए ताकि उन पर निर्भरता कम या समाप्त हो जाए। कुछ विरचनाओं में अन्य औषधियों के साथ ग्लूकोसोमीन हाइड्रोक्लोराइड तथा बासवेलिया सेरेटा रहता है जो विशेष रूप से लाभप्रद है।

वैकल्पिक औषधियां

कुछ अन्य वैकल्पिक औषधियां भी उपलब्ध हैं जिनकी उपयोगिता लाक्षणिक परीक्षणों से सिद्ध हुई है। कुछ रोगियों को सामान्य उपचार के साथ-साथ स्टार्च मुक्त आहार लेने से लाभ होता है। कुछ रोगियों को सूचीवेध (एक्युपंचर) उपचार से लाभ होता है। यह उपचार दर्द के स्थलों पर किया जाता है। योग क्रियाओं से भी लाभ होता है परंतु ये किसी जानकार से परामर्श करके की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

कमर में दर्द आयु से संबद्ध रोग है। आयु अधिक होने पर अन्य अस्थियों के साथ कशेरुक भी दुर्बल हो जाते हैं और उनमें कैल्सियम की कमी हो जाती है। डिस्क नरम पड़ने लगती है और उनकी सघनता भी कम हो जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले रोगियों की संख्या पर्याप्त अधिक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समय-समय पर औषधियों, व्यायाम और आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन के साथ-साथ सामान्य सावधानियां बरतते हुए अर्थात संयमित जीवनशैली के साथ बिना किसी विशेष कठिनाई के साथ जीवनयापन संभव है जब तक कि दुर्घटना या किसी अन्य कारण से विषम परिस्थिति उत्पन्न न हो जाए जिसके लिए सर्जरी का सहारा लेना पड़े। ❑

(लेखक वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग से संबद्ध रहे हैं)

(पृष्ठ 50 का शेषांश)

तंजानिया ने भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। तंजानिया के राष्ट्रपति जकाया म्रिशो किवेटे ने अपने देश के विकास में भारत के योगदान की खुल कर प्रशंसा की। अफ्रीका के साथ संबंधों की चर्चा करते समय चीन के साथ उसकी तुलना करना इतिहास को संकीर्ण दृष्टिकोण से देखना होगा। यथार्थ को देखते हुए भी यह निरर्थक लगता है। चीन के 126 अरब डॉलर के व्यापार की तुलना में भारत का कुल कारोबार 46 अरब डॉलर का ही है। परंतु राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से भारत-अफ्रीका संबंधों की प्रगाढ़ता के आगे चीन कहीं नही ठहरता। भारत के लिए यही बेहतर होगा कि मौजूदा सद्भाव पूर्ण वातावरण का पूरा लाभ उठाया जाए और उभय पक्षों को लाभ पहुंचाने वाले नये इतिहास की रचना की जाए। ❑

(लेखक वरिष्ठ प्रकार हैं)

21वीं सदी के भारत के स्वप्नद्रष्टा

राजीव गांधी

आपकी सतत स्मृति में....

davp 22202/13/0012/1112

- पंचायती राज व्यवस्था के जरिये बुनियादी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ आधार
- लोकतंत्र में युवाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान की आयु घटा कर 18 वर्ष करने में उल्लेखनीय भूमिका
- स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण की परिकल्पना के जनक
- ग्रामीण विद्युतीकरण और पेयजल मिशन की पहल
- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति के सूत्रधार
- शांति और निरस्त्रीकरण के लिए विश्व का आह्वान

आतंकवाद विरोधी दिवस, 21 मई

सत्यमेव जयते

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

YH-93/2011

प्रकाशक व मुद्रक अरविंद मंजीत सिंह, अपर महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक : राकेशरेणु

Licenced under U (DN)-53/09-11
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2009-11 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2009-11 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi
26 जून, 2011 को प्रकाशित • 29-30 जून, 2011 को डाक द्वारा जारी

अब बाजार में उपलब्ध

प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता

एक सम्पूर्ण वार्षिक संदर्भ ग्रंथ के साथ

नवीन आँकड़ों एवं तथ्यों सहित

कोड 862

मूल्य ₹ 250/-

समसामयिक ताजा घटनाओं का विश्लेषण, खेल समाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग व्यापार, विशिष्ट व्यक्तियों, पुरस्कारों एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर उपयोगी सामग्री

निःशुल्क पुस्तिका सार संग्रह

English Edition Code No. 800

नोट : समसामयिक वार्षिकी 2012 (Vol. I) नवम्बर 2011 में प्रकाशित किया जाएगा.

ताजा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवेचन

प्रतियोगिता दर्पण 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा–282 002 फोन : 4053333, 2530966, 2531101
Fax : (0562) 4053330 E-mail : care@pdgroup.in
To purchase online log on to www.pdgroup.in

YH-91/2011